Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का दसवां दिवस [संख्या ७

बुधवार, १३ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

तस्कर व्यापार की रोकथाम हेतु शासकीय कदम

१८०. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या सरकार स्मगलिंग की रोकथाम के सम्बन्ध में शीघ्र ही कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पंजाब के अधिकतर स्मगलर्स पुलिस कर्मचारियों और बड़े बड़े भूमिपतियों की शरण में जिला गंगानगर में रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई विशेष कार्यवाही करेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) तस्कर व्यापार को रोकने के संबंध में क्या क्या प्रबन्ध किये जायं इस पर विचार करने के लिये एक कॉन्फरेन्स तारीख १२.११. ५७ को बुलाई गई है, जिसमें बोर्डर जिलों के पुलिस और लेण्ड कस्टम्स अधिकारी, जिलाधीश एवं कमिश्नर आदि भाग ले रहे हैं ।

(२) सरकार के समक्ष ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(३) अवश्य ।

श्रीमती सतवंतकौर : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बोर्डर पर जो स्मगलिंग हो रहा है उसमें पंजाब से भागे हुए स्मगलर्स आये हुए हैं, वे काम कर रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन कर दिया है जनाब ।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार ने छानबीन की है अब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज कर दिया है ।

नमक वितरण की व्यवस्था पर शासकीय नियन्त्रण

१८१. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या नमक वितरण की व्यवस्था सरकार द्वारा नियन्त्रित है ?

(२) क्या सभी डिविजनों में व्यवस्था एक समान है ?

(श्री मानिकचन्द कोठारी)

(३) अगर नहीं, तो अलग अलग डिविजनों में नमक वितरण की व्यवस्था किस प्रकार की है ?

(४) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि नमक के भावों में एक स्थान से दूसरे स्थान में काफी अन्तर है जैसे कि नांवा तहसील के अन्तर्गत कुचामन रोड में नमक १ रुपया का २६ सेर और कुचामन सिटी में १८ सेर है ?

(५) क्या उपरोक्त असमानता को मिटाने व उचित व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी हां। जिलेवार कोटे का, जनसंख्या के आधार पर एलॉटमेंट किया जाता है।

(२) जी नहीं।

(३) राजस्थान के जिन डिविजनों में नमक जो पचभद्रा, डीडवाना व अन्य स्थानों से मिलता है वह तो डिस्ट्रिक्ट के एसोसियेशनों द्वारा वितरण होता है और जहां सांभर से जो नमक मिलता है वह फ्री इन्डेन्टिंग रूल्स के मातहत लाटरी द्वारा व्यापारियों को मिलता है।

(४) जांच की जा रही है।

(५) इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा : जांच करने की सूरत में यदि अपराध पाया गया तो सरकार क्या करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उचित कार्यवाही करेगी।

श्री मानिकचन्द कोठारी : अलग अलग डिविजनों में नमक का क्या भाव है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कहां पर ?

श्री मानिकचन्द कोठारी : अलग अलग डिविजनों में यानि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में क्या भाव हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने कुचामन का भाव पूछा वहां पर १ रु० का १८ सेर का भाव है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : मैं दूसरे डिविजनों के बारे में पूछ रहा हूँ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि कुचामन का नमक बाहर जाता है और पचभद्रा का नमक कुचामन में आता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके लिये कोई रुकावट नहीं है।

श्री मानिकचन्द कोठारी : क्या प्रश्न संख्या (३) में यह बात नहीं आई कि अलग अलग डिविजनों में क्या भाव हैं, जिसके लिये आपको नोटिस की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : उसमें यह पूछा है कि अलग अलग डिविजनों में वितरण की व्यवस्था किस प्रकार की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके बारे में तो मैंने अर्ज कर दिया।

श्री धर्मपाल : क्या सांभर के और कुचामन के नमक के टेस्ट में अन्तर है ?

Page No.3

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने डेढ़ महीने से नमक खाना बन्द कर दिया है, आपको ज्यादा मालूम होगा।

प्रश्न संख्या १८२

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८३

रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

कुचामन सिटी से कुचामन रोड तक आउट एजेन्सी स्थापित करने के लिये टेन्डर

१८४. **श्री मानिकचन्द कोठारी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण (ट्रान्सपोर्ट) मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सच है कि कुचामन सिटी रेल्वे स्टेशन से कुचामन शहर के लिए रेल्वे अधिकारियों द्वारा आउट एजेन्सी स्थापित करने के लिये टेन्डर लिये गये थे, व उक्त आउट एजेन्सी का टेन्डर केवल दो आने नौ पाई पर चलाने में स्वीकृत हुए थे ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय जिस व्यक्ति को इस रूट पर बस चलाने का पर्मिट प्राप्त है वह चार आने छः पाई सवारी से चार्ज करता है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि जिस व्यक्ति का आउट एजेन्सी की गाड़ियें चलाने का टेन्डर स्वीकृत हुआ था उसने पर्मिट के लिये प्रार्थना–पत्र दिए पर राज्य सरकार ने पर्मिट देने से इन्कार कर दिया ?

(४) क्या यह बताने की कृपा की जाएगी कि वहां की जनता को आउट एजेन्सी द्वारा मिलने वाली सुविधा एवं सवारी के टिकट में इतना फर्क होने पर आउट एजेन्सी वाले टेन्डर की बसें न चलाने देने में सरकार का क्या लाभ है ?

(५) क्या जन हित और जनता के पैसों का ध्यान रखते हुये अब शीघ्र ऐसी व्यवस्था करने में सरकार सहायक होगी ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : रेलवे भारत सरकार का विषय है अतः इन प्रश्नों का उत्तर राजस्थान सरकार देने में असमर्थ है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या रेलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार से हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस मामले के बारे में ?

श्री मुरलीधर व्यास : रेल के किसी भी मामले के बारे में, जैसे लाइन लागाना आदि।

श्री नाथूराम मिर्धा : रेलवे लाइन बनाने के बारे में हम से प्रायोरिटीज़ पूछते हैं।

श्री मानिकचन्द कोठारी : जो आउट एजेन्सीज़ स्थापित कर रहे हैं क्या यह बात राजस्थान सरकार को मालूम है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे डाइरेक्ट करते हैं, हमसे पूछ-ताछ नहीं करते।

श्री मानिकचन्द कोठारी : जिसको आउट एजेन्सी मिली है उसने एप्रोच किया है २. आ. ६ पाई पर चल रहा है उस पर राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मोटर के पर्मिट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

देने का काम सरकार नहीं करती बल्कि क्वेसी जुडिशियल बोर्ड, आर टी. ओ. द्वारा यह काम किया जाता है ।

श्री मानिकचन्द कोठारी : सरकार से मेरा मतलब ट्रान्सपोर्ट बोर्ड से है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसको आप कुछ नहीं कह सकते, सरकार कुछ नहीं कह सकती।

उदयपुर के एडीशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस के आचरण की जांच

१८५. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : Will the Home Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that departmental enquiry is being conducted against the Additional Superintendent Police, Udaipur ?

(2) If so, what are the charges against the officer and when the Department enquiry was initiated?

(3) Who is conducting the departmental enquiry at present and through how many hands has it passed uptil now ?

(4) Are some steps being taken to conclude the departmental enquiry ? If so, when it is expected to be finished ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, श्री जी. सी. भंडारी, एडीशनल सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उदयपुर के विरुद्ध डिपार्टमेण्टल इन्क्वायरी चल रही है ।

(२) मामला सब-जुडिस है अतः यह बताना उचित नहीं होगा ।

(३) श्री एस. एल. आहूजा, कमिश्नर, डिपार्टमेन्टल इन्क्वयरीज़, इसकी जांच कर रहे हैं । यह तीसरे अधिकारी हैं जो इस काम के लिए नियुक्त किये गये हैं ।

(४) इस मामले की जांच को पूरी करने के लिये कमिश्नर, डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी, आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख तक यह जांच पूरी हो सकेगी ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह इन्क्वायरी चलने से पहले उनको मुअत्तिल किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास डेफिनेट इन्फोर्मेशन नहीं है कि वे ससपेन्शन में हैं या नहीं ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या ऐसे मामलों में मुअत्तिल किया जाता है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जरूरी नहीं है । नेचर ऑफ ऑफेन्स पर निर्भर करता है ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या गजेटेड ऑफिसर और नोन-गजटेड ऑफिसर में फर्क है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोसीजर लेड डाउन है सी. एस.-आर. में ।

पदमपुर होस्पिटल में लेडी डाक्टर की नियुक्ति

१८६. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

पदमपुर होस्पिटल में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति सरकार कब तक करेगी ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : पदमपुर होस्पिटल के लिये लेडी डॉक्टर की स्वीकृति नहीं है क्योंकि बजट में प्रावधान नहीं है।

श्रीमती सतवन्तकौर : पदमपुर में लेडी डॉक्टर के लिये क्वार्टर भी बना हुआ है, वहां उसका होना जरूरी है।

श्री भीखाभाई : पदमपुर अभी राष्ट्रीय विस्तार खंड में है, इसलिये वहां डिस्पेन्सरी है; ज्यों ही यह ब्लॉक में परिवर्तित हो जायगा वहां पर मेटर्निटी होम भी कायम कर दिया जायगा।

जालौर से सुमेरपुर जानेवाली सड़क पर चलने वाली बसें

१८७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जलोर से. सुमेरपुर जाने वाली सड़क किस श्रेणी की है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के मालिक मुसाफिरों से ज्यादा किराया चार्ज करते हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस मुत्तलिक जनता की तरफ से शिकायतें भी यातायात विभाग के पास आई थीं मगर उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) 'बी' श्रेणी की।

(ख) नहीं।

(ग) इस संबन्ध में शिकायतें आई, जांच की गई लेकिन सत्यता नहीं पाई गई। ऐसा है कि सीधे रूट से सुमेरपुर ४५ माइल है लेकिन बस आसपास के गांवों में होकर जाती है जिसके कारण डिस्टेन्स ५६॥ माइल होता है, इसलिये बस मालिकों को यह किराया चार्ज करने का अधिकार है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार, जो डाइरेक्ट रास्ते से जा रहे हैं उनसे वही पुराना किराया लेने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डाइरेक्ट रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन मोटर में बैठे बैठे उन्हें गांवों में होकर जाना पड़ेगा, हीन्डे भी ज्यादा आयेंगे।

श्री तनसिंह : क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि जनता की तरफ से शिकायतें आई थीं और जिनकी शिकायतें आई थीं उनको मौका दिया गया था कि वे अपना सुबूत पेश करें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर।

श्री तनसिंह : क्या आप तथ्य के आधार पर कह रहे हैं या यों ही कह रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल फाइल देख कर कह रहा हूँ।

श्री तनसिंह : तो क्या आप बता सकते हैं कि किस किसको नोटिस दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास इस समय फाइल नहीं है, लेकिन मैंने उसको देखा है एलिगेशन्स गलत हैं। मेरे जवाब से साफ है। वे सोचते हैं कि ४५ मील का किराया लगना चाहिये, लेकिन बस घूमती हुई जाती है जिसके कारण ५६॥ माइल होता है।

राजस्थान व केन्द्रीय सरकारों के सम्पूर्ण अधिनियमों के अंतर्गत नियम, उपनियमों का संग्रह

१८८. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या

(श्री भीमसेन)

विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या राजस्थान व केन्द्रीय सरकारों के सम्पूर्ण अधिनियमों के अंतर्गत बने हुये नियम, उप-नियमों का संग्रह सरकार ने प्रकाशित किया है ?

(ब) अगर नहीं तो, क्या सरकार इस प्रकार का संग्रह प्रकाशित करना जनता की सुविधा के लिये आवश्यक समझती है ?

(स) अगर हां, तो सरकार ऐसा संग्रह कब तक निकालने का इरादा रखती है।

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(अ) अभी तक ऐसा कोई संग्रह सरकार ने प्रकाशित नहीं किया।

(ब) इस प्रकार का संग्रह भी प्रकाशित करना आवश्यक है परन्तु इसके पूर्व अभी संपूर्ण नियमों की एक सूची विधि विभाग द्वारा तैयार की जा रही है जो जल्द ही प्रकाशित होगी। इस सूची में प्रत्येक नियमावली के सम्बन्ध में यह भी जानकारी दी जाएगी कि वह राजस्थान-राजपत्र में कब व कहां प्रकाशित हुई व कब संशोधित हुई।

(स) ऐसे संग्रह को भी सरकार जल्द निकालने का इरादा रखती है परन्तु इसके लिए कम से कम १ वर्ष का समय लगना संभव है।

श्री भीमसेन : कब तक सरकार संग्रह निकालने का इरादा रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : लगभग १ साल में।

हिन्दूमल कोट-गंगानगर व गंगानगर-पदमपुर सड़क पर चलने वाली बसें

१८६. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर): क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दूमल कोट-गंगानगर व गंगानगर-पदमपुर सड़क पर चलने वाली बसों में निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ रहने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है ?

(ख) क्या सरकार इस विषय में जांच करा कर शीघ्र ही उचित प्रबन्ध करेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठाता।

थोड़ी जानकारी और दे दूं। हिन्दूमल कोट-गंगानगर १६५६ में इस मार्ग पर केवल ५ सर्विसेज़ दिन में चलती थीं जिनको बढ़ा कर अब १५ सर्विसेज़ चालू कर दी गई हैं। पहले २५ से ३० सवारी वाली छोटी बसों के स्थान पर अब १४ बसें ५० सीटर लगा दी गई हैं। गंगानगर-पदमपुर १६५६ में इस मार्ग पर केवल ५ सर्विसेज़ दिन में चलती थीं जिनको बढ़ाकर अब १६ कर दिया गया है। पहले छोटी बसों के स्थान पर अब ५ बसें ५० सीटर लगा दी गई हैं।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार यह महसूस करती है कि पदमपुर के इलाके की जन संख्या को देखते हुए यातायात बढ़ रहा है इसलिये आगे पर्मिट देने का इरादा रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक साल में यातायात कितना बढ़ा, आंकड़े इसलिये दिये थे कि आपकी समझ में आ जाय।

जालौर में पंचायत इन्सपेक्टर के खिलाफ शिकायत

१६०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५५-५६ में जिला जालौर में पंचायत इन्सपेक्टर कौन था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उस पंचायत इन्सपेक्टर के खिलाफ सांचोर तहसील में गांव चितलवाना में बेजा फाटक खोलने के मुतल्लिक कोई शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) श्री मुकुन्दचन्द ।

(ख) जी हां । जांच की कार्यवाही जारी है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह शिकायत आपके पास कब आई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सन् ५६ में आई हुई है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब तक इस बारे में कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कार्यवाही की गई । इन्सपेक्टर को भेजा गया लेकिन शिकायत करने वाला नहीं मिला ।

श्री श्रीभानसिंह : कौन कौन सी डेट को अपने कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर भेजा है और क्या करना था ।

श्री श्रीभानसिंह : कौन सी डेट को भेजा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो अलग से पूछेंगे तो ठीक रहेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : यह इसी में आता है । कार्यवाही चालू है तो कौन सी तारीख से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच के लिये भेज दिया गया ।

श्री श्रीभानसिंह : जांच के लिये कब भेजा गया यह तो बतावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा न कि जांच के लिये भेज दिया गया ।

श्री श्रीभानसिंह : कौनसी तरीका को ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वे कहते हैं कि सन् ५६ से जारी है । तारीख उनके पास इस समय नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौन ऑफिसर मुकर्रर हुआ इसकी इन्क्वायरी के लिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सहायक इन्सपेक्टर, जालौर के पास भेजा गया, वह मौके पर पहुँचा, पर शिकायत करने वाला नहीं मिला । इस इन्सपेक्टर का दूसरे सम्बन्ध में डिमोशन हो चुका है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या वह गांव में नहीं रहने से नहीं मिला ? क्या उस पर कोई नोटिस जारी किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दौरे पर गये होंगे ।

श्री तनसिंह : जांच किसके पास है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सहायक इन्सपेक्टर, जालौर के पास में जांच के लिए शिकायत भेजी गई थी।

श्री तनसिंह : शिकायत है, पंचायत ऑफिसर के खिलाफ और उसकी जांच के लिए सहायक इन्सपेक्टर, जालौर को कहा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे डिवीज़नल ऑफिसर्स हैं, उसके पास में शिकायत जांच के लिए भेजी गई।

श्री तनसिंह : अब पंचायत ऑफिसर के पास भेजी गई है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री अपने को करेक्ट कर रहे हैं कि शिकायत जांच के लिए डिवीज़नल ऑफिसर के पास भेजी गई है।

श्री तनसिंह : अब डिवीज़नल ऑफिसर के पास भेजी गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिवीज़नल पंचायत ऑफिसर को लिखा है कि वह इस मामले में जांच करे।

श्री तनसिंह : उसको कब लिखा ? जांच कब शुरू की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्योंकि वह मौके पर मिला नहीं, इसलिए जांच हो नहीं सकी।

श्री तनसिंह : यह डिवीज़नल पंचायत ऑफिसर ने कहा या सहायक इन्सपेक्टर ने कहा !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिवीज़नल पंचायत ऑफिसर ने कहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि वे मौके पर जांच के लिए पहुंचे नहीं हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सूचना हमारे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १६१

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

जालौर डिस्ट्रिक्ट में भवातड़ा के सब-इन्सपेक्टर पुलिस को तस्कर स्वर्ण के व्यापार में सहयोग देने के अभियोग में गिरफ्तार करने सम्बन्धी

१६२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि जालौर डिस्ट्रिक्ट में भवातड़ा के सब-इन्सपेक्टर पुलिस को तस्कर स्वर्ण के व्यापार में सहयोग देने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया है !

(२) क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिवीजन के कुछ उच्च पुलिस अधिकारी इस तरह के तस्कर व्यापार में सहयोग देते हैं ?

(३) क्या सरकार ऐसे मामलात की छानबीन भ्रष्टाचार पुलिस को सौंपने का विचार करेगी जब कि बहुत से उच्च अधिकारियों का व्यवहार सन्देह से परे नहीं है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं। वह तस्कर व्यापार से लाये गये सोने का गबन करने के तथा तस्कर व्यापार करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करने के अपराध में बन्दी बनाया गया।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। ऐसा कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया।

श्री लक्ष्मीचन्द : भवातड़ा के सब-इन्सपेक्टर को इस बाबत गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : पार्ट १ में मैंने निवेदन किया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : उनके साथ किन को गिरफ्तार किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक और आदमी था, एक और सवार था।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इनको भवातड़ा में तस्कर व्यापार की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर दिया कि जो सोना कम बरामद हुआ, उस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : कितना सोना बरामद हुआ उनसे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं वजन तो नहीं बता सकता। फेक्ट यह है कि जो सोना पकड़ा गया था, वह पूरा सोना उन्होंने पेश नहीं किया तथा कुछ आदमियों को छोड़ दिया, जिनको नहीं छोड़ना चाहिये था। इस सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है ?

श्री तनसिंह : क्या इस प्रकार की शिकायत कुछ अधिकारियों के सिलसिले में आई है ? इस प्रश्न के सिलसले में नहीं, राजस्थान के अन्य इलाकों में भी ऐसा तस्कर व्यापार होता है और पुलिस के अधिकारी उनसे मिले हुए होते हैं और उनके हिस्से बंधे हुए होते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह जनरल बात है, आप कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतायें।

श्री तनसिंह : मैं जनरली ही पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसी शिकायत आपके पास आई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री अनूपसिंह : इस केस की इन्क्वायरी अब किस स्टेज पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोसीक्युशन स्टेज पर है।

प्रश्न संख्या १६३

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सिरोही पॉवर हाउस को सरकार के आधीन लेना

१६४. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minister for Electrical & Mechanical Department be pleased to state :

(a) Is the Government contemplating to take over Sirohi Power House ?

(b) If so, when ?

(c) What is the amount of State loan due towards this concern by the State ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(a) Yes. Orders have been issude to the Chief Engineer in that regard.

(b) Soon.

(c) Details are being worked out.

श्री मोहब्बतसिंह : यह कब तक टेक ओवर कर लिया जायगा ? आज्ञा प्रदान की गई है, असली यह कब तक टेक ओवर कर लिया जायगा ?

श्री भीखाभाई : ऐसा है कि कुछ फोर्मेलिटीज़ होती हैं, एग्रीमेंट पेन करना है, प्रोपराइटर वगैरह हैं उनकी सेंक्शन, रिप्लेसमेंट का सवाल है; इसमें समय जरूर लगेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह सरकार की नीति है कि राजस्थान में जितने प्राइवेट पॉवर हाउस चल रहे हैं, उन सब को क्या सरकार ग्रहण करने की नीति रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह एवं विद्युत मंत्री) : सरकार ने इलेक्ट्रिक्सिटी बोर्ड बना दिया है, भावी नीति तय करने का प्रश्न है, वह इलेक्ट्रिक्सिटी बोर्ड तय करेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर संतोषजनक नहीं है कि इलेक्ट्रिक्सिटी बोर्ड पॉवर हाउसेज़ को ग्रहण करने की नीति को तय करेगा। मैं निश्चित् रूप से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने इलेक्ट्रिक पॉवर हाउसेज़ हैं, उनको ग्रहण करने की सरकार की नीति है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग पॉवर हाउसेज़ की स्थिति देख कर यह कहा जा सकता है। यह देखना होता है कि कितनी केपीटल इन्वॉल्व्ड है, क्या असेट्स हैं। यह जनरल बात नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : आपने जवाब में कुछ समय फरमाया है। क्या आप कोई निश्चित समय बता सकेंगे ? यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन पिछले चार साल से है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह कुछ अर्से पहले ही तय हुआ है। अब इस पॉवर हाउस की जो असेट्स हैं, उनकी लिस्ट बनेगी और दूसरे काम पूरे करने होंगे, इसमें टाइम लगने वाला है।

श्री मोहब्बतसिंह : कोई डेफीनेट समय बतावें ?

श्री रामकिशोर व्यास : डेफीनेट समय नहीं बता सकते।

श्री मोहब्बतसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मसले को सुलझाने में पिछले ४ साल का समय लग गया है ?

श्री अध्यक्ष : अब इतना समय और नहीं लगेगा।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मैं जानना चाहता हूँ कि सिरोही पॉवर हाउस को ग्रहण करने की सरकारी नीति का आधार क्या है ? सरकार ने सुविधा की दृष्टि से यह फैसला किया है या सरकार की यह नीति है कि जितने भी प्राइवेट पॉवर हाउस हैं, उनको सरकार ले लेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि इन्डीविजुअल केसेज़ में सोचने की बात है। सेटिसफेक्ट्री वर्क नहीं था, यह नहीं कह सकते।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या एक कारण यह भी था कि इस पॉवर हाउस से सरकार ७०–८० हजार रुपया मांगती है और यह पॉवर हाउस अगर नहीं लिया जायगा, तो कोई दूसरी सूरत नहीं है कि सरकार रुपये को वसूल कर सके ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर ऐसा है, तो भी क्या हर्ज है।

प्रश्न संख्या १६५

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

सिरोही से सिरोही रोड तक मेटल रोड पर कार्पेटिंग

१६६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Public Works Minister be pleased to state:

Is the Government taking up the carpeting of Sirohi to Sirohi Road, metal road?

श्री भीखाभाई : Yes.

कारागार विभाग के पदाधिकारियों सम्बन्धी

१६७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कारागार विभाग में, कितने सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट तथा जेलर, असिस्टेंट अथवा डिप्टी जेलर हैं और वे किस किस जेल पर तैनात हैं?

(२) उपरोक्त अधिकारियों के ड्यूटी के के क्या समय निश्चित किये हुए हैं? क्या इन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(३) उन्हें वेतन के अतिरिक्त अन्य क्या सुविधाएं दी जाती हैं?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१)

(नोट—प्रश्न १ का उत्तर नीचे देखिये)

श्री तनसिंह : दूसरे और तीसरे पार्ट का जवाब दे दीजिये, आपको कष्ट हो रहा होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यह हो गया।

(२–३) वैसे तो आठ घंटे का निश्चित समय है परन्तु आकस्मिक कार्य की पूर्ति के लिये उनके अहाते जेल में २४ घन्टे रहने की जरूरत है। वे जब और जैसी परिस्थितियां अनुमति दें साप्ताहिक छुट्टियां ले सकते हैं लेकिन बारी बारी से इजाजत लेकर।

श्री तनसिंह : यह आठ घन्टे का

जेल का नाम	सुपरिन्टेंडेंट	डि० सुपरिंटेन्डेंट	जेलर	डि० जेलर	असि० जेलर्स
सेन्ट्रल जेल, जयपुर	१	१	२	३	१
सेन्ट्रल जेल जोधपुर	१	१	२	२	१
डिस्ट्रिक्ट जेल, उदयपुर	१	....	१	....	....
डिस्ट्रिक्ट जेल, बीकानेर	१	....	२	१	१
डिस्ट्रिक्ट जेल, कोटा	१	....	१	....	....
डिस्ट्रिक्ट जेल, अलवर	१	....	१	....	....
मोडल जेल, अजमेर	१	....	१	१	१
डिस्ट्रिक्ट जेल, भरतपुर	....	१	....	१	....
डिस्ट्रिक्ट जेल, गंगानगर	....	१	....	१	...
डिस्ट्रिक्ट जेल, भीलवाड़ा	....	....	१	----	....
डिस्ट्रिक्ट जेल, बांसवाड़ा	....	....	....	१	....
डिस्ट्रिक्ट जेल, टोंक	....	....	....	१	....

(श्री तनसिंह)

निश्चित समय है, क्या इसका पालन भी किया जाता है, या वे २४ घन्टे ड्यूटी पर रहें ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिले के जो मुलाजिम हैं, वे २४ घन्टे तक ड्यूटी पर समझे जाते हैं, किसी भी वक्त जरूरत हो उनको बुलाया जा सकता है, रात में भी उनको बुलाया जा सकता है। वैसे उनकी आठ घंटे की ड्यूटी है।

श्री तनसिंह : यदि वे २४ घन्टे ड्यूटी पर समझे जाते हैं, तो इसके बदले क्या उनको कोई एलाउन्स वगैरह मिलता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह उनकी ड्युटी का पार्ट है, इसके लिये उन्हें कोई सेपरेट एलाउन्स नहीं मिलता है।

श्री तनसिंह : अन्य सर्विसेज़ का ध्यान रखते हुये जब आठ घंटे में उनके पास काम न हो, तो क्या वे घर बैठ सकते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : ड्युटी की नेचर ही ऐसी है कि किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है।

श्री तनसिंह : किसी भी वक्त बुलाया जा सकता है, यह दूसरी बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आठ घंटे के अतिरिक्त वे काम करते हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे बैठ सकते हैं, अगर जरूरत हो तो।

श्री तनसिंह : कर सकते हैं या करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डीविजुअल के लिए पूछें तो बताऊं।

श्री तनसिंह : जब रिलीविंग स्टाफ नहीं है, तो उनको अधिक समय तक काम करना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नेचर ऑफ वर्क की वजह से उन्हें अधिक समय काम करना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो जाय, कोई और ट्रवल हो जाय, तो सुपरिटेन्डेन्ट को आना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इनको इस प्रकार काम करना पड़ता है, तो क्या दूसरे विभाग के लोगों को भी इस प्रकार काम करना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितना काम से सम्बन्ध हो, उतना।

श्री मुरलीधर व्यास : गवर्नमेंट होस्टल के जो कर्मचारी हैं, उनको आठ घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : होस्टल के बारे में नहीं कह सकता। आप जेल के बारे में पूछें।

(हंसी)

ग्राम रोहेड़ा सनवाड़ा (त० पिंडवाड़ा) में मेटर्निटी सदन खोलने सम्बन्धी शासकीय योजना

१६८. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Minieter for Public Health be pleased to State: Does the Government contemplate to open maternity homes at Roh-era and Sanwada villages in Tehsil Pindwara of Sirohi district ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : जी नहीं।

Page No.13

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर है कि दोनों जगह ब्लॉक एरिया में पड़ती हैं और ब्लॉक अधिकारी ने सिफारिश की है कि वहां मेटर्निटी होम खोले जायं ?

श्री भीखाभाई : सरकार को यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इत्तला अवश्य आई है, लेकिन विकास समिति की ऐसी सिफारिश नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि दोनों जगह भवन बनाने को जनता तैयार है, बशर्ते कि सरकार मेटर्निटी होम चलाये ?

श्री भीखाभाई : ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि दोनों जगह मेटर्निटी होम्स चाहते हैं, लेकिन सरकार की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में एन. ई. एस. ब्लॉक में इन दोनों गांवों को लेने का विचार है। माननीय सदस्य ने जिन एरिया का जिक्र किया है, उस पर विचार किया जायगा और आया मेटर्निटी होम्स खोले जा सकें, इस पर विचार किया जायगा।

श्री मोहब्बतसिंह : दोनों जगह ब्लॉक के अन्दर नहीं यह कहा गया, मैं यह बताना चाहता हूं कि ये दोनों ब्लॉक के अन्दर ही हैं।

श्री भीखाभाई : एन. ई. एस. ब्लॉक में होगी, जब तक सी. डी. ब्लॉक नहीं होता तब तक डिस्पेन्सरी, औषधालय नहीं खोले-जाते।

श्री मोहब्बतसिंह : एन. ई. एस. ब्लॉक अब सी. डी. ब्लॉक बन गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : यह ब्लॉक वालों से या पब्लिक हैल्थ वालों से पूछते। यह अलग प्रश्न है।

श्री मोहब्बतसिंह : अलग प्रश्न है कैसे है........

श्री जनार्दनराय नागर : क्या यह समझा जाय कि जहां राष्ट्रीय विकास खण्ड नहीं हैं वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते, इसीलिए वहां अस्पताल और औषधालय खोलने का नहीं रखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां औषधालय पहले से ही खुले हुए हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : फिर सरकार ने कैसे यह नीति बनाई है कि वहीं डिस्पेन्सरीज़, औषधालय खोले जायेंगे जहां राष्ट्रीय विकास खण्ड खोले गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ८० सेंटर खोलना निश्चित किया गया है, उनमें से १४ इस साल खोले गये हैं। हम वैसे सभी जगह खोलना चाहते हैं, फाइनेन्सेज़ की कमी है इसलिये नहीं खोल सकते।

श्री मोहब्बतसिंह : सिरोही डिस्ट्रिक्ट में इस साल कौन कौन सी जगह खोलने को हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलहदा से पूछें।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार इस चीज को विचाराधीन लेने को तैयार है कि जहां भवन बनाने की सुविधा देने को लोग तैयार हैं, जहां भवन देने को तैयार हैं वहां २ मेटर्निटी होम्स चलावे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस साल १४ हैल्थ सेंटर्स खोलने हैं, सेकिन्ड इयर प्लान का है, इसमें प्राइमरी हैल्थ सेंटर ही खोले जायेंगे, यह सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

आप कहते हैं उस प्रकार करने के लिये बजट नहीं है फिर भी जिस समय इस प्रकार का विचार किया जायगा तो इस पर विचार किया जायगा ।

श्री मनोहर कोठारी : तो क्या शहरों में जहां सी० डी० ब्लॉक होंगे उसके अलावा दूसरी जगह नहीं खोले जायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शहरों के लिये प्रोविज़न अलग है ।

श्री मोहब्बतसिंह : सिरोही के पिंडवाड़ा ब्लॉक के अन्दर कितनी जगह खोलने का सरकार का इरादा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक एक ब्लॉक में एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने की योजना है, ८० सेंटर खोलने हैं हर एक में नहीं खोल पायेंगे ।

श्री मनोहर कोठारी : अब तक किन किन सी०डी० ब्लॉक्स में प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोले गये हैं और कितनी जगह बाकी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका इस सवाल से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : १४ सेंटर किस किस जगह खोलने हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हालांकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं फिर भी यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि १४ खोले हैं, किस किस जगह खोले हैं उन स्थानों के नाम मेरे पास अभी नहीं हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मन्त्री महोदय लिखित उत्तर देने को तैयार हैं कि जहां सी० डी० ब्लॉक्स नहीं हैं वहां औषधालय खोलने का सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, यह सरकार की नीति विषयक सवाल है, इस बारे में लिखित उत्तर चाहता हूँ कि क्या जहां राष्ट्रीय विस्तार खण्ड खोलने का प्रावधान है वहीं औषधालय खोले जायंगे, दूसरे क्षेत्र जो सी० डी० ब्लॉक्स में नहीं आते वहां नहीं खोले जायेंगे। मैं इसका उत्तर लिखित रूप में चाहता हूँ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सारे राजस्थान में हर एक गांव में ब्लॉक्स हो जायेंगे ।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार समझती है जहां सी० डी० ब्लॉक्स नहीं खोले जाते वहां के लोग बीमार नहीं होते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह कब कहा । मैंने तो कहा है कि ब्लॉक्स सब जगह होंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में अलग अलग वर्षों में फसल प्रतियोगिताएं

१६६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किन किन जिलों में किस किस वर्ष फसल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उनमें कितना रुपया इनामों पर खर्च किया गया ?

(२) प्रति जिले में प्रथम विजेताओं का प्रति एकड़ क्या उत्पादन रहा तथा वहां

(श्री तनसिंह)

का साधारणतया औसत उत्पादन क्या रहता था ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(१) राजस्थान के जिलों में जिन जिन वर्षों में फसल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, उनकी तालिका संलग्न हैं।

(२) राजस्थान में सन् १९५०–५१ से सन् १९५३–५४ तक कुल रुपया १०,१२३ इनामों पर खर्च किया गया है।

तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तनसिंह : ५३–५४ के बाद प्रतियोगिताएं बन्द क्यों कर दी गई ?

श्री दौलतराम : सेंट्रल गवर्नमेंट जो एड देती थी, वह उसने बन्द कर दी इसलिये।

श्री तनसिंह : क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की एड से ही प्रतियोगिताएं हो रही थीं, उनमें राजस्थान सरकार का कोई हिस्सा नहीं था ?

श्री दौलतराम : सेंट्रल गवर्नमेंट की एड से ही होती थीं।

श्री तनसिंह : सेंट्रल गवर्नमेंट एड बन्द कर देती है इसलिये राजस्थान सरकार उस प्रतियोगिता को ही बन्द कर दे, यह कहां तक उचित है ?

श्री दौलतराम : सरकार ने यही उचित समझा।

श्री तनसिंह : यह बताइये कि टौंक और पाली डिस्ट्रिक्ट्स में जब कि एवरेज यील्ड पर एकड़ १५० मन से २०० मन का था तो १३६ मन हाइयेस्ट यील्ड पर एकड़ पर कैसे इनाम दिया ? और पाली में ६० मन जहां एवरेज यील्ड पर एकड़ है वहां ५५ मन हाइयेस्ट यील्ड पर एकड़ पर आपने इनाम दिया है, तो किस प्रकार से ये इनाम दिये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : फिगर्स में गलत टाइप हो गया, १५० मन है वहां १०० मन है, २०० मन गलत टाइप हो गया है, २०० सेर है।

श्री तनसिंह : यह तो असेम्बली के कागजों में आया है, हमें मालूम नहीं, आगे भी और गलती हो तो बता दें।

हां, पाली के विषय में बता दीजिये कि एवरेज यील्ड पर एकड़ ६० मन है वहां ५५ मन के हाइयेस्ट यील्ड पर इनाम दिया है, यह कैसे, क्या वह भी गलत है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे खयाल से यह भी गलत है।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह खयाल से गलत है या वास्तव में गलत है ?

श्री अध्यक्ष : गलती तो निश्चत है।

श्री तनसिंह : इस तरह गलत आन्सर दिये जायें तो इसका क्या परिणाम होना चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सही कर दिया जाना चाहिये।

श्री तनसिंह : न मालूम इनमें सारे के सारे गलत हों ?

श्री अध्यक्ष : He will supply you the corrected figures.

श्री नाथूराम मिर्धा : टाइप की मिस्टेक है।

श्री तनसिंह : आपके पास सही फिगर्स हों तो बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपके (माननीय सदस्य के) पास भी वही फिगर्स हैं जो आपके (श्री मिर्धा के) पास हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या यह सही है कि सब ख्याली ही जवाब दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

थाना खाटू (सीकर) की ओर से चन्द्रा मीना का चालान

२००. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या एस. डी. ओ. सीकर की अदालत में थाना खाटू की ओर से चन्द्रा पुत्र अर्जुन मीना का धारा ११० आर. पी. सी. के अन्तर्गत चालान किया गया है ?

(२) क्या उपरोक्त केस में चार्ज शीट में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है 'यह बदमाश कुछ सफेदपोश बदमाशों की मदद से निर्भय घूमता है" ?

(३) 'सफेदपोश' शब्द की क्या व्याख्या है, तथा थाना खाटू के अन्तर्गत रहने वाले ऐसे सफेदपोश बदमाशों की एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष, यह क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकेगा। क्योंकि सब जुडिस है, It is pending before a court.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This question does not relate to the case.

श्री अध्यक्ष : Let us hear the answer.

श्री मूलचन्द डागा : क्योंकि इस में लिखा है कि मुकदमा जेर तजवीज है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं है, क्वेश्चन पढ़िये।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) 'सफेदपोश' शब्द का अर्थ श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, जिसकी और अधिक व्याख्या के लिये शब्द कोष देखा जाय।

ऐसी कोई सूची पुलिस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि उस चार्ज शीट में लिखा जाता है कि उस जिले के प्रभावशाली व्यक्ति उसकी मददपर हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह क्या पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि जिन लोगों को गवाही देने के लिये तैयार किया गया है वे हिस्ट्री शीटर्स हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : और अधिक बातें, मामला सब-जुडिस होने के कारण बताना उचित नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप ने एस. डी. ओ., सीकर से पूछा कि सफेदपोश बदमाश कांग्रेस के लोग ही ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

डिवीजनल हैड क्वार्टर्स स्थित अस्पतालों में राजस्थान निर्माणार्थ के पश्चात् बैड्स

२०१. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या स्वस्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

डिवीजनल हैड क्वार्टर्स स्थित अस्पतालों में राजस्थास बनने से एक वर्ष पूर्व कुल कितने बैड्स थे एवं उनका कितना कितना बजट था ? सन् १९५७-५८ में उपरोक्त अस्पतालों में कितनी शैय्याएं (Beds) हैं एवं उनका कितना बजट है ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : राजस्थान के डिवीजनल हैडक्वार्टर्स में राजस्थान बनने से एक वर्ष पूर्व स्थित अस्पतालों में जितनी शैय्याएं थीं एवं जितना बजट था व सन् ५७-५८ में उपरोक्त अस्पतालों में कितनी शैय्याएं एवं बजट है, उसका ब्योरा निम्नलिखित है :

डिवीजनल हैडक्वार्टर्स का नाम	रोग शैय्याएं	बजट	रोग शैय्याएं	बजट
जयपुर			६०३	१५,४३,८१६ रु०
सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	३८३	अलग बजट नहीं होता	१६१	२,६१,४१२ रु०
जनाना अस्पताल, जयपुर	१६१	था सारे मेडिकल वि०	८६	६३,८११ रु०
के. जी. बी. सेनीटोरियम, जयपुर	२०	का एक ही बजट था	३५	७५,००० रु०
दुर्गापुरा टी. बी. सेनीटोरियम, जयपुर		पहले नहीं था	१८०	९०,०५२ रु०
मानसिक चिकित्सालय, जयपुर	८०		७५	५३,९८१ रु०
लेजरटो व आईसोलेशन अस्पताल, जयपुर	७५		४०	२८,२०० रु०
लीपर एसाइलम, जयपुर	४०			
				२१, १६, २७२ रुपया
कोटा			८०	२,३८,३२० रु०
जनरल अस्पताल, कोटा	५०		४०	५७,४०५ रु०
मेटर्निटी अस्पताल कोटा	२२			
				२,९५,७२५ रु०
जोधपुर			५१८	१३,०७,५७५ रु०
महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर	४०९	अलग बजट नहीं था	३००	४,७८,९५६ रु०
उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	३००	सारे मेडिकल विभाग	१२	३९,७५४ रु०
टी. बी. क्लीनिक, जोधपुर		का एक ही बजट	५५	२०,७६८ रु०
लीपर एसाइलम, जोधपुर	५५	होता था	६०	३७,४७९ रु०
मानसिक चिकित्सालय, जोधपुर	६०		१८	१३,०१९ रु०
आइसोलेशन अस्पताल, जोधपुर	१८		१७	८,४९८ रु०
चोपासनी अस्पताल, जोधपुर	१७			
				१९,०६,०४९ रु०

Page No.18

उदयपुर				
जनरल अस्पताल, उदयपुर	२००	३,१५,६६६	३५०	६,१७,११७ रु०
जनाना अस्पताल, उदयपुर	२०	१२,१६४	२०	५६,१६५ रु०
मानसिक चिकित्सालय, उदयपुर	२४	११,३२६	२४	१६,१६६ रु०
क्षय चिकित्सालय, बाड़ी, उदयपुर	२५	३६,३३५	२५	५६,५४५ रु०
		३,७८,८५१		७,४५,६६६ रु०
बीकानेर				
कु० विजयसिंह स्मारकीय मर्दाना अ०, बीकानेर	३१६	६,३६,३३० रु०	३१७	८,३६,०८६ रु०
जनाना अस्पताल, बीकानेर	२१५	२,४७,४१८ रु०	२३०	३,२२,१६८ रु०
क्षयरोग अस्पताल, बीकानेर	६२	८६,७६६ रु०	१०१	१,५४,५६० रु०
		६,७०,५४४ रु०		१३,१५,८७४ रु०

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न डिवीजनल हैडक्वार्टर्स के लिए था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उत्तर हैडक्वार्टर का ही दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बालोत्तरा से पचपदरा तक पक्की सड़क बनाने की शासकीय योजना

२०२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बालोतरा से पचपदरा तक सरकार की कोई पक्की सड़क बनाने की योजना है ?

(२) यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : पचपदरा में नमक की मन्डी है और व्यापार होता है, इसके लिए क्या सरकार सड़क की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पचपदरा से बालोतरा तक सड़क बनी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पक्की सड़क बनी हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़क बराबर काम दे रही है। आप यहां पर बैठे हैं, मैं हमेशा देखता हूँ, जाता हूं।

श्री अनूपसिंह : क्या सरकार उसको मेटल रोड बनाने का विचार करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं। इसका सीधा जवाब यही है और मैं बताना चाहता हूं कि ३५ करोड़ की ओरिजनल ग्रान्ट भेजी थी उसमें से ६ करोड़ मंजूर हुई है। इसमें भी १५ या २० पर्सेंट इन्क्रीज हो गया है

Page No.19

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसलिए सड़क तो कभी भी बन सकती है। लेकिन जितना पैसा होगा उतनी ही सड़क बनाई जाएगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि रोज जाता हूं और देखता हूं, क्या आपने सड़क की हालत देखी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जाते हैं तो सड़क की हालत देखते हैं।

पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को भेजी गई तस्कर व्यापारियों की सूची

२८३. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या पंजाब सरकार द्वारा गंगानगर जिले के तस्कर व्यापारियों की कोई सूची राजस्थान सरकार को भेजी गई है ? यदि हां, तो उस सूची में किन किन के नाम हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : पंजाब सरकार से ऐसी कोई सूची राजस्थान सरकार के पास नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान में एम्पलोयमेंट एक्सचेंज सेन्टर्स एवं इनमें प्रति वर्ष पंजीवृद्धि किये गये व्यक्ति

२८४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज सेन्टर्स कहां कहां हैं ?

(२) गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष प्रत्येक सेन्टर पर कुल कितने व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध किये गये तथा इनमें से कितने लोगों को नौकरियां दी गईं ?

(३) उपरोक्त इन सेन्टर्स का वार्षिक खर्चा क्या है ?

श्रम मन्त्री (श्री चन्द्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) राजस्थान में एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज सेन्टर्स निम्न स्थानों पर हैं :
(१) अजमेर (२) अलवर (३) भरतपुर (४) बीकानेर (५) जयपुर (६) जोधपुर (७) कोटा (८) भीलवाड़ा (९) पाली (१०) उदयपुर (११) श्री गंगानगर (१२) सवाई माधोपुर

(२) पिछले पांच सालों में प्रत्येक सेन्टर पर निम्न संख्या में व्यक्तियों के नाम पंजीबद्ध किये गये।

	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५
(१) अजमेर	२५१७३६	२०२२२	१२५८४	१३३७३	१४५२६
(२) अलवर	२२६३	२२५७	२८०८	२६३	३६७८७
(३) बीकानेर	२०८८	२००१	२४५४	३४६५	५७४७
(४) जयपुर	६२६८	७०८२	७२७५	६४७२	७१७१
(५) जोधपुर	६९३९	५६३३	५३५८	६५२९	७८१७
(६) उदयपुर	५०९	५१३	३४६५	५८२३	६८२४
(७) कोटा (१९५२ में खोला गया)		२१९३	३४८३	२४६७	२५०८

Page No.20

(श्री रामकिशोर व्यास)

सवाई माधोपुर, गंगानगर, भरतपुर, पाली व भीलवाड़ा, दूसरी पंचशील योजना के अन्तर्गत चालू किये गये हैं।

पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक सेन्टर पर निम्न संख्या में व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई :

अजमेर	११६५६	६२५१	२४४७	७८८	१०६६
बीकानेर	६२०	५३०	२६७	२६५	५६३
अलवर	६२४	६०८	३०७	४७६	२७७
जयपुर	२०३६	६२७	६६६	४६६	५३०
जोधपुर	२६५८	१३१६	६५६	५७७	५६५
उदयपुर	७०	१८६	४६७	७६२	१०३०
कोटा (१६५२ में खोला गया)		१२६	३३४	१४०	१६१

इस तरह से सवाई माधोपुर, गंगानगर, भरतपुर, पाली व भीलवाड़ा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चालू किये गये।

(३) इन सेन्टरों का वार्षिक खर्चा (१६-५७—५८) के बजट के अनुसार २,२१,-६४० है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या सर्विसेज़ में इन एक्सचेन्ज से मांग की जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, वरना ए. जी. बिल पास नहीं करता है।

श्री जनार्दनराय नागर : जो लोग यहां रजिस्टर होकर आते हैं उनके सिलेक्शन का काम भी क्या उनको दे रखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे लोग नाम दर्ज करते हैं और उन क्वालीफिकेशन के नामों को वे भेज देते हैं और उनमें से सिलेक्शन कर लिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकारी कर्मचारियों में बहुत सारी भर्ती बिना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के ही की जाती है, यह सरकार की जानकारी में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पशु-उन्नति हेतु चारा उत्पादकों को सरकार ओर से सुविधाएं

२०५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पशु-उन्नति हेतु चारा उत्पादकों को सरकार की ओर से क्या सुविधाएं प्राप्त हैं तथा चारागाह के निर्माण एवं उनकी उन्नति के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम) : चारागाहों के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि जहां चराई के लिये भूमियां न हों, वहां प्रति मवेशी आधा बीघा के हिसाब से चराई के लिये भूमि छोड़ी जाने की व्यवस्था, जहां तक भूमि उपलब्ध हो, की जाती है। जहां तक चारा उत्पादकों का सवाल है इस प्रकार की काश्तकारों की कोई विशेष श्रेणी वहां नहीं है। लेकिन किसानों को चारा उत्पादन

(श्री दौलतराम)

के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों द्वारा सलाह दी जाती है और उन्नत किस्म की घास आदि के बीज उपलब्ध करने में सहायता दी जाती है। वन विभाग द्वारा चारागाहों को उन्नत करने के लिये रेशनल ग्रेजिंग की प्रणाली को भी शुरू किया गया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मवेशियों की डेफिनेशन में कौन कौन जानवर इन्क्ल्यूड किये जाते हैं ?

श्री दौलतराम : जितने चार पैर वाले पशु हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इसमें भेड़ और बकरी को भी माना है।

श्री दौलतराम : जी हां।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उनके लिये भी उसी हिसाब से छोड़ने के लिये तैयार हैं ?

श्री दौलतराम : जहां उपलब्ध हो।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार को इस बात का ध्यान है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में भेड़ और बकरी के लिये आधा बीघा जमीन नहीं दी जाने की बात है और यह केवल गाय बैल, भैंस आदि के लिये ही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका सीधा सम्बन्ध तो रेवेन्यु मिनिस्टर से है और जो काम हम करते हैं उसका कुछ हिस्सा फोरेस्ट से सम्बन्ध रखता है। जैसा मैंने कहा आधा बीघा, यह सब जगह मौजूद है इसमें सब आ जाते हैं, भेड़ बकरी भी आ जाती हैं और इसी हिसाब से इन्सट्रक्शन्स जारी किये जाते हैं।

श्री तनसिंह : क्या ऊंट, भैंस और गधे के लिये भी है ? सब के लिये आधा बीघा जमीन छोड़ने के लिये क्या आधार हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी का पेट मोटा है तो किसी का पेट छोटा, सब के लिये होने से बराबर हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : गधे के लिये आपने क्या किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका जवाब आपको दे दिया है। गधा भी उसमें शामिल है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरकारी दौरे पर जानेवाले पुलिस कर्मचारियों को टी. ए., डी. ए.

२०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पुलिस विभाग के कर्मचारी सरकारी दौरे पर जब कभी जाते हैं तो क्या उन्हें सरकार द्वारा टी. ए., डी. ए. नहीं मिलता ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या भविष्य में इस पर सरकार विचार करेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) सब-इन्सपेक्टर को जब वह अपने हल्के में दौरे पर जाता है तो उसको टी. ए. और डी. ए. नहीं दिया जाता और किसी दूसरी जगह जाता है तो उसको मिलता है। इसके अलावा समस्त पुलिस कर्मचारियों को टी. ए. और डी. ए. मिलता है।

(२) सब-इन्सपेक्टरों को कोई एलाउन्स देने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उन लोगों को टी. ए. नहीं देने से वे फ्री बसों में ट्रेविल करते हैं, यह बात सरकार को विदित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी ड्यूटी है........

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या उनके साथ होम मिनिस्टर की सांठ-गांठ है कि वे फ्री ट्रेविल करें ?

श्री रामकिशोर व्यास : होम मिनिस्टर होने के नाते उनसे मेरा सम्बन्ध है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उन लोगों को फ्री ले जाने का नुकसान वे लोग जनता से वसूल करते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या गृह मंत्री का यह आदेश है कि वे फ्री जावें ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं यह बता देना चाहता हूं कि उनके लिये ऊंट मौजूद हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वे लोग फ्री जाते हैं। एक मोटर जिसमें २६ सवारी के बैठने का स्थान होता है उसमें आप १० पुलिस कर्मचारियों को फ्री पावेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : यदि वे ऐसा करते हैं तो गलत बात है। यदि आप कोई इन्सटान्स बतावें तो जरूर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मन्त्री महोदय किसी भी गाड़ी में जाकर चैक कर सकते हैं। उनको उन गाड़ियों में पुलिस वाले बिना टिकट बैठ हुए जरूर मिलेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप सूचना देते, I can enquire into the matter.

श्री तनसिंह : आपका पुलिस वालों से कैसा ताल्लुक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस तरह के ताल्लुक हैं कि मैं होम डिपार्टमेंट का होम मिनिस्टर हूँ और मिनिस्टर होने के नाते मेरे उनके साथ वैसे ही ताल्लुक हैं।

ग्राम पंचायतों में हरिजनों को रिहायशी अहाते देने की दर इत्यादि

२०७. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पंचायतों में हरिजनों को रिहायशी अहाते किस प्रकार से व किस रेट पर दिये जाते हैं ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि गांवों में अहाते देते समय सरपंच पक्षपातपूर्ण नीति का व्यवहार करते हैं और हरिजनों को अधिकतर रिहायशी अहाते प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार हरिजनों की उक्त समस्या का हल निकालने के लिए कोई उचित व्यवस्था करेगी ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री दौलतराम) : (१) ऐसी कोई रियायती रेट निर्धारित नहीं है जिस पर हरिजनों को अहाते दिये जाते हैं। परन्तु आबादी भूमि विक्रय नियम (१६) के अनुसार अगर पंचायत अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के लिए चाहे तो वह उन्हें आबादी भूमि बिना नजराना के प्रदान कर सकेगी, या उन्हें ऐसी भूमि बिना नीलाम किये बेच सकेगी। ऐसी दशा में हरिजनों को अहाता

(श्री दौलतराम)

मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और न कभी ऐसी सिकायत सरकार के ध्यान में आई।

(२) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल पंवार : यदि सरकार के सामने ऐसी शिकायत आये तो क्या गंभीरता से विचार किया जायगा ?

श्री दौलतराम : अवश्य।

श्री मूलचन्द डागा : अगर ग्राम पंचायतें जमीन देने से इन्कार कर दें तो उसके आगे कहां जा सकते हैं ?

श्री दौलतराम : तहसील पंचायत में।

श्री मूलचन्द डागा : मगर कानून में तो मनाई है कि वह तहसील पंचायतों में नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : Please consult the law about such matters.

गत छः वर्षों में बीकानेर जिले की विभिन्न तहसीलों में सड़कें

२०८. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

पिछले छः वर्षों में बीकानेर जिले की किन-किन तहसीलों में कितने-कितने मील की सड़कें बनी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : तहसील बीकानेर में ८ मील सड़क बनाई गई व २४ मील सड़क पर डामर कराया गया।

तहसील नोखा में ७ मील सड़क पर डामर कराया गया।

तहसील कोलायत में १० मील सड़क पर डामर कराया गया।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस प्रकार से पंच वर्षीय योजना में सड़कें बनाने की योजना थी क्या उसके अनुसार तहसील में सड़कें बनाने का काम कुछ रह गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो हम बिलकुल योजना के कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहे हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई सड़क ऐसी है कि जो योजना के पीछे रह गई है तो मैं उसके बारे में और जानकारी कर लूंगा।

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर से जामसर तक सड़क बनाने की कोई योजना थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न अलग से पूछें तो अच्छा रहेगा।

श्री गिरधारीलाल : पिछले छः सालों में कितनी लम्बी सड़कें बनाने का प्रोवीज़न रखा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहली पंच वर्षीय योजना में एक लाख ३६ हजार ७३० रुपये खर्च किये थे और इतना ही इसमें प्रोवीजन था और इसी के मुताबिक खर्च किया गया।

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर जिले का पूछ रहा हूं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बीकानेर जिले की ही कह रहा हूं ?

श्री गिरधारीलाल : कितनी मील लम्बी सड़क बनाने का प्रोवीजन था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुल जितना प्रोवीजन था वह पंच वर्षीय योजना में था। वह मैंने जितनी लम्बी लैंग्थ बताई है उतनी ही थी।

श्री गिरधारीलाल : आप बता दीजिए न ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सब बता दिया है आप जरा जोड़ लीजिए।

श्री भीमसेन : बीकानेर तहसील में कितने टुकड़े आपने बताये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, वह अलग अलग मेरे पास हैं, वह इस प्रकार हैं:

(१) } (उत्तर अनुमोदित होकर प्राप्त
(२) } नहीं हुआ)

(३) नापासर रेल्वे स्टेशन से नापासर टाउन १॥ मील

(४) बीकानेर से लूनकरणसर ४ मील

श्री भीमसेन : यह रोड्स डेवलपमेंट प्लान के अन्डर बनाई गई या किसी और प्लान के अन्डर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रुपया प्लानिंग डिपार्टमेन्ट से ही खर्च किया गया।

गत तीन वर्षों में बिजली विभाग में नियुक्त नये इन्जीनियर

२०६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पिछले तीन वर्षों में बिजली विभाग में कितने नये इन्जीनियर नियुक्त किये गये हैं ?

(२) इससे पूर्व कितने इन्जीनियर थे और आज कितने हैं ?

(३) आज से तीन वर्ष पहले तमाम बिजलीघरों में कुल वार्षिक घाटा कितना था और इस वक्त कितना है ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) समस्त सरकारी बिजलीघरों को मिलाकर कुल ४७ नये इन्जीनियर पिछले तीन वर्षों में नियुक्त किए गए, इनमें से दो ने ज्वाइन नहीं किया।

(२) तीन वर्ष पहले बिजलीघरों में कुल मिलाकर ५२ इन्जीनियर थे तथा अब ८८ हैं, अर्थात् एक स्थान रिक्त है।

(३) आज से तीन वर्ष पहले राजस्थान के तमाम सरकारी बिजलीघरों में कुल वार्षिक १-४-५२ से ३१-३-५३ तक, घाटा १६६५, ६११ रु० था। वर्तमान वर्ष के घाटे की रकम इस वर्ष के हिसाब की महालेखापाल द्वारा ऑडिट करने के बाद बतलाई जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल : यह जो नये इन्जीनियर्स नियुक्त किये गए हैं इनको सरकार ने क्यों किया ?

श्री भीखाभाई : क्योंकि नये प्रोजेक्ट बनाये जा रहे हैं। अब भी बन रहे हैं और जगह अब भी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कौन से प्रोजेक्ट वहां पर बढ़े हैं ?

श्री भीखाभाई : भाखड़ा का प्रोजेक्ट है, चम्बल का प्रोजेक्ट है और भी कई हैं।

श्री गिरधारीलाल : बीकानेर पॉवर हाउस में कौन कौन से इन्जीनियर रखे गए ?

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन बीकानेर के बारे में नहीं है। श्री प्रभुदलाल पुरोहित।

श्री गिरधारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया। बिजली-घरों में घाटे का क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : इसके लिए अलग से प्रश्न लाना चाहिए। इसका उत्तर पहले भी हाउस में दिया जा चुका है। कोल वगैरह की प्राइजेज बढ़ गई हैं, जो एन्जिन काम करते आ रहे हैं वे पुराने हैं, दूसरे और भी कई कारण हैं।

श्री गिरधारीलाल : इस घाटे को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट तहसील में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय

२१०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(१) लालसोट तहसील में क्या कोई सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय है ?

(२) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं।

(२) एलोपैथिक डिस्पेन्सरी मौजूद है। द्वितीय पंच वर्षीय योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में नवीन औषधालय की स्थापना प्रायः संबंधित जिला विकास समिति की सिफारिश पर किया जाता है। परन्तु उक्त समिति ने लालसोट में औषधालय खोलने की कोई सिफारिश नहीं की, इस कारण से यहां औषधालय खोलना उचित नहीं समझा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

तहसील कोटड़ा व गोगुन्दा (जि० उदयपुर) में पान चराई

२११. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुंदा) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिला उदयपुर की कोटड़ा तथा गोगुन्दा तहसीलों में पान चराई कौन कौन सी रेंज से ली जाती है और क्यों ?

(२) सन् ५५-५६-५७ के ठेके से राज्य को कितनी आय हुई ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) किसी में नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(२) किसी भी वर्ष में कोई ठेका नहीं दिया गया, अतः आय का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लक्ष्मण हीरात : भाखपुरा रेंज में पान चराई ली जाती है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सवाल तो आपने एक रेंज का पूछा है और अब आप बात कर रहे हैं दूसरे रेंज की। इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और इसके लिए आप मुझे नोटिस दीजिए।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि भाखपुरा रेंज में पान चराई ली जाती है ? मैं आपको बताऊं कि वहां पान चराई ली जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पूछा तो है दूसरी रेंज के बारे में और शिकायत करते हैं दूसरी रेंज की।

श्री लक्ष्मण हीरात : भाखपुरा रेंज कोटड़ा में ही है।

Page No.26

श्री नाथूराम मिर्धा : इस रेंज के अन्दर कोई पान चराई वसूल नहीं की जाती है और न कोई शिकायत हमारे पास आई है।

श्री लक्ष्मण हीरात : मुझे लिस्ट नहीं मिली है मुझे सप्लीमेंटरी सवाल पूछने में दिक्कत होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने तो उत्तर में किसी लिस्ट का जिक्र नहीं किया। मैंने तो दो शब्दों में ही कह दिया कि कोई पान चराई वसूल नहीं की जाती है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि दोनों तहसीलों में कोई पान चराई वसूल नहीं की जाती है।

नोखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में समस्त ग्राम सेवक सर्किल

२१२. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

नोखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड में कुल कितने ग्राम सेवक सर्किल हैं तथा उनमें से कितने में ग्राम सेवक व सेविकायें नियुक्त हैं ?

विकास योजना मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १० ग्राम सेवक सर्किल हैं और दसों में ही ग्राम सेवक हैं। कोई ग्रामसेविका नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : इन ग्राम सेवकों के क्या क्या काम हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्राम की सेवा करना।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ग्राम सेवा की क्या परिभाषा है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के लिए नोटिस चाहिए।

(हंसी)

श्री तनसिंह : सेविकायें भी हैं या नहीं, सेवक तो हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं हैं।

तहसील गोगुन्दा (जिला उदयपुर) में १९५६-५७ में मर्डर केसेज

२१३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर में सन् १९५६-५७ में मर्डर केसेज कितने हुए और अब वे किस स्टेज पर हैं ?

(२) क्या सायरा ग्राम में भी ऐसे केसेज हुए हैं ? यदि हां, तो कितने और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस तहसील में दो मर्डर केसों की पुलिस में रिपोर्ट हुई; इन दोनों मामलों में बा वजह अदम बकुवा (फाइनल रिपोर्ट) दी गई।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

गत एक वर्ष में किशनगढ़ पॉवर हाउस में ड्यूटी पर काम करते मारे गये कर्मचारी

२१४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मंत्री, बिजली विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले एक वर्ष में किशनगढ़ पॉवर हाउस के कितने कर्मचारी ड्यूटी पर काम करते हुए जान से मारे गये ?

(२) उक्त मृत कर्मचारियों के परिवार वालों को क्या मुआवजा दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि छोटूदास, हैल्पर भी ड्यूटी पर काम करते हुए मौत का शिकार हुआ ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(४) यदि हां, तो कब और किन कारणों से ?

(५) क्या यह सही है कि छोटूदास तारीख ३ जून, सन् १९५७ को भी ड्यूटी पर काम करते हुए बिजली के करेंट से घायल हुआ था ?

(६) यदि हां, तो उसमें अपराध किसका था और लाइन पर काम करते हुए पॉवर हाउस को क्यों चालू रखा गया और पॉवर हाउस को चालू करने की जिम्मेदारी किसी की थी ?

(७) छोटूदास के घायल होने व मृत्यु के लिए कौन कौन अपराधी हैं ? उनके लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(८) छोटूदास जब दुबारा काम पर लगाया गया तो क्या वह स्वस्थ था ?

(९) क्या यह सही है कि डाक्टरी राय छोटूदास को आराम देने की थी ? यदि हां, तो उसको काम पर क्यों लगाया गया ?

गृह एवं विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : प्रश्न की पूरी जानकारी अभी मेरे पास नहीं आई है और इसका उत्तर मैं नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। जवाब तो आ चुका है लेकिन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स के लिए मसाला नहीं प्राप्त हुआ है। इसका उत्तर बाद में दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अधिक नहीं पूछूंगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने इस क्वेश्चन के बारे में और रिपोर्ट वगैरह मंगाई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में दे देना।

(विराम)

Question No. 182

उदयपुर के एडीशनल सेशन्स जज की न्यायालय में कुछ वकीलों को पब्लिक प्रोसीक्युटर बनाने सम्बन्धी सिफारिशें

१८२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (श्री अर्जुनदास की अनुपस्थिति में) : Will the Law Minister be pleased to state :

(a) Whether names of some lawyers were recommended by the District judge and District magistrate for the post of public prosecutor in the court of additional Sessions Judge at udaipur ?

(b) Is it a fact that the man finally selected is junior most amongst them ?

(c) Is it also a fact that the person now appointed as public prosecutor is already a lecturer in the law college ?

(d) Is it true that some represention were made against this decision, by the lawyers of udaipur ?

गृह एवं विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) (1) Shri Samvantmal Bapna.

(2) Shri Roshanlal Badola.

(3) Shri Basantilal Sarupariya.

(b) Shri Basantilal was considered to be most suitable for the post and therefore he was appointed.

Page No.28

(श्री रामकिशोर व्यास)

(c) Shri Basantilal Sarupariya is a part-time Lectuaer in the Law College. There is no restriction in the rules to the appointment of an Advocate as a part time public prosecutor while he is also functioning as part time law lecturer. The appointment has not been made on political grounds.

(d) No representations appear to have been received by the Government.

श्री मनोहर कोठारी : क्या इन लोगों के सिवाय दूसरे लॉयर्स की भी एप्लीकेशनें थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : एप्लीकेशनें तो होंगी लेकिन कलेक्टर साहब ने तीन नाम रिकमण्ड करके भेजे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीनों के अन्दर ये जुनियर मोस्ट थे या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अपोइन्टिंग ऑथोरिटी गवर्नमेन्ट है, जिसको ठीक समझा उसको नियुक्त किया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीनों की स्टेडिंग केपेसिटी बार के अन्दर क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से जूनियर आदमी हों और वे अच्छा काम कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What was his standing at the time of his appointment; then we can decide whether they were junior or not.

श्री रामकिशोर व्यास : He has a good practice at the bar, good reputation and he is a part time lecturer.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mr. Speaker, I want duration of his practice at the bar. Then and then only we can decide the juniority or seniority, not according to what the Law Minister or Home Minister says.

श्री रामकिशोर व्यास : Juniority or seniority is not a criterion, I have said.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I want time. He is not replying.

श्री अध्यक्ष (गृह मन्त्री से) : Is that information with you ?

रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री अध्यक्ष : You can say that.

प्रश्न संख्या १८३

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

बून्दी म्युनिसिपल कमेटी के इस वर्ष के बजट की स्वीकृति

१६१. श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बूंदी म्युनिसिपल कमेटी के इस वर्ष के बजट को स्वायत्त शासन विभाग में स्वीकृति के लिये भेजे हुए छ माह का अर्सा हो गया है और अभी तक स्वीकृति प्रदान कर वापिस नहीं लौटाया है ?

(२) यदि हां, तो इतने विलम्ब का क्या कारण है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) बूंदी म्युनिसिपल कमेटी का इस वर्ष का बजट २२।७।१६५७ को प्राप्त हुआ था जिसको स्वीकृत कर १६।६।५७ को भेज दिया गया है।

(२) ऊपर के भाग के उत्तर को देखते हुए विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सोइल कन्जर्वेशन सम्बन्धी योजना

१६३. श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में भूमि संरक्षण (सोइल कन्जर्वेशन) सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने रकबे का संरक्षण निर्धारित किया गया है तथा उस पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है?

(ग) किन किन जिलों में यह समस्या विकट है और सरकार ने इसके संरक्षण के हेतु क्या क्या तरीके अपनाये हैं?

उप-कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम)

(क) जी हां, है।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना का फेज्ड प्रोग्राम तथा वार्षिक धन राशि निर्धारित की गई है और उसके ब्यौरे की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) राजस्थान के दक्षिणी भाग में भूमि क्षरण की समस्या विकट है क्योंकि वहां पर वर्षा ज्यादा होती है और भूमि का काफी हिस्सा पहाड़ी है। राज्य के कम वर्षा वाले भाग में भी यह समस्या विकट है क्योंकि इस भाग में जमीन बहुधा रेतीली है और वर्षा का अभाव रहता है जिसके फलस्वरूप इस भाग में वनस्पति का फैलाव कम होता है और रेगिस्तान की समस्या बनी रहती है। इस प्रकार राजस्थान के हर जिले में थोड़ी बहुत मात्रा में भूमि क्षरण की समस्या विकट है। कृषि विभाग द्वारा निम्नलिखित दस जिलों में इस वर्ष भूमि संरक्षण कार्य चालू कर दिया गया है :

(१) बांसवाडा (२) डूंगरपुर (३) जयपुर (४) जोधपुर (५) नागोर (६) पाली (७) कोटा (८) बूंदी (६) बीकानेर (१०) अजमेर।

वन विभाग द्वारा भूमि संरक्षण का कार्य निम्नलिखित १२ जिलों में चालू किया गया है?

(१) भरतपुर (२) जयपुर (३) बूंदी (४) चित्तौड़गढ़ (५) सिरोही (६) जोधपुर (७) अलवर (८) कोटा (६) उदयपुर (१०) बांसवाडा (११) टोंक (१२) अजमेर।

अभी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को देखते हुए राज्य के उपरोक्त जिलों में यह कार्य चालू किया गया है। इन जिलों में कन्टूर लाईनों पर डोली बान्धना, टेरेस बनाना तथा बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, इन तरीकों को विशेष रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री श्रीभानसिंह : यह सब सूचना सप्लीमेन्टरी प्रश्नों के जबाब के लिये लिख कर दी गई है।

श्री दौलतराम : सप्लीमेन्टरी के जबाब में नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह जो 'क्षरण' शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें क्षरण और संरक्षण का तो कोई संबन्ध नहीं है, क्षरण तो उसे कहते हैं जहां जमीन खोखली होती है, इसलिये यहां क्षरण और संरक्षण शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भूमि क्षरण के उपाय हो हैं या संरक्षण के उपाय हो रहे हैं ?

श्री तनसिंह : सरकार ही अशरण शरण हैं।

श्री दौलतराम : यहां जो शब्द प्रयोग किया गया है, 'सोइल इरोज़न' को 'भूमि क्षरण' कहा गया है और सोइल कन्ज़र्वेशन को भूमि संरक्षण कहा गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : 'इरोज़न' का मतलब 'क्षरण' से नहीं है।

श्री तनसिंह : यह तो माननीय उप मंत्रीजी का उपनाम है।

(हंसी)

उदयपुर में एन्फ्लुएन्जा फैलने की २६ मई को रिपोर्ट एवं दवाइयों की मांग

१६५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (श्री अर्जुनदास की अनुपस्थिति में) : Will the Health Minister be pleased to state :

(1) Is it a fact that on or about the 29th May an elaborate note was submitted to Director, Medical and Health by Assistant Director of Medical & Health Services, Udaipur, wherein an immediate apprehension about the spread of influenza was conveyed and proposals regarding the measures for checking the disease were made and medicines were also demanded for the whole District ?

(2) Is it also a fact that the Director, in spite of this warning, slept over the papers of the A. D. H. S. for a month and did not respond till the epidemic broke out and on the 14th June, 1957 he directed the A. D. H. S. to contact the P. M. H. O. of Udaipur for the demands made in his letter who did not make arrangements as detailed in the letter of A. D. H. S. ?

(3) Is it also a fact that the A. D. H. S. Udaipur demanded the Ambulance car on the 29th June, 1957 when the epidemic was badly raging in the rural areas to escort the patients to General Hospital but it was refused by the P. M. & H. O. ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सहायक डाइरेक्टर, मेडिकल एन्ड हैल्थ सर्विसेज, उदयपुर ने ता० २६ मई को एक लिखित पत्र इनफ्लुएन्जा एपिडेमिक के बारे में और उसके निराकरण के लिये सुझाव देते हुए डी० एम० एच० एस० को भेजा था जो डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्थ सर्विसेज को ता. ३-६-५७ को पहुंचा।

(२) यह आरोप कि अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने ए० डी० एच० एस. उदयपुर ने विवरण पत्र की एक माह तक उपेक्षा की, सर्वथा निराधार है। इसके अलावा ६-६-५७, ११ जून, १६५७ को सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इन्फ्लुएन्जा आदि बीमारियों से जनता को अवगत कराने को सूचित कर दिया गया था।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(३) यह आरोप कि पी० एम० एच० ओ० ने दिनांक २६-६-५७ को रोगीवाहन देने से इन्कार किया, तथ्यहीन है, क्योंकि उस समय इन्फलुएन्जा महामारी का उस क्षेत्र में प्रकोप नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब ३ तारीख को पत्र मिल गया था तो ११ तारीख को क्यों सूचना दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १०-५-५७ और ११ जून को और इससे पहले भी हम सूचित करते रहे हैं, बीमारी से बचने के उपायों से सूचित करते रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि २६ मई को एडीशनल डाइरेक्टर ने पत्र लिखा था उसका जवाब ३-६-५७ को पहुंचा, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पत्र तो ३-६-५७ को पहुंचा, उसके पहले ही हमने सब जगह बीमारी से बचने के लिये हिदायतें कर दी थीं। ६-६-५७ को और ११ जून को अधिकारियों को सूचित कर दिया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न यह है कि जब पत्र २६ तारीख को लिखा गया था और उसका उत्तर ६ तारीख या ११ तारीख को दिया गया, तो क्या इस बीमारी की रोकथाम को जरूरी नहीं समझा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी रोकथाम का तो इन्तजाम पहले ही कर दिया गया था।

१२.२० म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिये जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है।

श्री मोडूलाल मीणा ६ से १३ नवम्बर, १९५७
श्री हरिश्चन्द्र ११ से ३० नवम्बर, ,,
श्री रामप्रसाद लड्ढा ११ से १३ नवम्बर, ,,

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की जाती है।

१२. २२ म० प०

राजस्थान प्रदर्शनी के 'हमारा राजस्थान' मण्डप में हुई अनियमितता सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रिविलेज मोशन है उसको मूव करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन लेट आया है, उस पर छानबीन करनी है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये टाइम डिफाइन्ड नहीं है :

When once a privilege motion has been tabled by the Hon'ble members it must have priority in the House.

श्री अध्यक्ष : It was received at 11.35 today and it will be taken tomorrow.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, a privilege motion cannot, under any rules, be taken on the next day.

श्री अध्यक्ष : I have to see whether I can give permission for its being moved, whether it is in order; I have to see so many things.

श्री श्रीभानसिंह : There is no rule which prescribes any time limit for its being moved.

श्री अध्यक्ष : But then I prescribe it. We will take it tomorrow.

श्री तनसिंह : Mr. Speaker, Sir, Rule 58 clearly says, "Provided that where the Speaker has refused his consent under Rule 56 or is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order he may, if he thinks it necessary, read the notice of question of privilege and state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order:" So the notice may be read.

श्री श्रीभानसिंह : The question of privilege has priority over every other motions.

श्री अध्यक्ष : How can the question of priority arise here ? Rule 55 says, subject to the "provisions of these rules, a member may, with the consent of the Speaker,..." How can consent be given without considering the matter. The motion was received at 11.35 A. M. today.

श्री तनसिंह : Does this rule 55 bind down rule 58 ? I think this language is clear. I would therefore, request the Hon'ble Speaker to read the motion of privilege.

श्री अध्यक्ष : Whether consent would be given on the subject, I cannot say until I have considered the motion. So decision would be given tomorrow,

श्री श्रीभानसिंह : But then I rise on a point of order. I tabled my privilege motion yesterday and I think it is sufficient time for this House that my privilege motion should be placed before the House.

श्री अध्यक्ष : I had already told the Hon'ble Member of the circumstances which prevent the chair from giving a ruling on that just now. It is being considered and it will come in due course. The ruling will be given after I have considered whether consent should be given or whether the motion will be admitted.

श्री श्रीभानसिंह : I had tabled the motion in time.

श्री अध्यक्ष : I have quoted Rule 58 which says that with the consent of the Speaker, the member may raise such a motion. Now I have to consider whether the consent can be given.

श्री श्रीभानसिंह : If you permit, Mr. Speaker, Sir, I have May's parliamentary practice with me. It clearly says, a privilege motion must be given priority. It is not a secondary motion.

श्री अध्यक्ष : If will be given priority, but at least there must be some consideration before it is presented before the House.

Page No.33

श्री श्रीमानसिंह : I tabled the motion yesterday, Sir.

श्री अध्यक्ष : It was late in the evening.

श्री श्रीमानसिंह : Yes, Sir. Unless the rule is superseded, it ought to have been allowed today.

श्री अध्यक्ष : Not necessarily on the Next day ? After all it may require more time to ascertain facts and to go further into the matter. It does not mean that it will be taken automatically on the next day.

श्री श्रीमानसिंह : May I draw your Honour's attention to Rule 56 which says : "A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be rasied. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document."

I had already given notice yesterday, i. e. the day before it is to be raised. So, under which rules of procedure, Sir, my privilege motion cannot be taken today ?

श्री अध्यक्ष : There is no rule which binds the Speaker that it will be taken immediately.

श्री श्रीमानसिंह : But there are practices and conventions, Sir.

श्री अध्यक्ष : There would be no discussion on this.

श्री श्रीमानसिंह : In that case I am sorry I have to humbly submit that there are conventions and practices established that the privilege motion will not be treated as a secondary motion.

श्री अध्यक्ष : It is not being treated as that.

श्री श्रीमानसिंह : The House is taking the legislative business.

श्री अध्यक्ष : So what ?

श्री श्रीमानसिंह : It means my privilege motion will come after this legislative Business is over. It means it is not being considered as a primary motion.

श्री अध्यक्ष : Before I give my consent to its being moved at least I should have time to consider as to why and how it happened, and many other things. It was received late in the evening and I need more time to consider it.

श्री श्रीमानसिंह : That way I cannot raise it.

श्री अध्यक्ष : One day's delay is not much delay. Such things should not be taken lightly. We should give due consideration to it as to how to proceed in the matter.

श्री श्रीमानसिंह : That is why it should be given priority.

श्री अध्यक्ष : But priority would be given after I make up my mind whether permission is to be given.

(विराम)

Yes, Next.

१२. २५ म० प०

विधेयकों की पुरःस्थापना

राजस्थान पशुधन सुधार विधेयक, १९५७

(पुरःस्थापित)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेन्ट बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूँ।

राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वेअर हाउसेज़ बिल, १९५७ को पुःरस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुःरस्थापित करता हूं।

राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७

(पुरःस्थापित)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (रसद मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान शॉप्स कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट्स बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

१२. २७ म० प०

मारवाड़ जागीरदार भारग्रस्त भू-सम्पति (निरसन) विधेयक, १९५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मारवाड़ जागीरदार्स एन्कम्बर्ड एस्टेट्स(रिपील) बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है।

राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन (संशोधन) विधेयक, १९५७

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जागीरदार्स डेट रिडक्शन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७ विचारार्थ लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया जाता है ।

१२. २६ म० प०

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री अध्यक्ष: Rajasthan Secondary Education Bill, 1957; clause by clause consideration.

Clause 18 was being considered.

No amendments have been withdrawn.

Clause 18, sub-clause (1). (श्री सतीशचन्द्र से) You want to speak ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I moved this amendment and the reply was given by the Minister in charge. It is for reply now.

श्री अध्यक्ष : This is to be replied to from the Government side ? (श्री पूनमचन्द बिश्नोई से)

You have finished the reply ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : He has given his reply. (श्री सतीशचन्द्र से) You want to speak again ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर) : Yes. माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा विधेयक के क्लॉज़ १८, सब-क्लॉज़ (१) पर जो मैंने संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत किया उसके प्रत्युत्तर में माननीय उप-मन्त्री महोदय ने जो विचार प्रकट किये और जो उन्होंने उसका उत्तर दिया मेरी समझ में वह बिलकुल असन्तोषप्रद है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने अपने विचार प्रकट करते समय यह भी कहा कि सेक्रेट्री का जो अपोइन्टमेन्ट राज्य सरकार के द्वारा किया जाने का प्रश्न है और जिसमें मैंने यह संशोधन रखा कि सेक्रेट्री का अपोइन्टमेन्ट बोर्ड के द्वारा किया जाय, न कि राज्य सरकार द्वारा । तो मन्त्री महोदय ने सारी आशंकाओं को निर्मूल बताते हुए और सारे संशोधनों को भय का परिणाम बता कर यह भी कहा कि आखिर हम इस बिल को विधान सभा में लाये हैं और इसलिये हमारे पर किसी प्रकार की शंका करना, सरकार पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सन्देह रखना उचित नहीं होगा। वे यह बिल लाये हैं यह तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। आखिर बिल लाना उनका काम है, आखिर विधेयक पास करवाना उनका काम है, इस प्रकार के कानून पास करने के लिए विधान सभा के सामने रखना उनका काम है और यह उनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह खड़ा होता है कि यह जो विधेयक माध्यमिक शिक्षा के विषय में रखा गया है, उसमें जो प्रावधान किये गये हैं क्या वे सही हैं? क्या आने वाली सतति, बोर्ड को चलाने वाले, बोर्ड का संचालन करने वाले लोग हैं, बोर्ड के अन्तर्गत शिक्षा पाने वाले लोग हैं उनकी भावना की इसमें स्थापना की गई है, उनके जो भाव हैं इसमें उनका कहीं स्थान है, जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जो प्रावधान, इसमें किये गये हैं, क्या यह सारा बिल उस ओर ले जा सकेगा? प्रश्न यह खड़ा होता है कि बोर्ड आपने बनाया। अध्यक्ष महोदय, कल भी इस सदन में इस विषय में काफी गरमागरम बहस रही और वह बहस आखिर तक होती रही और सब लोगों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये। जहां बोर्ड के चेयरमेन को रखने का सवाल खड़ा हुआ, बोर्ड के कम्पोजिशन का सवाल खड़ा हुआ कि किसको रखना चाहिए, सदन के सारे सदस्यों ने एक मत से खड़े होकर ये विचार प्रकट किये थे कि इस सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करना होगा। हम माध्यमिक शिक्षा के विषय में एक स्वतन्त्र बोर्ड बनाने जा रहे हैं, कुछ कंट्रोल राज्य सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं, कुछ कन्ट्रोलिंग पॉवर्स इस बिल में राज्य सरकार ने रखे हैं। इस प्रकार के विचार प्रकट किये गये थे कि ये जो अधिकार की बातें हैं, सिद्धान्त की बातें हैं, इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से एक अलग बोर्ड बनाने जा रहे हैं, इस बोर्ड का संचालन केवल राज्य कर्मचारियों के हाथ में या राज्य सरकार के हाथ में न रख कर उन लोगों के हाथ में रखा जाय जो शिक्षा के विकास को जानते हैं, जो इसका विकास कर सकें और इसीलिए जो प्रावधान इस बिल में बनाये गये हैं, राज्य कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी लोगों को इसमें लिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कल काफी गरमागरम बहस हुई और फिर उस क्लॉज़ का डेफर कर दिया गया इस प्रश्न को गम्भीरता से सोचने के लिए कि इस बोर्ड का चेयरमेन शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर या किसी शिक्षा शास्त्री को रखें। इस सम्बन्ध में अभी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं क्योंकि इस मामले को गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा। तो इस तरह से जहां चेयरमेन की नियुक्ति का प्रश्न खड़ा होता है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सेक्रेट्री का प्रश्न जब आगे आता है तो यह प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह सवाल है वह इस बोर्ड के अध्यक्ष के सवाल से कम नहीं है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस सम्बन्ध में कल विचार रखते समय निवेदन किया था कि बोर्ड को स्वतन्त्र अधिकार दे रहे हैं, कुछ हद तक एक आटो-नोमस बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? हमारी शंकाओं को निर्मूल बताया गया। झुंझुनू से आये माननीय सदस्य ने भावना प्रकट की; जो विचार प्रकट किये थे वे भय के आधार पर, गत अनुभवों के आधार पर थे। कुछ सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार के विषय में किसी का भय,

Page No.37

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

शंका न करें, उनके कार्य-कलापों के विषय में शंका नहीं करें। बात सही है। आखिर यह हमारी सरकार है। लेकिन वह सही कदम उठाये। जो पिछले अनुभवों से लाभ नहीं उठाते वे आगे भी गलती करते हैं और बुद्धिमानी तो यही है कि भूतकाल के अनुभवों से लाभ उठा कर भविष्य काल में पुनः गलती न करें। चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सवाल है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उसका जो सेक्रेटरी होगा वह एक एग्ज़ीक्युटिव हैड होगा। एग्ज़ीक्युटिव ओथॉरिटी सेक्रेटरी होता है। इसमें अन्य कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी जुड़े हुए हैं। किसी इन्स्टीट्यूशन का सवाल खड़ा होगा, उसको रिकोग्नाइज़ किया जाय या नहीं, फलांनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में इन्स्टीट्यूशन खोलने वाले हैं, उसके लिए रेगुलेशन्स दे रखे हैं, एग्ज़ामिनेशन की इजाजत दें या नहीं, केरीकुलम सब्सक्राइब करें या नहीं, बोर्ड के रेगुलेशन्स के अन्तर्गत वह इन्स्टीट्यूशन आती है या नहीं, इन सब सवालों पर विचार करेगा और यदि उसमें यह प्रश्न खड़ा हो गया कि उस इन्स्टीट्यूशन को रिकोग्नाइज़ नहीं करना चाहिए रूल्स के पालन न करने के कारण रिकोग्नाइज़ नहीं किया, बोर्ड उसका रिकोग्निशन बन्द कर देगा और फिर उस स्थिति में क्या होगा ? माननीय मन्त्री महोदय को शायद जो कल मैंने बात कही थी वह बुरी लगी, होगा यह कि सेक्रेटरी को दबायेंगे, जैसा कि दबाते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी उनकी मंशा पर कूदता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन डिपार्टमेन्ट्स में यह होता है, हमारा यह अनुभव है किस प्रकार इस प्रकार की लोकल बोडीज़ में यह होता रहता है। उन्होंने इसको आशंका बतायी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारा यह अनुभव है कि जिन संस्थाओं में सरकार का हाथ होता है वहां सरकार द्वारा हस्तक्षेप होता है, वहां सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और करती है। हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय लाचार हों, उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी के लोग आ कर दबाते हों, किन्हीं राजनैतिक कारणों से यह होता हो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह खड़ा होता है कि जिस बोर्ड को हम बनाने जा रहे हैं, जिसको शिक्षा के संचालन का भार देने जा रहे हैं, उसको, इस प्रकार की दलगत राजनीति से हटा कर अलग रखना है अथवा नहीं ? अगर इस प्रकार की दलगत राजनीति इस बोर्ड में भी रही तो शिक्षा का प्रसार जो हम करना चाहते हैं वह किस प्रकार होगा ? इस प्रकार के प्रेशर आते रहते हैं, आये दिन आते रहते हैं। यहां का ही प्रश्न छोड़िये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको निवेदन करना चाहूँगा। ज्युडिशियरी है वह एक ओटोनोमस बोडी है। जो सरकार की मर्ज़ी है वह वहां नहीं चलती। उनके आदेशों का पालन वहां नहीं होना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री): On a point of order. The Hon'ble Member should confine to the reply given by me and should not raise new points.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am replying, Sir, he has got no right to interfere in my speech.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : No member has a right to raise new points.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You address the chair and don't talk dire-

Page No.38

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ctly. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन सारे अनुभवों के आधार पर यह है और उसके ऊपर विचार करना होगा और कटु है तो उनको सुनना होगा। ऐसे ही वे दूर नहीं किये जा सकते हैं, उनके आधार पर अगर आप प्रावधान इस बिल में नही करते हैं और उसके अनुसार कानून पास नहीं करते हैं तो राजस्थान........

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They are mere repetitions from what he had said yesterday.

श्री अध्यक्ष : He is speaking in view of your reply. He will say only what he knows.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He should give reply to the points that I raised but should not convince the House on additional points. He has repeated the same points twice, thrice and four times.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Has any other member objected to my speech ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I am a member.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जवाब बुरा है इसलिए कड़ुवा लगता है। Any way, Sir, the reply is bitter.

तो अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि सारे अनुभवों को सामने रख कर चलना होगा। एक नहीं, सदन के बाहर के कई उदाहरण दे सकता हूं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय उदाहरण देने के लिए गर्दन हिला रहे हैं इसलिए मैं दे देता हूँ। ज्युडिशियरी को ऑटोनोमस बोडी माना गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु को ले लोजिये, आज यह होता है कि वहां के मेम्बरों का छः छः महीने में ट्रान्सफर कर दिया जाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He is again going out of his way.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He has no right to interrupt me.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He has got no right to refer to the courts, etc, which are judicial bodies.

श्री अध्यक्ष : He is not talking about the functions of the courts.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He was referring to them, Sir.

श्री अध्यक्ष : Functions of the courts in exercise of their judicial powers.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से आये दिन क्या होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा उदाहरण नहीं बतायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक ही रेवेन्यु बोर्ड का उदाहरण बता रहा हूं, बाकी सुन नहीं सकेंगे, चटपट हो रही है।

रेवेन्यु बोर्ड राजस्थान की सर्वोच्च, राजस्व के माने में, स्वतन्त्र बोडी है, हाईकोर्ट है वैसे। लेकिन आप देखते हैं कि वहां चार चार, छः-छः महीने में ट्रान्सफर कर दिये जाते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं। जो चार महीने रहेगा, चार महीने तो कानून को समझने में ही लग जावेंगे, जब कानून समझ कर फैसला देने की ताकत आती है तो उसका ट्रान्सफर कर देते हैं। कुछ ट्रान्सफर करने का उसूल भी हो ? छः महीने में ट्रान्सफर कर देना, दूसरे डिपार्टमेंन्ट के व्यक्तियों को वहां रख देना, देवस्थान से भेज दिये, धर्मादे में भेज दिया जाय, जैसे धर्मादे पर रेवेन्यु बोर्ड में लगा कर रख दिये जाते हैं। अगर इस प्रकार से साल भर में छः-छः महीने, चार-चार महीने में ट्रान्सफर कर दिये जांय तो आखिर जनता में अविश्वास पैदा होता है, उनमें अविश्वास के भाव आते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की ओटोनोमस बोडीज़ में यदि किसी को ट्रान्सफर करना हो तो पांच साल से पहले उसको उस स्थान से ट्रान्स्फर नहीं करना चाहिए। लेकिन सारे अधिकार रहते हैं, राजस्थान की सरकार के पास। आज तक कभी कानून नहीं ला सके कि रेवेन्यु बोर्ड के मेम्बर्स को पांच साल से पहले ट्रान्सफर नहीं किया जावेगा और उनको पांच साल तक रखा जावेगा। इसलिए इन्ही सब कटु अनुभवों के आधार पर यहां पर ये सारे प्रश्न रखने का सवाल आता है। मैंने संशोधन पेश किया, जिस बोर्ड के हाथ में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का भाग्य सौंपने जा रहे हैं, इस बोर्ड के आदमी सरकार द्वारा नियुक्त हों ? युनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार को सिन्डीकेट द्वारा नियुक्त किया जाता है जो ओटोनोमस बोडी है। ठीक इसी प्रकार हमारे बोर्ड का कम्पोज़िशन भी सिलेक्ट कमेटी के आधार पर होना चाहिए। उसका जो सेकेट्री होगा वह भी चुना हुआ होना चाहिए।

माननीय मन्त्री महोदय ने कल अपने उत्तर में कहा कि सर्विसेज़ को प्रोविन्शियेलाइज्ड करना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जनतन्त्र की बात करते हैं, प्रजातन्त्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ सारे राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाओं को अपने हाथ में कर रखा है। म्युनिसिपेलिटीज़ आदि ले लीजिये। सारे राजस्थान को अपने हाथ में करके राजनैतिक सत्ता अपने हाथ में रख कर विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं और दूसरी तरफ सारे राजस्थान में एक ओटोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप कायम करने की कोशिश की जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न सदन के सामने आयेगा, जब सदन में इस बारे में विचार किया जायगा, तब देखेंगे। जहां तक सर्विसेज़ के प्रोविन्शेलाइज़ेशन का सवाल है, तो प्रोविन्शेलाइज्ड सर्विसेज़ का इस विधेयक में क्यों रखा है ? सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेट्री को छोड़कर बाकी ऑफिसरों को बोर्ड नियुक्त करेगा। उन दो ऑफिसरों को सरकार नियुक्त करेगी। मैं समझता हूँ कि सरकार खुद इनको एपाइन्ट करके इनके द्वारा बोर्ड में घुसना चाहती है और बोर्ड से इर्रेग्युलेरिटीज़ कमिट कराना चाहती है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, शिक्षा का क्षेत्र एक पवित्र क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वह विकृति नहीं आनी चाहिए। इसलिए शिक्षा के इस बोर्ड में ऐसे आदमी नहीं होने चाहिए जिन पर पर कि दबाव डालकर, प्रभाव डाल कर किसी प्रकार की इर्रेग्युलेरिटीज़ उनसे कारवाई जा सके। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा था।

माननीय अध्यक्ष, माननीय उपमन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा कि जो आदमी वे बोर्ड में रखना चाहते हैं वह बहुत ही पक्का आदमी रखना चाहते हैं और पक्के से मेरा मतलब यह नहीं है कि वह फेयर वेदर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रोड और मेटल्ड रोड के हिसाब से हों, पक्के का मतलब यह है कि उनका जो पक्का आदमी है, उसको, वे उसमें रखना चाहते हैं । इस लिए उसका विरोध किया जा रहा है कि ऐसे पक्के आदमी की हम को जरूरत नहीं है । हम ऐसा आदमी रखना चाहते हैं जो कि बोर्ड के बारे में समझता हो, जो शिक्षा के बारे में समझता हो । अतएव इस बोर्ड के लिए जैसा कि युनिवर्सिटी के लिए, राजपूताना युनिवर्सिटी एक्ट में प्रोवीजन रखा है कि वहां चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर का सिन्डीकेट के द्वारा एपाइन्टमेंट होता है । इसलिए वहां कोई इस प्रकार की बात नहीं होती है । युनिवर्सिटी राजपूताना युनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा बनी हुई है और उसके द्वारा बनी हुई सिन्डीकेट है और उसके द्वारा बनी हुई सिलेक्शन कमेटी है, उसकी रिक्मेन्डेशन पर एपॉइन्टमेंट रजिस्ट्रार का होता है । उसके परेलल ही हम इस बोर्ड के सेक्रेटरी का एपॉइन्टमेंट करें, लेकिन उसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं । हमने बोर्ड बनाया है, हम इस बिल को लाये है, यह बातें अपील नहीं करती हैं । आप बिल लाये हैं तो आप जनता के नौकर हैं । आपने कोई अहसान का काम नहीं किया है । आप इस बिल को लाये हैं तो आपने कोई महरबानी नहीं की है । हम बिल लाये हैं तो हमारी मरज़ी के अनुसार प्रोवीज़न रखेंगे । आप चुनाव करके इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारी बात सुनने को तैयार रहना चाहिए, आपके द्वार हमारे सुझावों के लिए खुले रखें । मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि आप इस पर फिर से गम्भीरता से विचार करें । फिर से इस प्रश्न को सोचें और गम्भीरता से सोचें कि सेक्रेटरी के एपॉइन्टमेंट से कहीं उलझनें खड़ी न हो जायें । अभी हम विधान सभा के भवन में सरकार को कह रहे हैं, लेकिन बाद में जनता के अन्दर गांव गांव से आक्षेपों की झड़ियां लग जायंगी कि बोर्ड में यह क्या तमाशा है ? सरकार से जनता पूछेगी कि यह क्या हो रहा है, यह आप तमाशे की बात क्या कर रहे हैं अपने आदमी को रखकर ? आपका दिल साफ है, आपके दिल में पाप नहीं है, यदि आप यह समझते हैं कि सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर आप सेक्रेट्री अपने पक्के आदमी को न रखें और कह दें कि आपको आपत्ति नहीं है इस संशोधन के मानने में और इस एमेंडमेंट को स्वीकार करते हैं । माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि माननीय उपमन्त्री महोदय इस प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे ।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि इस बोर्ड में २५ आदमियों के लगभग होंगे, लेकिन इन २५ आदमियों में से १७ आदमी सरकारी होंगे । कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि यदि १७ आदमी सरकार के हैं तो प्रभाव सरकार का वैसे ही होगा फिर सेक्रेट्री सरकार का ही रहे तो अच्छा है । जब १७ आदमी सरकार के हैं तो फिर १८ आदमी होंगे । मैं कहना चाहता हूं कि चाहे २५ के २५ आदमी सरकार के हों लेकिन वे सलाहकार मंडल के रूप में होंगे, लेकिन सेक्रेट्री, he is the Chief Executive of the Board. वह एक महत्व का पद है । मैं समझता हूं कि बोर्ड किसी सेक्रेट्री को सिलेक्ट करके रखेगा तो नतीजा क्या होगा कि जिस किसी को चाहेंगे सेक्रेट्री बना देंगे और उनका काम नहीं किया तो उसका ट्रांसफर कर देंगे, यह नौबत नहीं आयेगी । लोगों ने विचार प्रकट किये हैं कि सेक्रेटरी सरकार का रहेगा तो अच्छा रहेगा । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह परम्परा

Page No.41

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ठीक नहीं होगी। सरकार चाहे तो संशोधन को गिरा सकती है, वह न माने। सेक्रेट्री अपना एपॉइन्टेड कर सकते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं उपमंत्री महोदय को बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की परम्परा लोकतन्त्र की परम्परा के विरुद्ध होती है। इस प्रकार की परम्परा डालकर हम उन संस्थाओं का निर्माण करना चाहते हैं तो वह उन संस्थाओं के मूल उद्देश्य के विपरीत होता है। इसलिए इस पर माननीय मन्त्री महोदय को गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और चूंकि विरोधी दल के किसी आदमी ने संशोधन रखा है इसलिए उसको स्वीकार करने में नाक कट जायगी, तो नाक कटने का सवाल पैदा नहीं होता है। आज तो नाक नहीं कटेगी लेकिन बोर्ड बन जाने के बाद जरूर नाक कट जायगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा उपमन्त्री महोदय को फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १८ में जो संशोधन श्री सतीशचन्द्र ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी और श्री श्रीभानसिंह ने रखे हैं, क्लॉज़ १८ में, वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, श्री पी. के. चौधरी का जो एमेन्डमेंट है उसको मैंने स्वीकार किया है।

श्री अध्यक्ष : You had accepted that ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष : What about Shri Sribhan Singh's.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have not accepted that.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री श्रीभानसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नारायणसिंह : Sir, the clause as amended should be put to vote.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेकन्डरी एजुकेशन बिल की क्लॉज़ १६ का सब क्लॉज़ (१) इस प्रकार है : "The State Government may appoint one or more Assistant Secretaries to the Board on such conditions and for such period as the State Government may deem fit."

मेरा संशोधन इसमें इस प्रकार से है : "Substitute the word 'Board' for the words 'State Government'." Then the clause will read, "The Board may appoint one or more Assistant Secretaries to the Board on such conditions and for such period as the Board may deem fit."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मैंने जो दलील सेक्रेट्री के एपॉइन्टमेंट के सम्बन्ध में दी और जिस सेक्रेट्री के एपॉइन्टमेंट के सम्बन्ध में माननीय उपमंत्री महोदय ने यह विचार प्रकट किया कि बोर्ड का सही संचालन करने की दृष्टि से सेक्रेट्री का एपॉइन्टमेंट राजस्थान सरकार को करना चाहिए और कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करते समय इस बात के औचित्य को दोहराया कि बोर्ड का सेक्रेट्री राजस्थान सरकार द्वारा एपॉइन्टेड हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है उसमें शायद माननीय उपमंत्री महोदय हमको एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे और यह नहीं चाहेंगे कि सेक्रेट्री का एपाइन्टमेंट उनके हाथ में है और एसिस्टेन्ट सेक्रेट्री का एपाइन्टमेंट भी उनके हाथ में हो। वैसे तो, माननीय अध्यक्ष, अगर वे चाहें तो इस बिल के तहत सारे के सारे ही एपॉइन्टमेंट्स अपने हाथ में रख सकते हैं, परन्तु मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था से इस विधेयक के उद्देश्य पूरे नहीं होते हैं और ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि उनको उदारता का परिचय देना चाहिए। यदि उन्होंने सेक्रेट्री का एपॉइन्टमेंट अपने हाथ में रखा है, यदि वे सेक्रेट्री के रूप में अपने पक्के आदमी को रखना चाहते हैं, यदि सेक्रेट्री को गवर्नमेंट के द्वारा एपॉइन्टेड रखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि जहां तक असिस्टेन्ट सेक्रेट्री का ताल्लुक है, चूंकि वह असिस्टेन्ट होता है, इसलिए असिस्टेन्ट होने के नाते यह पॉवर्स बोर्ड को दिये जाने चाहिए। यदि बोर्ड को कोई एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर एपॉइन्ट करने का अधिकार नहीं होगा तो, माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, यह हो सकता है, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सेक्रेट्री और असिस्टेन्ट सेक्रेट्री के बीच कोई दीवार खड़ी की जाय, कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बोर्ड के खिलाफ हो और सेक्रेट्री करता है तो वह उस बोर्ड को रिपोर्ट करने का कार्य करेगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि इस प्रकार के इन्स्टीट्युशन्स का सेक्रेट्री गवर्नमेंट द्वारा एपोइन्टेड हो और असिस्टेन्ट सेक्रेट्री का एपोइन्टमेन्ट बोर्ड के हाथ में रखा जाय तो किन्हीं हालतों में सेक्रेट्री गड़बड़ करता है या इर्रेगुलेरिटीज़ करता है और शायद इन बातों को बोर्ड के नोटिस में नहीं लाना चाहता है, लेकिन यदि असिस्टेन्ट सेक्रेट्री बोर्ड द्वारा रखा हुआ होगा तो सेक्रेट्री सोचेगा कि असिस्टेन्ट सेक्रेट्री उसके कारनामों को देख रहा है इस लिये वह थोड़ा चौकन्ना रहेगा। इसलिये असिस्टेन्ट सेक्रेट्री की एपोइन्टमेन्ट की पॉवर बोर्ड के हाथ में रहनी चाहिये। मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि सेक्रेट्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के एपोइन्टमेन्ट के सम्बन्ध में काफी कहा जा चुका है । इसलिये मन्त्रीजी से आशा रखूंगा कि उदारता के नाते यदि सेक्रेट्री का एपोइन्टमेन्ट राज्य सरकार के हाथ में दिया है तो असिस्टेन्ट सेक्रेट्री के एपोइन्टमेन्ट का अधिकार बोर्ड को देना चाहिये । बोर्ड हमारी सरकार के हाथ में कठपुतली की तरह नहीं होना चाहिये । सेक्रेट्री के एपोइन्टमेन्ट का अधिकार आपने ले लिया और दो तीन असिस्टेन्ट सेक्रेट्री की एपोइन्टमेन्ट का अधिकार भी आपने ले लिया और बोर्ड को कह दिया कि २—३ चपरासी रखलें, तो उस बोर्ड के हाथ में कुछ नहीं रहेगा । उस बोर्ड में जिसमें राजस्थान के छटे हुए, उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री हैं और राजस्थान के काम और मकसद को उसमें रखा है, उन पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व है, उनको आप इतने भी अधिकार नहीं देना चाहते कि वह असिस्टेन्ट सेक्रेट्री की एपोइन्टमेंट कर सकें, तो मैं समझता हूं बहुत बुरी बात होगी । मैं आशा करता हूँ इस दृष्टि से मन्त्री जी विचार करेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल निवेदन किया था कि यहां जो डिस्कशन्स किये जा रहे हैं उसके अन्दर एक बेसिस को मान कर चल रहे हैं और वह यह कि राज्य सरकार बोर्ड के खिलाफ है इसलिये जितने व्यक्ति बोर्ड में नियुक्त किये जायेंगे वे ही फायदा पहुंचायेंगे और सरकार के द्वारा जितने व्यक्ति भेजे जायेंगे वे सब बोर्ड की की मंशा के खिलाफ काम करेंगे । मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है । सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी को रखने का सवाल है, मैंने कल निवेदन किया था कि उच्च परंपरा के कारण ऐसा रख रहे हैं इसलिये कि बोर्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसको प्रकाश में नहीं लाने की कोशिश की जायगी और उनको दबाने की कोशिश की जायगी यदि सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के रखने और टर्मिनेशन करने का अधिकार बोर्ड को दिया गया तो । इसलिये यह रखा गया है । असिस्टेन्ट सेक्रेटरी के सम्बन्ध में 'मे' (may) शब्द को काम में लिया गया है । अगर काम ज्यादा है तो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की नियुक्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं भी हो । मान लीजिये ३ महीनों के लिये बोर्ड में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की जगह हुई या एक से अधिक असिस्टेन्ट सेक्रेटरीज़ की जरूरत हुई तो मैं नहीं समझता कि बोर्ड किसी योग्य व्यक्ति को इस पद पर एपोइन्ट कर सकेगा या कोई व्यक्ति इस पद के लिये आगे आयेगा । सरकार के पास ऐसे बहुत से अधिकारी हो सकते हैं जिनमें से किसी को इस पद पर भेज सकती है, इसलिये इस इरादे से ऐसा सोचा गया है न कि पॉवर का बंटवारा कर दिया जाय । माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं इसलिये कि वे चाहते हैं कि बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलें और वे समझते हैं हम ज्यादा से ज्यादा अपने आदमी रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है । हिंदुस्तान भर में ऐसी परंपरा है कि बोर्ड की इन्डिपेन्डेन्ट सर्विसेज़ हों और उनकी पूरी सिक्योरिटी हो, इसलिये हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में उनकी एपोइन्टमेंट हो, उनके सर्विस रूल्स वगैरह बने हुए हैं वे हाईकोर्ट में भी जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं । इसलिये मैं इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इसे विद्ड्रॉ करलें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, माननीय उप मन्त्री ने मेरे संशोधन का उत्तर देते हुए यह आशा व्यक्त की कि मैं उसे वापिस ले लूं। चाहता तो मैं भी यही था कि इसे वापिस ले लूं। लेकिन जो उत्तर उन्होंने दिया है वह संतोषजनक नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि यदि सरकार द्वारा एपोइन्टमेंट किया गया तो वे हाईकोर्ट में जा सकते हैं और बोर्ड ने एपोइन्टमेंट किया तो हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। मैं समझता हूं या तो लीगल पोज़िशन जो है उसको वे समझ नहीं पाये या और कोई गड़बड़ है? जहां लीगल सवाल है हर कोई हाईकोर्ट में जा सकता है, और भी संस्थाएं और बोर्ड वगैरह हैं वे भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यहां पर बंटवारे की भी कोई बात नहीं है, यहां कोई पॉवर को बांटने का प्रश्न नहीं है जिससे कि आधी पॉवर गवर्नमेंट रखे और आधी बोर्ड को दे दे।

असिस्टेन्ट सेक्रेटरी की एपोइन्टमेंट के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें 'मे' (may) शब्द रखा है। लेकिन यह निश्चित बात है कि असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का एपोइन्टमेंट होगा। यह एपोइन्टमेंट करना बोर्ड के लिये आवश्यक होगा और आवश्यक नहीं होगा तो भी एपोइन्टमेंट होगा। सवाल यह नहीं कि एपोइन्टमेंट करेंगे या नहीं, यह तथ्य हीन है। इसलिये मैं अपने संशोधन को वापिस लेना उचित नहीं समझता और न कोई ऐसा कारण मन्त्रीजी ने ही बताया जिसके कारण मैं इसे वापिस लूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १९ में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहे और जो विपक्ष में हैं वे 'ना' कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There is one more amendment of mine, Sir, in clause 19 (4).

श्री अध्यक्ष : No.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसको पहले पढ़ लीजिये, फिर यदि स्वीकार करें तो बता दीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : The amendment is numbered 31 and he should have moved it at one instance.

श्री अध्यक्ष : Atleast let us be liberal in allowing the discussion.

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : "Clause 19-sub-clause (1), Substitute 'Board' for 'State Government';" and the amendment of which the Hon'ble Member now talks is numbered 31. An amendment is not to be split into parts and then each to bo moved separately. That amendment was, "Sub-clause (4) Delete the words 'other than the Secretary and Assistant Secretary." It seems that he has himself not taken availed of that opportunity and did not move all his amendments. Where is the procedure that he will move his amendments in parts ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा प्रोसिज़र नहीं है। आप चाहें तो मूव कर सकता हूँ। यह उदारता है, otherwise as desired I keep quiet.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

Clause 20, Shri Shribhan Singh; list No. III, Serial No. 21.

१ म० प०

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, मेरा अमेंडमेंट क्लॉज़ २० पर कमेटीज़ ऑफ दी बोर्ड, उसमें, यह है :

"Add the following new parts after part (e) of sub-clause (1), and renumber the existing part (f) as (h) :-

(f) District Secondary Education Consultative Committee

(g) A grant-in-aid Committee."

अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के अन्दर जो सबसे बड़ी कमी है, वह इस बात की है कि हम किसी स्टेज़ पर पब्लिक ओपिनियन को अपनी शिक्षा प्रणाली से एसोशियेट नहीं करते और इस कमी को दूर करने के लिये मैंने यह डिस्ट्रिक्ट सेकन्डरी एजुकेशन कन्सलटेटिव कमेटीज़ का अमेंडमेंट रखा है, वह इस पॉइन्ट को ध्यान में रखते हुए रखा है। अब इनकी यह पोज़ीशन एक्सप्लेन की जाय कि शायद इनको कॉन्स्टीट्यूट करने के अन्दर कई डिफीकल्टीज़ आयें, मगर मैं पहले कह दूं कि जो हम नई चीज करते हैं कि एक पायोनियर स्टेज़, एक नये वेंचर के पेन्स होते हैं, वे नई चीज के अन्दर मौजूद रहते हैं। अब इन कमेटीज़ को किस तरह से कॉन्स्टीट्यूट किया जाय? मैं यह पहले बता दूं कि यह पेड कमेटीज़ नहीं होंगी, मगर ऑनरेरी कमेटीज़ होंगी, जिसके मेम्बर, स्कूल के इन्सपेक्टर, हैड मास्टर्स और जो एसोसियेशन डिस्ट्रिक्ट की हों, उनके रिप्रेज़ेन्टेटिव होंगे, पेरेन्ट्स के रिप्रेज़ेन्टेटिव इस कमेटी के मेम्बर होंगे। अब इन कमेटीज़ का, जो कॉन्स्टीट्यूट की जायंगी, क्या फंक्शन होगा? मैं यह पहले बता दूं कि इनके फंक्शन, प्योअरली एडवाइज़री कमेटी के फंक्शन होंगे और इनको जो रिकमन्डेशन होंगी, इनके जो सजेशन होंगे, उसकी क्या वेल्यू होगी? इनकी रिकमन्डेशन, एडवाइज़, बोर्ड के ऊपर बाइन्डिंग नहीं रहेगी, मगर यह बोर्ड के ऊपर निर्भर रहता है। तो इन कमेटीज़ का क्या रोल हो? एक तरह से जैसा बोर्ड चाहे, इन कमेटीज़ को यूटीलाइज़ कर सकता है। अगर बोर्ड चाहे तो इनको पॉवर्स दे सकेगा और बोर्ड यह चाहे कि इन कमेटी को क्रियेट कर दे और फिर इनको डीजेनेरेट करने के विचार करें तो इनको फॉरमल कमेटी बना सकता है। मेरा मकसद इनको मीयर फॉरमल कमेटी बनाने का नहीं है, इनकी एडवाइस कॉम्प्रीहेन्सिव रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ की एडवाइस होगी और बोर्ड को इनकी एडवाइज़ पर गौर करना चाहिये, ध्यान देना चाहिए। बहुत से माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री महोदय यह कह दें कि यह तो इम्प्रेक्टिकेबल चीज है। आज जो अमेंडमेंट्स और सजेशन को रिजेक्ट करने की एक प्रणाली है, वह यह है कि हम जनरल टर्म्स में यह कह दें कि यह तो इम्प्रेक्टिकेबल है। यह प्रेक्टिकेबल है, तो ऐसी कमेटीज़ कहां कहां पर हैं, यह नहीं बताना

(श्री श्रीभानसिंह)

चाहता क्योंकि जब गवर्नमेंट यह टर्म लागू करेगी, तब मैं स्पेसिफिक इन्सटान्सेज़ दूंगा कि किन किन नेशन्स में ऐसी कमेटीज़ हैं और उनके क्या फंक्शन हैं। अब मैंने इन कमेटीज़ का ऑर्गेनाइज़ेशन बता दिया, मेम्बरशिप बता दी। अब इन कमेटीज़ की वेल्यु देखनी है। आखिर यह कमेटीज़ हमने क्रियेट कर दीं, पर इनकी क्या वेल्यु होगी? जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने माना है कि जब तक हम शिक्षा प्रणाली से अपनी जनता को एसोशियेट नहीं करेंगे, अपनी पब्लिक ओपिनियन को एसोशियेट नहीं करेंगे, जब तक शिक्षा के जो एम्स एन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको पब्लिक को क्लीयरली नहीं बतायेंगे, तब तक हमारी शिक्षा प्रणाली प्रगति नहीं करने वाली है और इसलिये हाउस में जब एक संशोधन आया था और हाउस के मेम्बर्स को बोर्ड के सदस्य रखने की चर्चा चली थी, तब मैंने बताया था कि एक दूसरी स्टेज हो सकती है, जहां जनता का सहयोग लेना जरूरी है। वह स्टेज डिस्ट्रिक्ट कन्सलटेटिव कमेटीज़ की है, जहां जनता का सहयोग और कॉम्प्रीहेन्सिव सहयोग हमें मिल सकता है। इसलिए जहां जनता के सहयोग का सवाल आता है, कमेटीज़ की वेल्यु और ज्यादा बढ़ जाती है। इनके डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो फंक्शन रहेंगे, वे सिर्फ सेकन्डरी एजुकेशन की प्रोग्रेस को वाच करने के लिए रहेंगे। आखिर जो नई प्रणाली ला रहे हैं, उस प्रणाली का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, वह प्रणाली कहां तक उस डिस्ट्रिक्ट की उन्नति करती है, कहां तक चाइल्ड सेकन्डरी एजुकेशन का बच्चों के दिमाग पर असर होता है, यह देखना होगा। माननीय मन्त्री जी फर्मायेंगे ...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मन्त्री) : How is he to presume what I have to say ?

श्री श्रीभानसिंह : I am anticipating your arguments.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : You can give your arguments.

श्री श्रीभानसिंह : No, no. This is a process of debate that I may take the ground on which you shall stand or take your stand. मन्त्री महोदय यह फर्मायेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर एजुकेशन इन्सपेक्टर्स को इस कार्य के लिए रखते हैं, जो एजुकेशन को देखते हैं, स्कूलों को इन्सपेक्ट करते हैं। मगर आज हाउस की ओपिनियन ली जाय, तो जितने एजुकेशन विभाग के इन्सपेक्टर्स हैं, जो उन्हें सर्विस करनी चाहिए, वह सर्विस डीजेनेरेट हो गई है और वह डीजेनेरेट किस तरह हुई है वह इस तरह हुई है कि उनका रुटीन वर्क हो गया है, स्कूलों में चेक-अप कर लेते हैं कि इतने स्टूडेन्ट्स प्रज़ेन्ट थे और इतने एब्सेन्ट थे, इतने मास्टर उपस्थित थे, इतने लीव पर थे, यह रुटीन वर्क हो गया है। जिस मन्शा से इन्सपेक्टर्स को एपॉइन्ट किया था, वह मन्शा यह थी कि जो स्कूल का रोल हो, उस स्कूल के अन्दर इन्सपेक्टर महोदय जो काम करें वह इस तरह करें कि वे स्कूल के फ्रेन्ड, फिलोसफर और गाइड हों। मगर इन्सपेक्टर्स हैं वे एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डाइरेक्टिव हैं, उनको सिम्बोलाइज़ करते हैं, पॉवर और ऑथोरिटी के डाइरेक्टिव को सिम्बोलाइज़ करते हैं। तो वे फ्रेन्ड, फिलोसफर, गाइड का जो कार्य है, उसे नहीं कर सकते। इसलिए यह जरूरी है

Page No.47

(श्री श्रीभानसिंह)

कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कन्सलटेटिव कमेटीज़ बनायें, तो जो फंक्शन मैं बता रहा हूं, उसके अनुसार फंक्शन देंगे तो जो कार्य फ्रेन्ड, फिलोसफर और गाइड का काम है, उसे कमेटीज़ अच्छी तरह कर सकेंगी, क्योंकि जो शिक्षा की नीड्स हैं, उनके लिए यह नहीं कह सकते कि जो राजस्थान की नीड्स हैं, वे सब जगह एक सी हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की दूसरी नीड्स हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की दूसरी नीड्स हैं। राजस्थान में कई पोर्शन ऐसे हैं, जो इन्डस्ट्रीलाइज्ड हैं, वहां जरूरत पड़ेगी कि जो इन्डस्ट्री फ्लोरिश हो रही है और जो इन्डस्ट्रीज होने वाली हैं, उनके बारे में सेकन्डरी एजुकेशन और क्राफ्ट एजुकेशन स्कूल देंगे। इसलिए यह जरूरी है कि लोकल नीड्स को, जो डिस्ट्रिक्ट की हैं, उनको हम जानें और डिस्ट्रिक्ट की नीड्स तभी जान सकते हैं, जब कि कमेटीज़ हों। अगर कमेटी यह सजेस्ट करके भेजें कि राजस्थान का यह डिस्ट्रिक्ट एक कृषि प्रधान डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहां पर गवर्नमेंट को इस बात पर जोर देना चाहिए कि यहां पर कृषि क्राफ्ट टीच करने के लिए, स्कूल के अन्दर वह कृषि पर जोर दे, जो चाहे मेकेनाइज्ड फार्मिंग पर हो, या किसी तरह का हो, मगर हो कृषि के मुतल्लिक। जो डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीलाइज्ड हो और जिन जगह इन्डस्ट्रीज़ की पोसीबिलिटीज़ हो, उसके सम्बन्ध में अगर बोर्ड के पास यह नोलेज़ न हो कि यह जगह इन्डस्ट्रीलाइज्ड है, यह सजेशन नहीं हुआ तो रोग इम्फेसिस एग्रीकल्चर को दे, तो सेकन्डरी एजुकेशन का पर्पज़ फुलफिल नहीं करेगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि वहां से एसे स्टूडेन्ट निकालें, जो अपनी कम्युनिटी की, लोकलिटी की, सोसाइटी की और अपने डिस्ट्रिक्ट की उन्नति और डेवलपमेंट की ओर हाथ बटायें। अगर हम चाहते हैं कि वे हाथ बंटायें तो यह जरूरी है कि हम उसी तरह की शिक्षा उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर दें, जो वहां की लोकलिटी, कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट की नीड्स हों और उस क्षेत्र की नीड्स को फुलफिल करें। इस तरह से बोर्ड के फंक्शन हों, इस प्रकार की शिक्षा का केरीकुलम बनाने का, एग्जामिनेशन कन्डक्ट करने का, कोर्स प्रेस्क्राइब करने का, बोर्ड के लिए इन्डीकेशन करना है, इसमें कमेटी क्या करेगी? वह जितनी ऐसी इन्स्टीट्युशन्स हैं, जितने डिफरेन्ट स्टेट्स के अन्दर, नेशन्स के अन्दर, जिस तरह सेकन्डरी एजुकेशन का कोर्स प्रेस्क्राइब होता है, जिन कोर्स पर इम्फेसिस दिया जाता है, उसका सिलेक्शन करेगी, सिलेक्शन में उसका डिस्क्रीमिनेशन होगा। इसके साथ ही हमको यह जानना जरूरी है कि जो कोर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जो केरीकुलम रखते हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट पर क्या असर पड़ता है, इसका क्या बेरोमीटर होगा? इसका बेरोमीटर यह हो सकता है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेबल कमेटी बनावें क्योंकि शिक्षा कोई एक्सपोर्टेबल कोमोडिटी नहीं है। अगर एक्सपोर्टेबल कोमोडिटी होती तो जो अमेरिका में शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसे यहां थोप सकते थे, ब्रिटेन में जो सेकन्डरी एजुकेशन प्रणाली है, उसको थोप सकते थे। एजुकेशन कोई एक्सपोर्टेबल कोमोडिटी नहीं है, फिर हमको देखना पड़ेगा, एक डिस्ट्रिक्ट की जो नीड्स हैं, वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट की नीड्स नहीं हो सकतीं, इसलिए हमें डिफरेन्ट कोर्स प्रेस्क्राइब करने पड़ेंगे। हमको डिफरेन्ट ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डिफरेंट केरिकूलम भी रखने पड़ेंगे, टाइम टेबल भी बहुत सी जगह चेंज करना पड़ेगा। इन सब चीजों को कैसे ध्यान में लाया जा

(श्री श्रीमानसिंह)

सकता है, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीज नहीं हो जो बोर्ड को सजेस्टिव मेज़र्स भेजती रहे ? पर अध्यक्ष महोदय, मैं जो इस जनतन्त्र या डेमोक्रेसी को समझता हूं इन टर्म ऑफ कन्ज्यूमर्स समझता हूँ। जो लेजिस्लेचर पास करते हैं, यह ध्यान रखते हैं कि कन्ज्यूमर्स को इससे कहां तक फायदा पहुँचता है, जो टैक्स देते हैं वे इस तरीके से सोचते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट उसके बदले में हमें फायदा पहुँचाती है। इन टर्म्स ऑफ कन्ज्यूमर्स करते हैं तो यह प्रणाली अपनानी पड़ेगी। चाहे यह प्रणाली नई और इम्प्रेक्टिकेबल लगे पर आज नहीं तो कल आपको कन्ज्यूमर्स को ओर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। एजुकेशन देते हैं, इन वेकम नहीं करते, पीपुल की डिमान्ड्स को, वान्ट्स को फुलफिल करने के लिये लेजिस्लेशन पास करते हैं। एक पर्पज़ है, डिमान्ड्स या वान्ट्स पीपुल की है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा लेजिस्लेशन कहां तक उनको फुलफिल करता है ? वह हम तभी देख सकते हैं जब कि डिफरेंट रिफैअर्स ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़ हैं, उनको पब्लिक एसोशियेट करे, पब्लिक का कोऑपरेशन लें। जब पब्लिक का कोऑपरेशन लेना चाहते हैं, हर एक इन्फोर्मेशन भी देना चाहते हैं तो इसके लिये हमारे पास कोई जरिया नहीं है सिवाय इसके कि पब्लिक को इन टर्म ओफ कन्ज्यूमर्स ओर्गेनाइज़ करें। यह कहते हैं तो जरूरी हो जाता है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र में कन्ज्यूमर्स को जरूर ओर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। आज जनता का शिक्षा के अन्दर एप्रोच है, आम जनता यह समझती है कि हमारा एक लड़का पढ़ जायगा तो सर्विस मिल जायगी, इन्टरमीजियेट कर लेता है तो समझती है कि गवर्नमेंट जोब मिल जायगी। जब जोब नहीं मिलती है तो शिक्षा को क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस लेवल पर उन्हें इन्फोर्मेशन दें तो पब्लिक की क्रिटिकल ओपिनियन है, उसका फायदा उठायें। जो एड्वाइज़री, सजेस्टिव ओपिनियन है वह तभी मिल सकती है जब कि जनता को कमेटीज़ के रूप में, सामूहिक रूप में ओर्गेनाइज़ करें।

पर अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा यह जरूरी है कि हमको शिक्षा के अन्दर एक ओर्गेनिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करना है। पर्टीक्युलरली अभी कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं की है। कन्ज्यूमर्स को किसी स्टेज पर नहीं लेते कि शिक्षा के पर्पज़ के लिये वे अपोनियन एक्सप्रेस कर सकें, क्लियरली कह सकें कि ये शिक्षा के एम्स हैं, पब्लिक इसके बारे में इग्नोरेंट है। सेकन्डरी एजुकेशन शिक्षा के स्फिअर में एक रेडिकल स्टेप है, रिवोल्युशनरी स्टेप है जिससे शिक्षा प्रणाली में पूरी रद्दोबदल करने वाले हैं, तो इसके लिये यह जरूरी है कि हम पब्लिक को एसोशियेट करें और इसके लिये जो स्कूल्स, कॉलेजेज़ हैं, गवर्नमेंट के नहीं हैं, यह एप्रोच रखें। जो यह एप्रोच रखेंगे कि बिल्डिंग्स गवर्नमेंट की हैं, शिक्षा गवर्नमेंट देती है तो डेवेलपमेंट में, प्लानिंग में सहयोग नहीं मिल सकता। जनता को हमें बताना है कि शिक्षा है, शिक्षा के भवन हैं, आपके हैं, सिर्फ आपके हैं, जनता के हैं, उनकी यह रेस्पोन्सिबिलिटी क्लीयरली ले-डाउन कर देंगे तो इसके डेवेलपमेंट में, इसके इम्प्रूवमेंट में, प्रोग्रेस में जनता सहयोग देगी। हमें इनको पीपल्स के इन्स्टीट्यूशन्स का कलर देना है, उनको एसोशियेट करते हैं तो इस लेवल पर आ कर हमको इसके इम्प्रूवमेंट में वे हैल्प देंगे। सबसे बड़ी बात एजुकेशन के अन्दर यह है कि हम इसे कम्पार्टमेंटली

(श्री श्रीमानसिंह)

डिवाइड नहीं कर सकते, स्कूल, सोसायटी, फेमिली, नेबरहुड, डिस्ट्रिक्ट इनको डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड कर दें तो इनका क्या असर होता है ? एक लड़का स्कूल एजुकेशन में जाता है तो इनका क्या सम्बन्ध है ? कम्पार्टमेंट्स में डिवाइड रखेंगे, फेमिली का इन्फ्लुएन्स चाइल्ड के माइन्ड पर नहीं होता तो वह स्कूल के अन्दर भी काउन्ट नहीं करता, प्रोग्रेस नहीं करता । पर यह गलती है, हमें देखना है पेरेन्ट्स को किस तरह एसोशियेट करें, नेबरहुड के एन्वायरमेंट, (Environment) सराउन्डिंग्स हैं उनसे इन डिसहारमोनी नहीं हो, कोई वेल्यूज, स्टेन्डर्ड, सेटअप करना चाहते हैं, वह टग ओफ वार नहीं हो । सबसे पहले फेमिली, सबसे पहले बच्चे को एजुकेट करती है, स्कूल के सराउन्डिंग्स हैं, वहां जो उन्हें शिक्षा मिलती है वही वहां मिले । रूस का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । रूस के एक स्कूल में बावजूद इसके कि पूरी एटेन्शन पे की जाती थी फिर भी एक लड़के के बारे में मास्टर की रिपोर्ट थी कि वह प्रोग्रेस नहीं करता है । जो पेरेन्ट्स कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी उस स्कूल से केनेक्टेड थी उसको यह मामला दिया गया । उस कमेटी ने उस लड़के के घर की विजिट की और कमेटी को मालूम हुआ कि उस लड़के का पेरेन्ट फैक्टरी में काम करता है जो घर में कभी सोबर रिटर्न नहीं करता था, उसके सोबर रिटर्न नहीं करने का नतीजा हुआ कि वह लड़का फैल होता रहा । उस कमेटी ने पेरेन्ट को एप्रोच किया, घर की कन्डीशन्स सुधारीं और तब जा कर वह लड़का पास हुआ । इस तरह नेबरहुड, सोसायटी, फेमिली को सुधारना एक वेल्यूज, प्रिन्सिपल को कायम करता है, अपने एक्सपीरियेंस के माफिक बच्चों को इन्फ्लुएन्स करता है, इन चीजों को तभी सुधार सकते हैं जब कि जो शिक्षा देना चाहते हैं उनसे हारमोनी पैदा की जाय । हारमोनी तभी हो सकती है जब कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज को वाच डोग बनाया जाय, एज ए वाच डोग सर्व करें, जो देखे कि फेमिलीज के एडवर्स सर्कमस्टेन्सेज हैं उनको चेंज करें और स्कूल को हारमोनी में लायें । ये सब चीजें हारमोनी में आ जाती हैं, तो मैं नहीं सोचता कि शिक्षा की प्रगति में कोई बाधा आ सकती है ।

अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज ओर्गेनाइज नहीं करेंगे तो शिक्षा में बाधाएं आएंगी और मैं यह कहूँगा कि सबसे ज्यादा बाधाएं आवेंगी इस बात की कि गरीबों के घरों की क्या हालत रहती है । आप जानते हैं कि घर पर और स्कूल पर जो फैसेलिटीज हैं उनमें क्या डिफरेन्स है, स्कूलों में जो फेसेलिटीज लड़कों को मिलेंगी वह घर पर नहीं मिल सकतीं । डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हों उनके पास गरीब लड़कों के पेरेन्ट आ कर एप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी फेमिली सर्कमस्टेन्सेज ठीक नहीं हैं और मेरी इन्कम अच्छी नहीं है; एन्वायरमेंट (Environment) ऐसे हैं कि मैं लड़के के लिये पूरी फेसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता । इसलिये आप इसको स्कूल बोर्डिंग हाउस में प्रायोरिटी दें और जगह दें । यह तभी हो सकता है जब आप इस प्रकार की कमेटियें रखें । जब हम इस प्रकार की कमेटियें रखेंगे तो आप देखेंगे कि सोसाइटी के लेवल पर पेरेन्टस का जो एप्रोच होगा वह उचित होगा और लोगों का एप्रोच शिक्षा की तरफ होगा और विद्यार्थियों की तरफ भी लोगों का ध्यान चेन्ज

(श्री श्रीमानसिंह)

होगा। अभी क्या है? हमने कभी पब्लिक का एसोसियेशन नहीं लिया है। हमने पब्लिक ओपीनियन क्रीएट नहीं किया है। इसका यह नतीजा है कि लड़कों में इन्डिसिप्लिन देखते हैं। हमने कभी इस बात को लड़कों के पेरेन्ट्स को नहीं बताया कि हायर एजुकेशन में लड़के बाजार में गड़बड़ी करते हैं, इन्डिसिप्लिन करते हैं या पेरेन्टस की जिम्मेदारी है, या नेबरहुड की रेस्पोन्सीबिलिटी है। मगर जब हम कमेटी के द्वारा यह बात बता देंगे कि चाइल्ड के अप ब्रिंगिंग की जिम्मेदारी आपकी है, स्कूल के बाहर जब बच्चा रहता है उसकी भी जिम्मेदारी पेरेन्टस और नेबरहुड, सोसाइटी की है। वे तो अभी स्कूल वालों की ही रेस्पोन्सीबिलिटी मानते हैं। जब हम उनको यह बतावें कि वे इस माने में अपनी रेस्पोन्सीबिलिटी शेयर करें तभी हम उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं और जब तक वे अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करें तब तक वे इसके लिये जिम्मेदार किस प्रकार कहे जा सकते हैं?

अब मैं आता हूँ ग्रान्ट्स कमेटी पर। मैं सदन का इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। मगर मैं यह कहूँगा कि जो बोर्ड बनाया गया है वह इस मकसद से बनाया है कि यह एक ओटोनोमस बोर्ड हो। जब माननीय मंत्री महोदय ने अपना जवाब दिया उसमें यह बताया कि बहुत से गवर्नमेंट एडेड स्कूलें हैं जो इन्कम टैक्स का क्राइटेरिया नहीं रखती हैं और फिर भी फीस वसूल करती हैं। इसलिये अब हमें यह देखना होगा कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो पोलिसी है उसको प्राइवेट इन्स्टीट्यूटस फोलो करते हैं या नहीं, उनके पेरेलल रन करते हैं या नहीं। जब बोर्ड को फाइनेन्स देने के पॉवर हैं तो बोर्ड को देखना चाहिये और फाइनेन्स के पॉवर नहीं हैं तो उन इन्स्टीट्यूशनों को, जो रूल्स के कॉन्ट्राडिक्शन में हों, उनको, गवर्नमेंट को ग्रान्ट-इन-एड नहीं देनी चाहिये और उनको बन्द करना चाहिये और उनको बन्द करना चाहिये जो हमारे सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड की पोलिसी के खिलाफ चल रहे हैं। बोर्ड उन इन्स्टीट्यूशन्स को किस तरह से रन करवाना चाहता है और गवर्नमेंट इस बात को नहीं सोच कर उनको ग्रान्ट-इन-एड देती जावे तो वह इसकी पोलिसी में कन्ट्राडिक्ट होगा और बोर्ड उस पर अपना कन्ट्रोल नहीं रख सकेगा। इसलिये हम चाहते हैं कि स्कूलें जो रन कर रही हैं वे बोर्ड से और रजिस्ट्रार से एफिलिएटेड हों, रजिस्टर्ड हों और यह तभी हो सकता है जब बोर्ड को हम फुल पॉवर दें कि जो सेकन्डरी एजुकेशन के स्कूलों को गवर्नमेंट ग्रान्ट-इन-एड देना चाहती है वह हम लम्प-सम (Lump-Sum) में बोर्ड को दे दें और बोर्ड अपनी कमेटियों के मार्फत इसका वितरण करे। यह तभी हो सकता है जब हम ग्रान्ट प्रिन्सिपल कमेटी कायम करें। चाहे वह सेकन्डरी इन्स्टीट्यूशन हो चाहे वह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन हो, बोर्ड की ओटोनोमस एस्टेब्लिश और कन्ट्रोल एस्टेब्लिश एन्ड पोलिसी एस्टेब्लिश करता है।

अन्त में बोर्ड के जो पॉवर और फंक्शन्स हैं, उसमें सबसे बड़ा रेस्पोन्सीबिलिटी का यह पॉवर है और वह रेस्पोन्सीबिलिटी का पॉवर इसी के जरिये दे सकते हैं कि वे सेकन्डरी एजुकेशन की ग्रान्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे देखेंगे कि आया कोई इन्स्टीट्यूशन गवर्नमेंट पोलिसी के कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है। दूसरा, पब्लिक स्कूल्स सेकन्डरी एजुकेशन के सिद्धान्तों को

(श्री श्रीमानसिंह)

फोलो कर रहे हैं या नहीं; तीसरा, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स सेकन्डरी एजुकेशन स्कूल्स के पेरेलल लाइन पर रन करेंगे।

आप देखेंगे कि बहुत से प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स ऐसे हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं हैं और न उनके पास इक्वीपमेंटस हैं। मगर इस प्रकार की हालत होते हुए भी गवर्नमेंट उनको ग्रान्ट-इन-एड दे रही है, क्योंकि, गवर्नमेंट उनको नाराज करना नहीं चाहती और इसलिये ग्रान्ट-इन-एड बन्द नहीं करना चाहती। मगर बोर्ड एक ओटोनोमस बॉडी होगा वह डिसिशन्स ऑफ पोलिसी पर वर्क करेगा और वह पार्टी बेनर से दूर रहेगा और वह इन्डिपेन्डेन्ट वर्क करेगा। वह ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स जिसमें कि चाइल्ड के माइन्ड पर अन्हेल्दी डेवलपमेंट हो, ग्रान्ट-इन-एड नहीं देगा और बन्द कर सकता है, क्योंकि वह कभी यह नहीं चाहेगा कि बच्चे के माइन्ड पर अनहेल्दी डेवलपमेंट का असर हो। जहां पर लिमिटेड क्लासेज़ होती हैं उनको वह कम्पेल कर सकता है कि आपको इस तरह से शिक्षा देनी पड़ेगी। वह किसी पर्टीकुलर क्लास के लिये नहीं दे सकता। यदि हम यह सब देखें तो यह तभी फुल-फिल हो सकता है जब हम इस ओटोनोमस बोर्ड को ग्रान्ट-इन-एड का रुपया लम सम में दे दें और वह सेकन्डरी स्कूलों में डिस्ट्रिब्यूट करें और वहां के लोगों का एसोसिएशन हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना एमेन्डमेंट प्रस्तुत करता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय अध्यक्ष, अभी जो विधेयक सदन के समक्ष आया है, उसकी क्लॉज़ २० की सब-क्लॉज़ में एक माननीय सदस्य ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की उन्होंने युक्तियां दी हैं और जिस प्रकार से उन पर बल दिया है बहुत संभव हो वे उनके समझ में उपयुक्त हों, लेकिन जहां तक इस क्लॉज़ को पूरे तौर पर पढ़ने पर और बातें जो कुछ आवश्यक थीं, इसमें आनी चाहिये, इसको देखते हुए, मैं इस संशोधन को नितान्त अनावश्यक और असंगत मानता हूँ।

अनावश्यक इस दृष्टि से कि इसके संबंध में माननीय सदस्य ने इस दृष्टि से कि जो बोर्ड राज्य भर की, राज्य की शिक्षा चलाने के लिये बनाया गया है और सुझाव दिया है, वे इस योग्य नहीं हैं कि वह राज्य के समस्त जिलों के अभाव और....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On a point of order, I also tabled an amendment on this Clause 20. Shall I be permitted to move my amendment later on?

श्री अध्यक्ष : Yes, you can move your amendment and then we will have discussions on the amendments and then the reply of the Minister will be given.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २०, सब-क्लॉज़ ३ पर मेरा यह संशोधन है। क्लॉज़ २० सब-क्लॉज़ (३) ओरिजिनल यह है :

"Every Committee shall consist of such Members of the Board and such other persons as are prescribed by Regulations."

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेरा संशोधन इसमें इस प्रकार है ?

"such members of the Board" and "other" ये शब्द इसमें से हटा दिये जावें ।

माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन बहुत छोटा सा है और वैसे अधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है लेकिन एक दृष्टि से महत्व रखता है । इस क्लॉज़ २० में हमने प्रोविज़न किया है :

"Appointment and Constitution of Committees-The Board shall appoint the following Committees, namely:-(a) Committees of Courses, (b) An Examination Committee,..." and so on.

और क्लॉज़ २० के सब-क्लॉज़ (३) में रखा है "Every Committee shall consist of such members of the Board and of such other persons as are prescribed by Regulations." मेरे संशोधन का अर्थ केवल इतना है कि जिन कमेटियों का निर्माण क्लॉज़ २० के तहत हम करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस हर कमेटी में बोर्ड के मेम्बर्स रखे जायें यह आवश्यक नहीं होना चाहिए और सब क्लॉज़ (३) में जिस शब्द का उपयोग किया गया है, "Every Committee shall consist of such members of the Board..." इसका अर्थ यह होगा कि बोर्ड के कुछ मेम्बरान और कुछ सदस्य बाहर के मिलाकर इन कमेटीज़ का कम्पोज़ीशन किया जायगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन कमेटीज़ के कम्पोज़ीशन और एपोइन्टमेन्ट के बारे में हमने क्लॉज़ २० में प्रोवीज़न किया है उसमें कमेटीज़ ऑफ कोर्सेज़ है और एग्ज़ामिनेशन कमेटी भी है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह मंजूर करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन कमेटी में बोर्ड के मेम्बर्स के रखने की आवश्यकता नहीं है, या इस प्रकार की और दूसरी कमेटीज़ भी हो सकती हैं जिनमें यह आवश्यक नहीं है कि हम बोर्ड के मेम्बर्स को ही उनमें रखें । उनमें हो सकता है कि दूसरों को भी रखा जाय । बाहर के सदस्यों को उनमें रखा जा सकता है । एक्सक्लुसिवली दूसरे सदस्य रखे जा सकते हैं और रखे जाने चाहिए । ऐसी अवस्था में इस क्लॉज़ २० सब क्लॉज (३) में जहां 'शैल' का प्रयोग किया है उसका प्रोवीज़न मेन्डेटरी हो जायेगा । मेन्डेटरी प्रोवीज़न होने के बारे में उस स्थिति में बड़ी दिक्कत आयेगी कि किस कमेटी में वह बोर्ड के मेम्बर्स नहीं रखे गए हैं और बाहर के सदस्यों को रखा गया तो कोई वैधानिक आपत्ति भी आ सकती है । ऐसी स्थिति में मैं उचित समझता हूं कि यह जो शब्द हैं कि "Every Commmittee shall consist of such members of the Board and of such other persons-..." तो यह "Such members of the Board" उड़ा दिया जाय और "other persons" बाहर के हो सकते हैं । इस क्लॉज़ को पास किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी डीग) : हां, तो मैं अपने भाषण में यह निवेदन कर रहा था कि शायद इस संशोधन के लाने वाले सदस्य महोदय को यह मालूम है कि राजस्थान के जिलों में अभाव और आवश्यकतायें क्या क्या हैं ? इसलिये वह चाहते हैं कि इस बोर्ड का भी विकेन्द्रीकरण किया जाय, इस बोर्ड के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें, अलग अलग जिलों में और फिर उन जिलों की ओर से सुझाव

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

आयें और उनके अनुसार बोर्ड अपने नियमों में सुधार करे। मैं समझता हूँ कि किसी भी दृष्टि से यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। शिक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा जो बोर्ड गठित किया जाय उसको भी फिर जिलों जिलों में अलग से बांटा जाय और वह इसलिये कि जिलों-जिलों की आवश्यकतायें अलहदा-अलहदा हैं। मैं समझता हूँ कि जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है और राजस्थान से भी बड़े बड़े राज्य, मध्य भारत कहीं बड़ा हो चुका है, बम्बई भी बड़ा है पास में यू०पी० भी बड़ा है, वहां भी शायद इस प्रकार की आवश्यकताएं नहीं हैं, जहां एक जिले से दूसरे जिले में काफी अन्तर है, जब कि राजस्थान के अन्दर हम समझते हैं कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है कि जहां कि शिक्षा प्रणाली और विषय दूसरे के साथ एक न हों। उदाहरण के तौर पर किसी भी जिले के अन्दर कृषि भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि वहां के लिये उद्योग धंधे। फिर राजस्थान के अन्दर एक जिले में एक ही स्कूल हो यह भी आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिले जिले के अन्दर और अब तो राजस्थान के सभी जिलों में एक से अधिक स्कूल हो गए हैं और स्कूलों में विषय भी जहां तक हम देखते हैं भिन्न-भिन्न होते हैं; कहीं कृषि है, कहीं उद्योग-धंधे हैं और कहीं और दूसरे हैं और खास तौर से जो यह मल्टी-पर्पज़ स्कूलें खुली हैं, उनके अन्दर तो विषयों में अवश्य अन्तर रखा-जाता है। इस दृष्टि से एक जिले के विद्यार्थियों की आवश्यकतायें कुछ और हैं और दूसरे जिलों में कुछ और हैं और केवल इसी आधार पर वहां पर एक जिले का बोर्ड गठित किया जाय, इसकी कोई आवश्यकता और उपयुक्तता प्रतीत नहीं होती। यदि हम इस दृष्टि से भी देखें कि उनके बनाने से कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही, स्थानीय प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही; तो उसमें एक बड़ी कठिनाई होगी। मेरे माननीय मित्र ने इतना कहा कि उसमें इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स होंगे, कुछ पेरेन्ट्स भी होंगे। मैं समझता हूँ कि जहां तक इस केन्द्रीय बोर्ड का गठन है इसके अन्दर इस प्रकार के सदस्य रखे गए हैं जो कि शिक्षा की किसी न किसी शाखा में दक्ष हैं, कुशल हैं। वेटरनरी के लोग रखे गए हैं, मेडीकल के लोग रखे गए हैं, इन्जीनियरिंग के लोग रखे गए हैं, तो वे अपने अपने विषयों में विशेषज्ञों की हैसियत से आते हैं। शिक्षाध्यक्ष रखे गए हैं या दूसरे शिक्षा विशेषज्ञ रखे गए हैं, तो वे भी इसी दृष्टि से रखे गए हैं कि जहां तक लोकमत का संबंध है, इस बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि शिक्षा के संबंध में लोकमत जानना बहुत आवश्यक है। यह तभी जाना जा सकता है जब कि जिलों में अलग अलग इस प्रकार के बोर्डों का अलग से निर्माण किया जाय। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान में इन इन विषयों की जो जो आवश्यकतायें हैं वह पूर्णतया हम सभी जानते हैं। एक कृषि का डाइरेक्टर रहता है। राजस्थान में, मैं नहीं समझता कि अलवर में कृषि के दूसरे तरीके हों, जयपुर में दूसरे हों और जोधपुर में दूसरे हों और वहां कृषि के संबंध में अलग से कोई सलाह ली जाये। दूसरी जगह अलग से ली जाये ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार मेडीकल के अन्दर या वेटरनरी के अन्दर या जिन जिन विषयों का समावेश इस हायर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बनने जा रहा है उसके द्वारा किया जायगा। कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसमें एक जिले से दूसरे जिले में भिन्नता हो। फिर व्यावहारिक दृष्टि से भी देखने की बात है। सिर्फ इतना कहने से कि ऑनरेरी होंगे, मैं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

समझता हूं कि शायद सरकारी अधिकारियों को पे मिलती है उनको ऑनरेरी बना सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को किन किन को अवैतनिक रहने को राजी कर सकते हैं ? बोर्ड की मीटिंग होगी, उसकी बैठक होगी और सब लोग उसमें शामिल होंगे वे हर बैठक में बिना वेतन या भत्ते के कैसे आ सकते है ? फिर यह भी नहीं कि जिले, जिले का भी कोई आकार-प्रकार एक सा हो। राजस्थान के जिलों में आज भारी भिन्नता है। अकेला जयपुर जिला शायद कोटा, बूंदी, झालावाड़ के बराबर हो सकता है। यह हिंडोन से लेकर फुलेरा तक है। इस दृष्टि से देखा जाय तो इसमें कोई खास बुद्धिमत्ता की बात प्रतीत नहीं होती कि जिलों के ही बोर्ड बन जाने से जिले की आवश्यकता को पूरी करेगा। जिलों में एक अच्छा सींचा हुआ भाग भी हो सकता है, और रेगिस्तानी इलाका भी हो सकता है, पहाड़ी इलाका भी हो सकता है। कुछ न कुछ तो खनिज पदार्थों में भी भिन्नता हो सकती है।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, is it not irrelevrnt ?

आप जिलों-जिलों में तो खुद ही डिफ-रेन्स बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : Let him develop his arguments.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरे मित्र शायद मुझे समझे नहीं। आपने जो····

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो समझ भी नहीं पाया और मैं अब आपको सुनना भी नहीं चाहूंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह अच्छा है, क्योंकि आपको जवाब देने में तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी।

श्री श्रीभानसिंह : Then I will come back.

(श्री श्रीभानसिंह सदन छोड़ कर बाहर चले गए)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) मैं यह कह रहा था कि जिलों में अलग अलग बोर्ड हों और शिक्षा की दृष्टि से कुछ उपययुक्त होते हों तथा इससे जनता को कोई लाभ भी होता हो तो यहां सदन में जितने बैठने वाले हैं हर एक इसका पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन यह संशोधन तो केवल संशोधन के लिए रखा गया है और इसका आधार यह रखा है, इसके अन्दर पेरेन्ट्स को भी एसोसिएट किया जाय। एक जगह आप अगर बोर्ड कायम कर देते हैं तो वहां बीस-तीस कोस से आने वाले लड़के भी पढ़ सकते हैं, उनके पेरेन्ट्स को और उन कमेटियों में शामिल कर सकते हैं वहां किन किन के पेरेन्ट्स आयेंगे और कहां कहां से आयेंगे, यह कुछ संगत सा प्रतीत नहीं होता। पेरेन्ट्स का जहां तक सवाल है; आजकल हर एक स्कूल के अन्दर पेरेन्ट्स एसोसिएशन्स बनाई जाती है और नहीं बनाई जाती हैं तो अब बनाई जानी चाहिये। पेरेन्ट्स डे भी एक मनाया जाता है और उस दिन अधिक से अधिक पेरेन्ट्स वहां आ सकते हैं और उनके क्षेत्र की ओर उनके लड़कों की जो भी आवश्यकतायें समझी जायें, उस समय वह कही जा सकती हैं। उस पर कोई न कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस बोर्ड में जो सदस्य आयेंगे वे कुछ तो इन्सपेक्टर्स होंगे कुछ कॉलेजेज़ के प्रिंसिपल्स होंगे और भी हर क्षेत्र के होंगे। यह नहीं हो सकता कि राजस्थान का ऐसा कोई इलाका बच जाय जिसका प्रतिनिधि बोर्ड में न आय। इसके अलावा यह बोर्ड ऐसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

चीज नहीं है कि इसमें सब जगह के प्रतिनिधि लिये ही जायं। आज तो यह समय नहीं है। हां, आज से पचास साल बाद ऐसा समय आ सकता है, हमारा एक गृहस्थ बड़ा बूढ़ा होगा वह शिक्षा के सम्बन्ध में राय दे सकेगा। जहां तक इस युग का सम्बन्ध है मैं समझता हूँ कुछ थोड़े से लोग ऐसे हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में समझ सकते हैं, केवल उन्हें नियुक्त किया जाय, यह संभव प्रतीत नहीं हो सकता। केवल सरकारी अधिकारियों को छोड़ कर जिस में एग्रीकल्चर के प्रतिनिधि हो सकते हैं, मेडिकल के भी हो सकते हैं और ये विशेषज्ञ कहां से आयेंगे यहां जो शिक्षा के स्टेटस के बारे में बतलायेंगे ? संस्कृति के उत्थान के सम्बन्ध में अथवा शारीरिक उत्थान के संबन्ध में क्या किया जायगा ? शारीरिक उत्थान के सम्बन्ध में एक जिले में और दूसरे जिले में क्या अन्तर हो सकता है, इसी प्रकार शिक्षा के विषय में भी हो सकता है। पृथक पृथक जिलों में क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं, जो बोर्ड के सामने अलग अलग रूप से रखा जाय, मैं समझता हूं यह जिला परामर्शदात्री समितियों का जो सुझाव है, वह अनावश्यक और असंगत भी है। यह जो बोर्ड है उसका हैडिंग है, इसमें दिया गया है :—

"The Board shall appoint the following Committees, namely-..."

कमेटीज़ कैसी होंगी ? वे कमेटीज़ शिक्षा के सम्बन्ध में क्या क्या पाठ्यक्रम होने चाहिये, क्या क्या चीजें पढ़ायी जानी चाहिये, इन बातों को निश्चित करेंगी। इसके लिये अपने अपने विषय के विशेषज्ञ इस कमेटी में होंगे, वे इस पर विचार-विनिमय करके कोई न कोई निर्णय लेंगे यह सब केन्द्रीय चीजें हैं, केन्द्र में आकर बैठेंगे और निर्णय लेंगे।

एग्ज़ामिनेशन कमेटी : परीक्षाओं के सम्बन्ध में क्या प्रणाली हो, किस किस प्रकार से इम्तिहान लिये जांय, कौन कौन विषय में एग्ज़ामिनेशन हुआ करेंगे, इस बात का निर्णय करेंगी।

तीसरी कमेटी है, केरीकुलम कमेटी जो पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निर्णय करेगी। उसके अलावा रिकॉग्निशन कमेटी भी होगी जो यह तय करेगी कि कौन कौन सी संस्थाओं को रिकोग्नाइज़ किया जाय। उसके बाद फाइनेन्स कमेटी होगी उसके बाद जिन माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है वे बढ़ाना चाहते हैं डिस्ट्रिक कमेटी। एक के आगे कौन कौन से जिलों की कमेटियों को वे जोड़ेंगे। राजस्थान के २५ जिले हैं, वे किस प्रकार यहां फिक्स हो सकते हैं ? ऐसी कमेटियां जिनका नाम बोर्ड के क्षेत्र में आ सकता है, जिसके अन्दर बोर्ड काम कर रहा है वहीं पर काम करेंगी। लेकिन जिले की जितनी कमेटियां बनेंगी, वे अलग अलग जिलों में बनेंगी, हर एक अलग अलग सुझाव किस प्रकार देंगे, उनका किस प्रकार से केन्द्र से सम्बन्ध होगा, इसको माननीय सदस्य ने बतलाने की तकलीफ नहीं की।

इसके अलावा ग्रान्ट-इन-एड का भी सुझाव रखा गया है, एक कमेटी ग्रान्ट-इन-एड के लिये अलग से हो जो यह तय करेगी कि कि स्कूलों में किस प्रकार से ग्रान्ट-इन-एड दी जाय। इसके लिये तो यह मौजूद है कि जो भी संस्था बोर्ड की कन्डीशन्स हैं, उनको फुलफिल करती हैं, तो उनको ग्रान्ट-इन-एड दी जायगी और जो संस्था पूरा नहीं करती हैं, बोर्ड उसको रिकग्नाइज़ भी नहीं करेगा। इस

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पर ग्रान्ट-इन-एड भी उन्हीं संस्थाओं को दिया जायगा, जो बोर्ड की शर्तों को पूरा करेंगी । जहां तक एड देने का सवाल है ऐसे भी स्कूल हैं, जिनका सम्बन्ध गवर्नमेंट से न होते हुए भी सरकार उनको एड देती है । यह तो गवर्नमेंट के देखने की बात है । इस तरह से मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो भी संशोधन रखा है, जैसा कि मैंने आरम्भ में ही बता दिया, अनावश्यक और असंगत है और मैं अन्य सदस्यों से भी निवेदन करूंगा, वे भी इसी रूप में इन संशोधनों को देखेंगे ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सदन के सामने पेश हुआ है कि क्या यह जरूरी है कि बोर्ड माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये बनाया जा रहा है उसके बावजूद भी और कमेटियों की जरूरत है, जिससे इस बोर्ड की कार्यवाही, इस बोर्ड की नीति संचालन में माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को सुधारने में, कुछ मदद दे सकती है । जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने यह फरमाया कि क्या इस बोर्ड की जो नीति या प्रणाली है उसको छान-बीन करने के लिये कोई कमेटी बनायी जाय या नहीं । बोर्ड की कार्यवाही में कुछ दखल पड़े, बोर्ड का केन्द्रीय करण मिट जाय और वह भी अलग अलग विभागों में विभाजित हो जाय । इसमें विभागों के विभाजन का सवाल नहीं है यह तो केवल कन्सलटेटिव बोडी बनाने का प्रस्ताव है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्सलटिंग बोडी होगी वह केन्द्रीय बोर्ड को जयपुर में आकर यह निवेदन करेगी कि हमारे जिलों में फलां फलां जो बोर्ड की आज्ञा थी, नीति थी, सिद्धान्त थे, फलां-फलां डिस्ट्रिक्ट में उस प्रकार से काम नहीं हुआ, बोर्ड ने जो कुछ आदेश दिये उनका पालन नहीं हुआ, ये सब बातें डिस्ट्रिक्ट में जो कमेटियां होंगी वे बोर्ड के सामने लायेंगी । इसलिये बोर्ड के लिये भी यह आवश्यक होगा कि जो कुछ परामर्शदात्री समितियां कहें उसके अनुसार लाजमी उसको कुछ न कुछ करना पड़ेगा । यह तो सिर्फ कन्सलटिंग बोडी होगी; जैसे कोई मरीज़ है और वह किसी डाक्टर के पास जा कर अपने मर्ज को बताता है और डॉक्टर उसको राय देता है कि आपको फलां चीज खानी चाहिये, फलां दवा लेनी चाहिये, जो राय डाक्टर देता है उसको मानना या मानना मरीज़ के ऊपर है, डॉक्टर का तो केवल यह काम है कि वह राय दे दे । इसी प्रकार जो कुछ सलाह का कार्य होगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में वह कमेटी देगी उसको मानना या न मानना यह तो बोर्ड का कार्य होगा । इस परामर्शदात्री समिति का यह कार्य होगा कि बोर्ड को आकर बताये कि आपने जो भी कुछ आदेश दिये थे उनको किस प्रकार कार्य रूप में लाया गया, अगर कार्य रूप में आया तो किस तरह और कार्य रूप में लाने के क्या क्या साधन हो सकते हैं ? हर जगह की समस्या तो अलग अलग है । एक जगह तो आप यह मानते हैं कि अलग अलग है और दूसरी जगह यह मानते हैं कि एक है । अब यह वाकई में बहुत घोटाले की चीज है । यहां की समस्या, हालत, मौसम आदि देखकर आपको यह तो मानना ही पड़ेगा कि हर जगह की हालत, वहां की परिस्थितियां, वहां की समस्याएं अलग अलग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं । राजस्थान बहुत बड़ा और लम्बा चौड़ा प्रान्त है, जहां कि प्राकृतिक स्थिति के लिहाज से, सामाजिक रीति-रिवाजों की लिहाज से, वहां की अन्य विशेष परिस्थितियों के लिहाज से, वहां की स्कूलों की पढ़ाई

(श्री अनूपसिंह)

किस तरह की किस जगह की होगी, यह सही सही जानना एक सेन्ट्रल बोडी के लिये आसान काम नहीं है। इसके लिये कन्सल्टेटिव बोडीज़ हों और वे बताएं तो शायद है, यह बोर्ड उसे आसानी से समझ सके। इस बोर्ड में मैं मानता हूँ, बहुत बड़े बड़े आदमी, शिक्षा के मामले में माहिर आदमी बैठे हैं और २१ आदमी बैठे हैं। पर ये शिक्षा के मामले ही में माहिर हो सकते हैं। दूसरी बातों के बारे में एवरेज़ आदमी से ज्यादा नहीं जान सकते। जैसे कि वेटरनरी का तरीका क्या होना चाहिये, किसी बीमारी का क्या इलाज होना चाहिये, मेडिकल कैसी होनी चाहिये, सर्जरी का क्या होना चाहिये, या एग्रीकल्चर की कन्डीशन्स वहां की क्या हैं ? इसमें ड्राई फार्मिंग सक्सेस होगी या नहीं होगी, सिंचाई सक्सेस होगी या नहीं, फर्टीलाइज़र इसमें देने से फायदा होगा या नहीं होगा। तो यह जो ड्राई एरिया से आये हैं, वे अधिक ठीक तरह से जान सकते हैं, बनिस्पत इसके कि और कोई जानना चाहे। मैं मानता हूँ मन्त्री महोदय भी ड्राई एरिया से आये हैं पर वे इस बिल को पाइलट करते हैं इसलिये सभी बातें उनके ध्यान में आई होंगी या और सभी बातें वे जानते होंगे, यह मैं नहीं मानता। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि हर जगह की समस्याएं अलग अलग हैं, यह मानना ही पड़ेगा और उनको हल करने के लिये अलग अलग तरीके अपनाने होंगे, यह भी मानना पड़ेगा। अब ऐसा है कि बाड़मेर में डेयरी फार्मिंग से अधिक ठीक काम चल सकता है बमुकाबले खेती—बाड़ी के, क्योंकि वहां की जमीन ही ऐसी है, वहां पानी समय पर हो न हो, लोग इसके बारे में अन्सर्टेन से रहते हैं, इसलिये वे उधर ध्यान अधिक नहीं देते। अब यह डेयरी फार्मिंग की समस्या को हल करने की बात या सूचना बोर्ड तक कैसे पहुंचे और वहां उसके अनुसार ही नीति बरतने की बात बोर्ड के ध्यान में कैसे आवे ? तो इसके लिये कन्सल्टेटिव बोडीज़ अगर होंगी तो इससे वे यह सूचना पा सकेंगे, यह पृष्टभूमि उनको वहां की मालूम हो सकेगी उनके जरिये।

इस तरह से मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अनेकों चीजें होंगी, अनेकों समस्याएं होंगी, जिन्हें यहां बैठकर, कितने ही बड़े आदमी वे क्यों न हों, फिर भी, मालूम नहीं कर सकते। जैसे मैं बताऊं, किताबों का ही मसला है, पाठ्यपुस्तकों का। पांचवी छठी क्लास की पाठ्यपुस्तकें वहां पहुँची ही नहीं। अब यह शिकायत माननीय मन्त्री महोदय तक पहुंची या नहीं, मुझे मालूम नहीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह किताबों के जिक्र का क्या संबंध है ? यह किताबों का जिक्र अमेन्डमेंट से ताल्लुक नहीं रखता है। न यह किसी आर्गुमेंट से ताल्लुक रखता है।

कई माननीय सदस्य ; यह तो उदाहरण है।

श्री अनूपसिंह : (जारी) आपके कान तक यह बात पहुँची है या नहीं कि हमारे यहां किताबें पहुँची हैं या नहीं और लड़के आज भी इनका इन्तजार कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कन्सल्टेटिव बोडी होती तो आप यह जवाब कभी नहीं देते कि हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। तो इस तरह की छोटी, छोटी चीजों के बारे में वहां की समस्याओं और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में आपको इन्फोर्मेशन मिलती रहे और राय मिलती रहे तो यह ठीक ही होगा। अब यह तो कन्सल्टेटिव

Page No.58

(श्री अनूपसिंह)

कमेटी है, आप इसकी बात को मान ही लें ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, यह तो राय है, आप ठीक समझें तो मानें, नहीं तो नहीं मानें। ये तो वहां की समस्याओं पर सुझाव के लिये सहकारी समितियों की तरह होंगी।

अब दूसरी बात जो मेरे से पूर्व वक्ता ने फरमाई कि पेरेन्ट्स को मिलना क्यों जरूरी है। हर पेरेन्ट को कमेटी में लाना बहुत मुश्किल हो जावेगा, हर पेरेन्ट नहीं आ सकेगा, यह मैं मानता हूं। उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई आ सकते हैं। जैसे हम हैं। अब हमारी किसी कॉन्स्टीट्युएन्सी को रिप्रेज़ेन्ट करने और सुनने के लिये वहां के एक लाख आदमी सदन में लाएं? क्या वे यहां आ सकते हैं? अगर ले भी आवें तो सदन की ये दीवारें ही फट जावेंगी। सब इस जगह आ नहीं सकेंगे। तो एक प्रतिनिधि पेरेन्ट्स की तरह से भी आवेगा पर यह जरूरी नहीं कि पेरेन्ट को, हर पेरेन्ट को कन्सल्ट किया जावे। स्कूल का वातारण और होता है और घर का वातारण और। इन दोनों में बच्चा सही हालत में रह सके, जो स्कूल में सीख कर आए वह घर में भूल न जाए, तो इन दोनों वातावरण में सामन्जस्य तभी हो सकता है जब कि पेरेन्ट्स भी अपने बच्चों की समस्याओं के प्रति उतने ही जागरूक हों जितने कि स्कूल। सेकन्डरी बोर्ड ने जिस प्रकार की परिस्थितियों को बनाये रखने की घर में बच्चों के लिये अपेक्षा की है, इसके लिये जो सिद्धान्त स्थिर किये हैं उनमें अब पेरेन्ट्स सहयोग दें, उस तरह का वातावरण वे अपने घर में रक्खें और यह होने के बाद ही यह सम्भव हो सकता है कि जो अच्छी बातें बच्चे स्कूल में सीख कर आते हैं उन्हें घर में भी अपने दिमाग में रख सकें और उन पर आचारण कर सकें। पर इसके लिये पेरेन्ट्स के सहयोग की, उनकी मदद की बड़ी आवश्यकता है। इसके लिये ये सलाहकार समितियां बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकेंगी।

बाहर के देशों में इस चीज को माना गया है और हर जगह ऐसी काउन्टी काउन्सिल्स हैं जो इस बारे में बराबर सलाह दिया करते हैं। वे अपने यहां की विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह की शिक्षा की पोलिसी उपयोगी हो सकती है और उसे किस तरह से गठित किया जा सकता है, इस बारे में सलाह दिया करते हैं। What we need in our country?

काउन्टी तक की छोटी छोटी कौंसिलें हैं जो अपनी जरूरतों को; अपने यहां की परिस्थितियों में क्या उपयुक्त होगा इस बारे में अपनी रायों को बराबर केन्द्र में भेजते रहते हैं और इस बात की निगाह रखते हैं कि हमारे लड़के स्कूल में जो सीखते हैं वह घर के अन्दर आकर भूल न जाएं।

इसके सिवाय अगर आप वाकई में यह चाहते हैं कि आज गया बीता शिक्षा का जो ढ़ांचा है वह बदले, उसमें सुधार हो, क्रान्तिकारी परिवर्तन हो और हमारे देश के हित में उसका गठन हो, तो उसके लिये अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सलाह देने को लोग तैयार होते हैं तो इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। यह प्रजातान्त्रिक तरीका होगा। अगर आप यह चाहते हैं कि जनता अपनी तकलीफों को आप तक भेजे और आप पूरे जागरूक रहकर उनको दूर कर सकें, तो इसके लिये यह निहायत जरूरी है कि इस बात को आप मान लें।

मैं और निवेदन कर दूं कि जब हर तरह की डेवलपमेन्ट कमेटियां बनी हुई हैं तो क्या

(श्री अनूपसिंह)

यह जरूरी नहीं कि शिक्षा के सुधार में सहयोग देने के लिए इस तरह की कन्सल्टेटिव कमेटियां बनाई जाएं ? अब ऐसी इसमें लम्बी चौड़ी बात भी नहीं है कि जिसके कारण इसे न माना जा सके। इसलिये मेरा यह पुरजोर निवेदन है कि अपनी प्रजातान्त्रिक प्रणाली को आगे चलने के लिये और इसको भी शिक्षा के अन्दर ठीक ढंग से लाने के लिये आपको इस संशोधन प्रस्ताव को मान लेना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने विचारार्थ मेरे माननीय मित्र ने प्रस्तुत किया है वह भाषा से और गठन से और मेरे लिये ऐसा कहूँ कि इरादे से बड़ा आकर्षक संशोधन है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। पर एक आकर्षक बात कहना और इसको फोर्स देना और बात है और इसका जो प्रस्तुत विषय है उसके साथ में सुसंगति बिठाना दूसरी बात है।

जो क्लॉज़ हमारे सामने है, उसका मकसद इतना है कि चार उप-समितियां हों और वे बोर्ड के लिये अनिवार्यतः जो काम करने को हैं, वे करेंगे। मसलन इस क्लॉज़ में जिन उप समितियों के निर्माण का उल्लेख है वे इस तरह से हैं। एक परीक्षा की समिति होगी, एक स्वीकृति अधिकृति, एक मूल्यांकन समिति और एक अर्थ समिति होगी। इन समितियों का अगर हम अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट होगी कि बोर्ड के विधान के अन्तर्गत बोर्ड के लिये अनिवार्यतः समितियों के जरिये जो काम करना है उनके बारे में है।

अभी एक प्रश्न यहां पर उठाया गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर जनता की परामर्श दात्री समितियां भी होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि यदि हमने समूची शिक्षा प्रणाली के बारे में, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जिला स्तर पर परामर्श दात्री समितियां मांगी होतीं तो अधिक समीचीन होता, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के बारे में परामर्श दात्री समितियों की यहां मांग रखी गई है। सही बात यह है कि मेरे माननीय मित्र समूचे राजस्थान की शिक्षा प्रणाली और उसकी व्यवस्था के बारे में जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियों की मांग करते तो यह अधिक उपयुक्त होता। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि विकास कार्यों के लिए राजस्थान के जिला स्तर पर विकास समितियों का निर्माण है और वे विकास समितियां राजस्थान के जिलों के सम्बन्ध में जिलेवार बराबर अपनी राय देती आ रही हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, केवल एक विषय के लिए ही वे विकास समितियां नहीं हैं। यदि यहां कोई यह मांग करे कि केवल सड़कों के बारे में जिला स्तर पर एक विकास समिति हो या सिंचाई के बारे में जिले के स्तर पर एक विकास समिति हो तो, मैं समझता हूँ, कि वह बहुत ही आंशिक बात होगी। यह तो सिद्धान्ततः सभी शिक्षाविद् मानते हैं कि शिक्षा प्रणाली की चेतना के विषय में,

२. ३ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसकी व्यवस्था के बारे में जनमत को लिया जाना चाहिए। यदि जनमत के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, विचार करें तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनमत अत्यन्त वरेण्य है। जनमत के बारे में जो भावनायें व्यक्त करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जब जनमत का विश्लेषण करके सोचना चाहें तो कई श्रेणियां मेरे दिमाग में आती हैं। यदि जनमत का वैज्ञानिक

Page No.60

(श्री जनार्दनराय नागर)

आधार पर विश्लेषण करें तो तीन चार इसकी श्रेणियां हैं। प्राथमिक जनमत है वह केवल अनुकरणीय जनमत है। इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति जनमत को बनाते हैं और अनुकरण करने वालों को साथ लेकर चलते हैं। कुछ जनमत ऐसा है कि जो निष्णात जनमत के नाम से पुकारे जाते हैं। उनमें जो अनुभवी हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, विचारक हैं इसको लेकर चलें तो उसे जनमत के नाम से पुकारा जाएगा और एक जनमत वह है जिसको सहयोगी जनमत के नाम से पुकार सकते हैं। एक सहयोगी व्यक्ति आ सकता है, वैसा व्यक्ति एक मत बनाता है उसको वशीकरण मत माना जा सकता है। एक विवेक संगत मत है, वह अनुभवी, क्रान्ति-दर्शी, उच्च बुद्धि और अनुभूतियों से ओत-प्रोत व्यक्तियों से बनता है। मैं नम्रता पूर्वक, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरे मित्र को कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक मत हो बनिस्पत अधिक जनमत के। यदि अधिक जनमत के साथ शिक्षा के प्रश्न को जोड़ेंगे तो भूलभुलैयों में फंस जावेंगे। क्या आप शिक्षा में अनुकरणीय जनमत को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप शिक्षा के अत्युत्तम विकास में अनुभवी, विचारशील, आत्मा के आवरण को हटा कर विकास द्रष्टा मनीषियों, के निष्णात जनमत को नहीं रखना चाहते? आप शिक्षा के तेजस्वी और ज्योतिर्मयी कार्यों के साथ ऐसा मत बनाना चाहते हैं जो निष्णात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ जो जनमत है वह निष्णात और विवेक संगत जनमत है। बोर्ड की जो समितियां गठित की गई हैं उनमें निष्णात और विवेक संगत जनमत को लिया गया है। आज इस जनमत के युग में, हर कोने में, हर घुमाव पर, हर मोड़ पर, कुल मिला कर जनमत के साथ संयुक्ति करने का प्रश्न आदरणीय होते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में विचार करते हैं तो व्यावहारिक रूप से असमीचीन चीज होती है।

फिर यह देखना होगा कि जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियां होंगी वे क्या करेंगी, उनका गठन किस प्रकार का होगा? माननीय मित्र ने बोर्ड के सम्बंध में निर्दिष्ट कर्तव्यों को देखा होगा तो उसमें एक भी कर्तव्य ऐसा नहीं है कि जो निष्णात मत के बिना हो। यह बोर्ड ऐसा नहीं है कि जो संस्थायें खोलेगा, किसी भावना का प्रचार करेगा। यह बोर्ड तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की प्रत्येक गतिविधि के स्वरूप का विकास करने का काम करेगा। इसलिए यह मुझे समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियां होंगी वे बोर्ड को क्या सलाह देंगी? कहा यह गया है कि विद्यार्थियों के माता-पिता की जो समस्या है, स्कूल और घर की जो समस्यायें हैं उनके सम्बन्ध में ये परामर्शदात्री समितियां बोर्ड को राय देंगी। मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्य नहीं है कि स्कूल और घर की क्या समस्यायें हैं, उनको देखें। यह काम तो बोर्ड के शिक्षक और विद्यार्थी के माता-पिता के बीच के सम्बन्ध का प्रश्न है। यह जो स्कूल का काम है, उसको घर के साथ कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षक-विद्यार्थियों के माता-पिता से अपने सम्बन्ध स्थापित करें। यह तो बोर्ड का कार्य नहीं है। यह तो बोर्ड की रिश्तेदारी की समस्या है। अगर इसको बोर्ड की समस्या मान कर चलें तो मैं समझता हूँ कि जो कार्य बोर्ड को करना चाहिए वह कार्य नहीं कर सकता। यदि इस सम्बन्ध में न्यूनतम कल्पना

(श्री जनार्दनराय नागर)

भी करें तो उस जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति में विद्यार्थियों के माता-पिता ही आवेंगे । अगर माता-पिता के स्तर पर, जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियां स्थापित करना चाहते हैं, तो जब एक तहसील में कई माध्यमिक शिक्षा स्कूल होंगे, एक समिति में १२ या २५ विद्यार्थियों के माता पिता सम्मिलित हो जावेंगे । विद्यार्थी और माता-पिता के बीच की समस्या, माता-पिता और शिक्षक के बीच की समस्या, शिक्षक और माता-पिता के बीच की समस्या, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की समस्या, शिक्षक, विद्यार्थी और माता-पिता के बीच की समस्या, घर की समस्या, स्कूल की समस्या, स्कूल और घर की समस्या, इन तमाम रिश्तेदारियों की रोजमर्रा की शिक्षा समस्याओं को इन कमेटियों में बैठकर उनको वहां हल करेंगे और बोर्ड के जरिये हल करा कर उसको अमल में ला पायेंगे । मेरे मित्र ने जो बातें कही हैं वे निश्चित रूप से स्कूल के विकास की बातें हैं । आज कई माध्यमिक स्कूल्स हैं उनको प्रगतिशील माध्यमिक स्कूल नहीं कहा जा सकता, यदि उनमें विद्यार्थियों के माता-पिता का सहयोग नहीं है, बालकों के चरित्र निर्माण और उनके विकास की भी कोई योजना नहीं है और जहां इस प्रकार के चरित्र निर्माण और जहां बालकों के विकास की भी कोई योजना नहीं है, मैं समझता हूं वे व्यर्थ हैं । इन तमाम बातों को हम चाहते हैं कि माध्यमिक प्रणाली में डाल दी जाय, लेकिन शिक्षा प्रणाली में एक बात डालना और स्कूल के जरिये वह करना दूसरी बात है । हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिये यह कर सकते हैं कि माध्यमिक स्कूल्स इस प्रकार के बनावेंगे कि जहां निश्चित रूप से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, उनके माता-पिता से सम्पर्क करने का साधन होगा । आज जो संस्थायें चल रही हैं, उनके विधान में ये बातें हैं । वे बच्चों के माता-पिता से सम्पर्क रखते हैं । कुछ स्कूलों में तो विद्यार्थियों के माता-पिता को लेकर संगठन की बातें की जा रही हैं । इनको समाज का केन्द्र बिन्दु बनना पड़ेगा, शिक्षा की आधार-भूत समस्यायें हैं, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो । इसके मूल में यह है कि समाज को स्कूलों में ले जाना पड़ेगा, स्कूलों को समाज में ले जाना पड़ेगा, स्कूलों को घर में ले जाना पड़ेगा और घर को स्कूलों में ले जाना पड़ेगा । जब हम ये बातें लेते हैं तो यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अन्तर्गत नहीं आती हैं, यदि हम स्कूल और घर की, घर और स्कूल की ऐसी रिश्तेदारी पैदा करना चाहते हैं तो जो कठिनाइयां बालकों के विकास में, उनके चरित्र निर्माण में, उनके चरित्र के विकास में सामने आती हैं उनको स्कूल में बैठ कर, विद्यार्थियों के साथ, शिक्षकों के साथ और विद्यार्थियों के माता-पिता के साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर उनको हल करना पड़ेगा । यदि ये जो परामर्शदात्री समितियां जिला स्तर पर बनाने का जो सुझाव है, मैं बहुत नम्रता पूर्वक माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यदि कहीं किसी जिले में बिजली घर बनाना है तो उसके लिए भी जिला स्तर पर एक ऐसी समिति होनी चाहिए जो बिजली घर के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में भी राय दे ।

तो हमारे सूक्ष्म निष्णात मत के बारे में आप इस प्रकार से जनमत के सहयोग की बात करें तो मुझे कहना पड़ेगा कि शिक्षा का जो कार्य है, जो उसकी अन्तरंग प्रगति है, जो उसकी सूक्ष्म, जटिल गतिविधि है, उसके बारे में जिस प्रकार का काम करने की आवश्-

Page No.62

(श्री जनार्दनराय नागर)

यकता है, उसके बारे में आपने पूरा अनुभव नहीं किया है।

अभ्यास कार्यक्रम के बारे में जिला स्तर पर समितियों के गठन की क्या आवश्यकता है ? क्या आप पाठ्य पुस्तकों की संख्या कायम करवाना चाहते हैं ? क्या यह सलाह लेना चाहते हैं कि अभ्यास कार्यक्रम जो बनाया जाय उसमें अमुक प्रकार के विषय हों और अमुक प्रकार का विषय न हो। आप नहीं जानते हैं कि आप उनसे ऐसी मदद लेने जा रहे हैं जिससे कि आपका काम नहीं चल सकता है। अध्यक्ष महोदय, अभ्यास कार्यक्रम का काम, एक संस्था की स्वीकृति करने का काम सारी माध्यमिक शिक्षा के मूल्यांकन करने का काम, ये ऐसे काम है जिनमें बड़े अनुभव की आवश्यकता है, अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है, जिनमें उनकी सलाह से इस काम को करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। किन्तु इनकी तब आवश्यकता थी जब कि शिक्षा को सामाजिक प्रकाश के लिए, सामाजिक अधिकृति के लिए एक साधन माना था, किन्तु आज शिक्षा को व्यक्तित्व के विकास के लिए साधन मानते हैं, यदि हम यह मानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के जरिये हमारे नौजवान होने वाले बालक हैं उनके व्यक्तित्व के विकास का काम, उनकी अन्तरंग योग्यता, उनकी आकांक्षाओं, उनकी अन्तरंग संभावनाओं के विकास के कार्य का काम करना है तो उनके हाथ में देना पड़ेगा जो कि उसके अधिकारी हैं, जो उसकी योग्यता और क्षमता रखते हैं। तो क्या आप उनसे अभ्यास कार्यक्रम के बारे में सुझाव लेना चाहते हैं ? परामर्शदात्री समितियों से क्या आप माध्यमिक स्कूलों की स्वीकृति और अधिकृति के बारे में सलाह लेना चाहते हैं ? बोर्ड के कामकाज के बारे में, मूल्यांकन के बारे में क्या आप उनसे परामर्श लेना चाहते हैं ? क्या आप उनसे बोर्ड की आर्थिक स्थिति और बोर्ड की आर्थिक समस्याओं के बारे में सलाह लेना चाहते हैं ? कौन सी सलाह कमेटियों से लेना चाहते हैं ? आप इन जिला स्तर, इन परामर्शदात्री समितियों से यदि आप स्कूलों और घरों के व्यावहारिक आदान-प्रदान के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो मेरी राय है कि हमें राजस्थान राज्य के शिक्षा कोड में शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की तरह इस बात की मांग करना चाहिए कि हर स्कूल में माता-पिताओं के मंडल होने चाहिए। हर स्कूल में शिक्षकों का अनिवार्य रूप से उनके साथ सम्पर्क हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए यह बल दिया जाय कि स्कूलों का घरों पर और घरों का स्कूलों पर प्रभाव हो। इस प्रकार से संयोजन करने का मतलब मैं समझता हूं कि हमारी शिक्षा पर बड़ा भारी दायित्व है। लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि यह स्थान नहीं है, यह अवसर नहीं है कि जहां हम इस बात की मांग करें। यह तो हमारे राज्य में एक एजुकेशन कोड हो, उस एक्ट के अन्दर इस बात का समावेश करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेरे मित्र इस बात की मांग करते कि हर स्कूल में एक माता पिता का मंडल हो, हर स्कूल के अन्दर हेल्थ सर्विसेज़ हों, हर स्कूल में केरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, चरित्र के विकास के लिए टेस्ट्स हों। हर शिक्षक अपने स्कूल के माता-पिताओं के, उनके बच्चों के एक प्रकार के विकास के कार्यक्रम के द्वारा व्यावहारिक रूप से संपर्क में आते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस बात से कई दूसरी बातें उत्पन्न होंगी।

(श्री जनार्दनराय नागर)

जहां तक कुछ कमेटियों के बनाने का एक्ट में सवाल है जो कि निष्णात कमेटियों हैं, जो कि केवल अनुभव और शुद्ध ज्ञान के द्वारा काम करने वाली हैं; उनका इस बात की मांग करना कि माध्यमिक शिक्षा की प्रणाली को विकसित करने के लिए जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियां कायम करें तो मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी भावना का परिचायक है, लेकिन इससे व्यावहारिक कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं।

यह भी कहा गया कि जिले जिले में माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं अलग अलग हैं। मैं नम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा की कोई समस्या जिलेवार या तहसीलवार अलग अलग हो, यह बात मानने में नहीं आती है। माध्यमिक शिक्षा का मतलब मैं यह मानता हूं कि कैसे किस बालक की शक्ति का उपयोग करें ? सही बात तो यह है कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली न राजस्थान के लिए अलग है और न यू. पी. के लिए अलग है; वह समस्त भारत के नौजवान बालकों के लिए लागू होती हैं; वह एक है। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समस्याओं से यदि कोई समझे कि माता-पिता से ही सम्बन्ध रखती हो, बालकों से सम्बन्ध रखती हो, तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। माध्यमिक शिक्षा की समस्या जो है वह संधिवय की समस्या है। माध्यमिक शिक्षा के लड़के जब पूर्व पौगण्ड अवस्था के अन्दर आते हैं तो जो संधिवय की समस्या है, भावात्मक भौतिक विकास की समस्याएं हैं, शारीरिक विकास की समस्याएं हैं, किशोर हैं, जिसे वयसंधि प्राचीन शब्दावली में कहते हैं, उसकी समस्याएं हैं, पूर्व पौगण्ड अवस्था की समस्याएं, ये माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं आरम्भ होती हैं जब कि बालक ३ वर्ष का पौगण्ड होता है, उसकी भावात्मक समस्याएं माध्यमिक शिक्षा का मूलभूत आधार है। उसकी भावुकता के भावात्मक विकास के साथ में समाज का विकास और सामाजिक विकास के साथ में उसके योगक्षेम का सम्बन्ध, उसका समन्वय और इन दोनों के समन्वय को लेकर उसके सम्पर्क का सम्पूर्ण विकास यह माध्यमिक शिक्षण है। पौगण्ड अवस्था एक है यह आधारभूत समस्या है। वास्तविकता और व्यवहारिकता होना, उसके सम्बन्ध में परिपक्व अवस्था में जाने की जो तैयारी है, जो क्षमता है, उसके सम्बन्ध में जिला स्तर पर गठित होने वाली परामर्शदात्री समितियां क्या सहयोग देने वाली हैं ! शिक्षण के कार्य को हम समझते हैं, यह विस्तार का कार्य है। जहां तक स्कूलों की मांग का सवाल है वह शिक्षण की समस्याओं से दूर है। मुझे क्षमा किया जाय, यदि मैं कहूँ कि हिन्दुस्थान में जब हम शिक्षा के सम्बन्ध में बात करते हैं तो जो शिक्षा की मानवीय सामग्री है उस मानवीय सामग्री के बारे में विचार नही करते हैं, केवल शिक्षा की जो सुलभ सुविधा है उसके बारे में विचार करते हैं। हम समझते हैं कि एक जगह स्कूल खुलवा दिया है तो हमने शिक्षा की मांग को पूरा किया है, लेकिन वस्तुतः माध्यमिक शिक्षा की समस्या यह नहीं है। यह ठीक बात है कि जिला स्तर पर जो परामर्शदात्री समिति है यदि वह स्कूल की मांग करे तो सरकार के पास ऐसा काम करने वाली एजेन्सियां बहुत हैं। सदन में बैठे हुए माननीय मित्र जो जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं वे सरकार के

(श्री जनार्दनराय नागर)

सामने मांग रखते कि इस तहसील में इस इस जगह पर स्कूल होना चाहिए, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए। इन परामर्शदात्री समितियों का माध्यमिक शिक्षण बोर्ड के सामने इस प्रकार की मांग रखने का मकसद है तो मैं समझता हूं कि वह मकसद पूरा नहीं होने वाला है। माध्यमिक शिक्षण बोर्ड स्कूल नहीं खोलेगी, सरकार माध्यमिक स्कूलें खोलेंगी। सरकार के सामने एक हाई स्कूल खुलवाने की बात के लिए जिले स्तर की ये समितियां काम करती हैं तो वह एक एजेन्सी बनाने का मतलब होगा। इसलिए मुझे यह कहना है कि माध्यमिक शिक्षण प्रणाली के विकास के लिए हमारे स्कूलों को अधिक से अधिक काम करना पडेगा।

पेरेन्ट्स की बात कही गई, घरों की बात कही गई, समाज की बात कही गई। मैं मानता हूं कि पेरेन्ट्स माध्यमिक शिक्षण प्रणाली की मूल समस्या है। उसके उपर ध्यान खो जाता है। आज किसी भी प्रगतिशील देश की जो शिक्षण व्यवस्था बन रही है, उसमें जो सुधार हो रहा है, उसकी प्रणाली में जो सुधार हो रहा है, उसका केन्द्रबिन्दु अध्यक्ष महोदय, जनमत के जरिये आने वाले सुझाव नहीं हैं, जनमत के जरिये लाने वाले प्रस्ताव नहीं है। इसका केन्द्रबिन्दु बालक है, बालकों को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, और जो बालकों को उत्पन्न करते हैं, वे हैं। वे शिक्षा के आधारभूत स्तम्भ हैं। इन तीनों स्तम्भों की ओर ध्यान दिया गया है जो संतान उत्पन्न करते हैं, जो उत्पन्न होते हैं और जो उनके तमाम अन्धकार को अनावृत करने वाले हैं ...

श्री श्रीभानसिंह : ये ऐसी चीजें जनमत में नहीं आती हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : जनमत के जरिये संतान उत्पन्न नहीं करते हैं।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : They live in an atmosphere according to him.

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मित्र स्वयं भुक्तभोगी हैं कि वे जनमत के जरिये आने वाले प्रस्ताव से पैदा नहीं हुए हैं और न मैं पैदा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह गर्भावस्था से आरंभ होता है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस शिक्षा का दृष्टिकोण जो है वह है कि जो उत्पन्न करता है, वह ठीक तरह से बालक को उत्पन्न करें, बालक उत्पन्न हो तो वह ठीक तरह से उत्पन्न हो और ठीक अवस्था में हो....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : आप शिक्षा शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, यह....

श्री श्रीभानसिंह: You are talking as an expert of birth control or something like this.

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) तीसरे बालक को जो पढ़ाते हैं, वे इस प्रकार की क्षमता रखते हों कि इस मनस्वी नौजवान का, उस समन्वयात्मक योग्यता से भरे हुए मानव का विकास करना होगा। इस कारण मैं समझता हूं कि इन परामर्शदात्री समितियों के द्वारा बोर्ड का भला होने वाला नहीं है। वह काम होगा स्कूलों के अन्दर। मैं मानता हूँ कि मेरे मित्र इस बात को जानते हैं कि हमारी

(श्री जनार्दनराय नागर)

जो वर्तमान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली है, चाहे वह माध्यमिक शालाओं में शुरू होती है या मल्टीपर्पज़ स्कूलों में शुरू होती है। उसमें कई बातें ऐसी लानी पड़ेंगी जिनसे माध्यमिक शिक्षा का संपूर्ण मकसद पूरा हो सके। आज जो माध्यमिक स्कूलें खोली जा रही हैं, उनमें बहुत सी बातें सरकार की ओर से नहीं की जा रही हैं, जैसे वोलेन्टीयर कोर नहीं हैं, ग्रुप सिस्टम नहीं है, बालकों के मानसिक विकास की कोई प्रणाली कायम नहीं हुई। मैं समझता हूँ ये बातें सरकार धीरे-धीरे कर सकती हैं। बोर्ड सिर्फ इतना कर सकता है कि जो माध्यमिक शालाएं खुलेंगी उनको स्वीकार करेगा। उनको स्वीकृति देने के लिये भी नियम होंगे, जिनके अन्तर्गत अमुक--अमुक बातें होनी चाहिये। जहां तक माध्यमिक शालाओं के लिये पाठ्यक्रम बनाने का सवाल है, मैं समझता हूँ, ये समितियें इस मामले में अपनी सम्मति नहीं दे सकतीं। पाठ्यक्रम के लिये इधर उधर से साधन इकट्ठे करने पड़ते हैं। आज हमारे पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक ढंग से बनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार केन्द्रीय संस्थाएं शुरू करें जो मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रयोग करके बालकों के अनुकूल वातावरण तैयार करें, एक ऐसा प्रयोग करें जिसके कारण हमारे काम करने वाले लोग पाठ्यक्रम किस तरह बनावें, उस पर विचार करें। आज जो पाठ्यक्रम है वह बिल्कुल उखड़ा हुआ पाठ्यक्रम है और नई पीढ़ी के अनुकूल विकास उनका होता जाय, ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका शोध होना चाहिये। पाठ्यक्रम तय करना अणु परीक्षण से भी बहुत अधिक महत्व का काम है। आज यदि अणु शोधशालाओं और प्रयोगशालाओं के बारे में यह मांग करें कि उनको भी जिलों के स्तर पर सलाह देनेवाली समितियां हों तो यह एक बिल्कुल नामुमकिन बात है। आप यहां बालकों के मस्तिष्क के विकास की बात करते हैं तो हम यह समझते हैं कि जनमत का सहयोग होना चाहिये। बालकों के मस्तिष्क के विकास का काम अणु शक्ति से कहीं ज्यादा महत्व का काम है....

श्री उपाध्यक्ष : क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, आप एक एक तथ्य लेते जायेंगे तो मुश्किल हो जायगा।

श्री जनार्दनराय नागर : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें कही गई हैं संशोधन पेश करते हुए, शिक्षा के पुराने आवरण को हटाने वाले कई विचार हमारे सामने प्रगट किये गये, अर्थ शास्त्री होते हुए भी शिक्षा में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन चिन्ता हुई यह जानकर कि वे शिक्षा का काम ऐसी समितियों के हाथ में देना चाहते हैं जो जिला स्तरों पर होगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला स्तर पर कमेटियें बनाकर उनके हाथ में काम देंगे तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे जिसके कारण शान्ति से काम नहीं कर पावेंगे।

माध्यमिक शिक्षा के प्रयोग के लिये बोर्ड बनाना चाहते हैं, उसमें शान्ति का और चुपचाप (का) वातावरण रहना चाहिये ताकि प्रतिदिन किये जाने वाला विकास के बारे में शान्ति और सन्तुलन से विचार कर सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कोई कहेगा पाठ्यक्रम के भीतर यह रखा जाय कि इतना समाज-विज्ञान पढ़ाया जायगा, इतना दूसरा विषय पढ़ाया जायगा। आप मुझे यह बता दीजिये कि इस तरह की कई बातें आवे तो उनके बारे में बोर्ड की पाठ्यक्रम समिति क्या

(श्री जनार्दनराय नागर)

फैसला करेगी ? इस तरह की सलाहकार समितियों से कोई कार्य नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं इस मान्यता पर पहुंचा हूं कि जो सवाल मेरे मित्रों ने उठाया है वह अहम् होते हुए भी इन समितियों को कायम किया जाय तो सवाल हल होने वाला नहीं है। समस्त राज्यों में जो आधारभूत नियम हैं उनके अनुसार चलने पर ही सवाल का हल होने वाला है।

आगे बात कही गई थी इसके साथ कि ग्रान्ट-इन-एड कमेटी बनाई जाय। मैं यह सूचना देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य के पास ग्रान्ट-इन-एड देने के नियम हैं और उसके अनुसार ग्रान्टस कमेटी का निर्माण कर रखा है और वही कमेटी यह काम करती है। इसलिए बोर्ड को यह काम देना भी निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा, इस काम को राज्य से लेना ठीक नहीं होगा। हमें यह भेद मान कर चलना चाहिए कि यह बोर्ड शिक्षा संस्थाओं को चलायेगा नहीं बल्कि उनको अधिकृत करेगा। शिक्षा संस्थाएं राज्य द्वारा चलायी जायेंगी या प्राइवेट संस्थाएं जिनको इन्हें चलाने का चाव है, वे चलायेंगी ? ग्रान्ट-इन-एड देने के नियम हैं और उसका समीचीन विधान है। जो ग्रान्ट-इन-एड के नियम हैं वे सब प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए बने हैं। चाहे प्राथमिक शालाएं हों, चाहे माध्यमिक शालाएं हों या इससे भी उच्च प्रयोग की शिक्षण संस्थाएं हों राज्य उन सबके लिए ग्रान्ट-इन-एड की नियमों के अनुसार व्यवस्था करती है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यदि यह काम करने लगेगा, ग्रांट-इन-एड के मामले को, चाहे वह राज्य की शिक्षण संस्थाओं का मामला हो चाहे प्राइवेट का हो, हम न चाहते हुए भी उसको बिगाड़ देंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सभी दृष्टि से शिक्षा का जो अहम् प्रश्न है उसमें यदि इस संशोधन को मंजूर करते है और इसके अनुसार परामर्शदात्री समितियों का निर्माण करते हैं तो हम उलझन को निमन्त्रित करना चाहते हैं और जो मकसद पूरा करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा।

माध्यमिक शिक्षा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो बातें दर्ज की हैं उनका अध्ययन किया जा सकता है। उन सब बातों को इस बोर्ड में लागू नहीं किया जावे तो बाहर भी बोर्ड दौरा करके देख सकता है। समुचित प्रणाली की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करने पर पता चलेगा कि आधार-भूत रूप से दो बातें सामने आती हैं। ये माध्यमिक शालाएं किस प्रकार की शिक्षा देंगी, इसके बारे में अच्छी तरह से विचार करके हमारे सामने रिपोर्ट आई है। मैं मानता हूं कि इस कमीशन में जगह जगह घूम कर, जनता की मीटिंग करके उसकी राय नहीं ली है। यदि हमें जिला कमेटियां को आगे बढ़ाना था तो जब वह कमीशन हिन्दुस्तान में घूमना शुरू हुआ तब जिला स्तर पर मीटिंग करता और उनके विचार जानने की कोशिश करता, लेकिन यह जरूरी नहीं था इसलिए ऐसा नहीं किया गया। देश के विद्वान लोगों को इकट्ठा करके एक कमीशन पर लाया गया और अनुभवी शिक्षा शास्त्रियों ने अच्छी तरह से सोच-विचार कर अपनी रिपोर्ट लिखी है। मैं समझता हूं, हम जो माध्यमिक बोर्ड बनाने जा रहे हैं उसको कुछ फरायज देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कमेटीज़ भी बनाना चाहते हैं। इसमें वे लोग होंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। उनमें से बाहर से भी अनुभवी शिक्षा शास्त्री लिये जायेंगे। मैं समझता हूँ यही सीधा सा तरीका है जिसके अनुसार समस्त

Page No.67

(श्री जनार्दनराय नागर)

भारत में माध्यमिक बोर्ड बने हुए हैं । यदि आप केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन को देखें तो पता चलेगा कि उसमें समस्त राज्यों के अधिकारी और गैर-अधिकारी सदस्य हैं, वहां कई प्रकार की समितियें हैं, उसमें भी इसी प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है, उनमें बोर्ड के सदस्य भी हैं और बाहर के सदस्य भी हैं । इसलिए मैं समझता हूँ, जनता के मत को जानने के लिए हम जिलेवार समितियों की बात करेंगे तो उचित नहीं होगा ।

ऐसी बात करेंगे कि कमल का फूल हम लहरियों के जाल में डाल देंगे, वह लहरों के साथ प्रफुल्लित होता रहे और वह अक्षत् के रूप में नहीं चढ़ाया जायगा । मैं जनमत का आदर करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय और मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ लेकिन जनमत में कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं, शिक्षा के विषय में निष्णात का जो मत है, उसका अनुकरण करने वाला जनमत है । मैं समझता हूं जनमत का कई बातों से सम्बन्ध है । फिर आप जिस प्रकार सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, उस सहयोग के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्कूलें हैं, उनसे सहयोग लेना चाहिए । अब मैं इतना ही अन्त में कहना चाहता हूं कि जो संशोधन हमारे सामने आया है, उसमें यह है कि बोर्ड के सदस्य भी रहें और बाहर के सदस्य भी रहें, इन शब्दों को हटा देना चाहिए और शब्द पर्सन रहना चाहिए । मैं समझता हूँ कि उप-समितियों के लिए यह लाजिमी है कि इनमें बोर्ड के सदस्यों को गुम्फित किया जाय । अगर बोर्ड के सदस्यों में ऐसा व्यक्ति नहीं हो, जिसको बाहर से लाना चाहते हैं तो इस बिल के अन्दर इस बात की गुंजाइश रखी गई है कि बोर्ड के सदस्यों को कमेटी में रखने के बाद अगर आवश्यकता मालूम हो, यह मालूम हो कि अन्य व्यक्ति के आने से बोर्ड की कमेटी को कार्य करने में मदद मिलेगी तो इसके लिए विवरण किया गया है कि बाहर से सदस्य लाया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, यह मजाक की बात होगी, बोर्ड के सदस्य को बोर्ड की समिति में न रखें और बाहर के मेम्बर रखें । बोर्ड के मेम्बर्स के जरिये कमेटी बनायें, यह काफी विचार के बाद फैसला किया गया है । जब असेम्बली की उपसमिति बनाने में असेम्बली के माननीय सदस्यों का रहना अनिवार्य है, तो यह कल्पना कैसे की जा सकती है कि असेम्बली की उप-समिति में माननीय सदस्य नहीं रहेंगे, बाहर के लोग आयेंगे, या बाहर के लोगों के जरिये यह उप समिति कार्य करेगी । इसी प्रकार बोर्ड है, बोर्ड की उप समितियों में बोर्ड के सदस्य बनाना जरूरी है । यदि बोर्ड को अनुभवी लोगों की सलाह की आवश्यकता हो, तो बाहर के कुछ लोगों को सदस्यों के रूप में कमेटियों में ले सकते हैं ।

यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि हममें माध्यमिक शिक्षा के प्रति चेतना उत्पन्न हुई है, इस पर विचार-विमर्श करने की चेतना उत्पन्न हुई है, उसको मैं समझता हूँ सही रूप से हमें संचालित करने की आवश्यकता है । शिक्षा के काम के लिए विश्वास की जो अन्त-र्निहित शक्ति है, उसको एक प्रकार व्यावहारिक शक्ति के रूप में हमें विकसित करना पड़ेगा और इसके विकास का क्रम बोर्ड के संविधान में बता दिया गया है । मुझे इस पर अधिक नहीं कहना है । मुझे खुशी है इस बारे में कि हम माध्यमिक शिक्षा के बारे में विचार करने लगे हैं । एक जमाने में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में हम चेतनाशील नहीं थे ।

(श्री जनार्दनराय नागर)

जानते थे कि बालक उत्पन्न कर दें, बालकों को डिग्रियां दिलायें और वे नौकरी करें। आज सबूत मिला है कि जमाने ने करवट ली है और शिक्षा के बारे में हम विचार करने लगे हैं। लेकिन अभी हम सलत काम करने की स्थिति में नहीं आये हैं। इससे जो हमारा मकसद है वह पूरा नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Narendra-Singhji will speak.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कल से चल रहा है और इसमें बराबर यह प्रश्न चल रहा है कि दूसरे लोगों का भी इसमें समावेश किस अंश तक हो। मेरा निवेदन यह है कि जैसे कल ही प्रश्न आया था, मैंने बल के साथ यह निवेदन किया था कि जो चेयरमैन का सवाल है, प्रधान का सवाल है, उसके सम्बन्ध में अगर बाहर का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट के वेतन भोगी हैं, इनके अतिरिक्त बाहर के किसी विद्वान या इस बारे में जो पारंगत हैं, वे आते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। इस बारे में मेरा जहां तक ख्याल है और जिन महानुभावों ने इस सवाल के ऊपर अपनी राय दी, उनका भी ख्याल है कि बाहर का चेयरमैन भी आवे तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे कल और आज सेक्रेटरी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी का सवाल आया।

श्री उपाध्यक्ष : आज जो संशोधन है वह दूसरा है। आप कल के संशोधन पर प्रकाश डाल रहे हैं, इससे समय का अपव्यय होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : क्योंकि कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, इसलिए मैंने निवेदन किया है। आज इस बारे में सवाल आया, इसमें मेरा निवेदन है कि ऐसी सभाओं में जब कि एक्स-ओफिशियो मेम्बर आयें, यह अत्यन्त आवश्यक है कि पब्लिक के भी या जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हों और बाहर के लोग भी हों, उनका भी समावेश हो, तो हर्ज नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि अभी यह ख्याल उपस्थित हुआ था, उसमें भी इस बात की प्रेरणा की गई कि जो डिस्ट्रिक्ट की चीज है, उसके लिए कोई विशेष सवाल आ सकता है। हमारे उप शिक्षा मन्त्री महोदय ने इस बारे में अभी कहा था कि जहां तक आवश्यकता हो और बाहर के लोगों को लाने का सवाल हो, उसके लिए प्रश्न उपस्थित हुआ था और जिन महानुभाव ने यह संशोधन उपस्थित किया है, उन्होंने भी यह बताया है कि बाहर के लोगों का सामंजस्य हो जाय, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस प्रकार की एक कमेटी बाहर के लोगों की सलाह लेना चाहे, तो जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, दूसरे लोग हैं उनके विचारों का इसमें समावेश हो, तो उत्तम रहेगा।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने जो जिले के स्तर पर सलाहकारिणी समिति बनाने का एक संशोधन आया है और इस सम्बंध में विरोध में और पक्ष में जो भी विचार अब तक व्यक्त किये गये हैं, उनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम लोग इस बात के लिए तो वास्तव में उत्सुक हैं कि हमारे इस राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सम्बंध में जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो, जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग हम प्राप्त करें और साथ ही साथ जनता की भावनाओं का आदर करते हुये शिक्षा में हम नये नये प्रयोग शुरू करें। लेकिन साथ ही जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उससे उक्त

(श्री मनोहर कोठारी)

सलाहकारिणी समिति का स्वरूप स्पष्टतया प्रकट नहीं होता कि जिले की कोई समिति अगर बनती है तो उसका रूप क्या होगा ? वह समिति किस प्रकार बनेगी, उसमें किस किस प्रकार के सदस्य होंगे और उसका आखिर एक दफ्तर भी होगा या नहीं ? अगर जिले की समिति बनती है तो उसका दफ्तर भी रखना पड़ेगा, उसका अधिकारी कौन होगा, ये सब बातें स्पष्ट नहीं होतीं। मैं आपको बताऊं कि जिस समिति की मांग की जा रही है, इसे वास्तव में यदि देखा जाय तो यह व्यावहारिक ज्ञात नहीं होती, इसलिए कि हमारे इस बोर्ड का सम्बंध हम राजकीय शिक्षा विभाग से नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि यह बोर्ड सर्व-सत्ता सम्पन्न होगा, यह ऑटोनोमस करेक्टर का बोर्ड होगा। आज तक हम लोग इस बात के पक्ष में रहे हैं कि सरकारी अधिकारी को और खास तौर से डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन को इस संस्था का अध्यक्ष न बनाया जाय। इस बारे में हम लोगों ने विचार व्यक्त किये हैं और अभी तक उन क्लॉज़ेज़ पर अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। यह स्पष्ट है लेकिन यह बात निश्चित है कि यदि जिले के स्तर पर समिति बनाते हैं तो उसका स्वरूप क्या होगा, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। मान लीजिये एक समिति बना भी दी गई, उस समिति ने अपनी राय दी, अपनी सलाह दी और सलाह को बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया, तो उसका क्या अर्थ होगा, उस उस समिति के अधिकार क्या होंगे ! आखिर जो जिला समिति बनती है, उसमें अलग अलग प्रकार के सदस्य रहेंगे ही, उसमें सरपंच को रखने की व्यवस्था करें, तहसील पंचायत के सरपंच को रखने की व्यवस्था करें, भारत सेवक-समाज के लोगों को रखने की व्यवस्था करें और ऐसे ही अन्य लोगों को रखने की व्यवस्था करें; तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई समिति प्रयोगात्मक ढंग से व्यावहारिक समिति हो सकती है। मैं समझता हूँ, इसके लिए हमें गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिये। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचारों में जरूर बताया कि स्कूलों के स्तर पर एक अभिभावक संघ, विद्यार्थियों के अभिभावकों का एक मिला-जुला संघ बनना चाहिए। यह हमारा नया प्रयोग होना चाहिये शिक्षा पद्धति में कि स्कूलों में ऐसे संघ की व्यवस्था की जाय। यह कानून के जरिये नहीं हो सकता, स्कूलों के जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनको हम प्रेरणा दें कि गांवों में ज्यों ज्यों स्कूलें स्थित हों, वहां के लोगों को बुलवा कर, अभिभावकों को बुलवा कर, विद्यार्थियों के सम्बंध में जो उपयोगी सुझाव उन लोगों से प्राप्त किये जाने चाहियें।

दूसरी बात यह है कि अलग-अलग जिलों से जो सुझाव इस प्रकार की समितियों से एकत्रित किये जायेंगे तो उन सुझावों के बारे में कोई ऐसी सीमा निर्धारित करनी होगी उन सुझावों पर उस बोर्ड में किस समय विचार किया जायगा, यह एक विचारणीय बात है। अलग अलग जिलों से अलग अलग सुझाव एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, तो उस समय एक समस्या हमारे सामने हो सकती है कि उन पर किस तरह से विचार किया जाय।

इस बिल में साफ व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग विषयों की उपसमितियां बनती हैं उनमें केवल बोर्ड के सदस्य ही रिप्रेज़ेन्ट नहीं करते, गैर-सरकारी और जो बोर्ड में सदस्य नहीं हैं उनको नोमिनेट किया जा सकता है, उनके बहुमूल्य सुझावों का उपयोग

(श्री मनोहर कोठारी)

भी किया जा सकता है, तो बहुत सी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। गांवों में ब्लॉक्स हैं, वहां पब्लिक एड्वाइजरी कमेटीज़ हैं और जिलों में जिला विकास समितियां सब जगह उपलब्ध हैं तो हमारे व्यावहारिक सुझाव जो हमें सरकार या बोर्ड के पास भेजने हों तो इनके जरिये हम ऐसे सुझाव बोर्ड व राज्य सरकार को भेजें। हमारा यह भी अनुभव है कि पब्लिक एड्वाइजरी कमेटीज व जिला विकास समितियों के उनके सुझावों का सरकार कितनी हद तक पालन करती है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। उनकी सीमा है। ऐसी कमेटियों में केवल हम अपने विचारों का आदान-प्रदान मात्र कर लें, इससे ज्यादा उपयोगी बात नहीं होगी। इनके द्वारा हम अपने सुझाव बोर्ड और सरकार के पास पहुंचा सकते हैं।

इसके सिवाय एक बात और जरूरी निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि यदि इसे एक्सपर्ट्स ओपीनियन के ढंग से देखें तो हम एक्सपर्ट आदमियों का बोर्ड बना रहे हैं। शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा के विषय में अनुभूत प्रयोग करने वाले जो शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी हैं उनको इसमें रख रहे हैं। क्या ऐसे बोर्ड के सम्मुख हम आम जनता की कठिनाइयों को राजनैतिक दलों के और सार्वजनिक संस्थाओं के जरिये जो जगह जगह बनी हुई हैं तथा ऐसे ही साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों के जरिये अपने विचार सरकार और बोर्ड के पास किसी तरह नहीं पहुंचा सकते ? आज शिक्षा के सम्बन्ध में आम जनता की रुचि किस तरह बढ़ रही है, यह हम से छिपा नहीं है। राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, जो आज जगह जगह स्कूलों के उत्सव होते हैं, कमेटियां बनाई जाती हैं, उनमें जनता का सहयोग बहुत कम मिल पाता है तो क्या ऐसी समितियों में जो प्रस्तुत संशोधन के द्वारा बनायेंगे एक आदमी कोई अपना काम छोड़ कर आयेगा उसके लिये हमें विशेष धन-राशि बोर्ड को व्यय के लिये देनी पड़ेगी। क्योंकि जो विकास समितियां बनी हुई हैं उनको हम फंड्स नहीं दे रहे हैं, जिला विकास समितियों की भी यही स्थिति है। समिति बना कर अपने विचार व्यावहारिक दे सकते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Muktilal Modi, is he sleeping or relaxing ?

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विचार कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अपने विचारों को जिला समितियों के जरिये, जो समस्या का सामाधान इस नई बनाई जाने वाली समिति के जरिये हल करेंगे वह जिला विकास समिति के जरिये भी प्रकट कर सकते हैं और उनको बोर्ड और सरकार तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जब तक पहले ही उन दो क्लॉज़ेज़ पर कोई निर्णय नहीं होता, जिसके द्वारा एक गैर-सरकारी शिक्षा-शास्त्री को अध्यक्ष बनाने की बात कही गई है, उसी पर हमारा सारा दारोमदार रहता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे अनावश्यक और अव्यवहार्य संशोधन को स्वीकार करके, हम समस्या को हल नहीं करके उसे उलझा देंगे।

अब प्रश्न है, जो सुधार शिक्षा में होना चाहिये वह नहीं हो रहा है, मेरी मान्यता है कि जनता के बहुमत के आधार पर ही कोई

(श्री मनोहर कोठारी)

सुधार संभव नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर मैं सदन के समक्ष एक व्यवस्था पेश करना चाहता हूँ कि ३३ प्रतिशत पर एक लड़का पास होता है, यह अव्यावहारिक बात है, १०० में से ३३ मार्क मिलें और पास किया जाय, होना यह चाहिये कि ६७ या इससे अधिक अंक मिलें तब पास होना चाहिये। माना कि शिक्षा के अन्दर बहुत खराबियां हैं, उनको दूर करने में केवल जनमत ही काम नहीं करेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसके उपयोग के बारे में पहले कह चुका हूं, उसके आधार पर माध्यमिक बोर्ड का गठन करें उसे उसके आधार पर चलायें तो ज्यादा हितकर होगा, हमारे विद्यार्थियों और आने वाली पौध के लिये भी यह परम उपयोगी होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीभानजी ने संशोधन रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। क्योंकि माननीय उपाध्यक्ष, यह इस तरह का संशोधन हाउस के अन्दर रख कर के हाउस के एम. एल. एज़. के अन्दर और दूसरी जनता के अन्दर जिस तरह का कि सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ दिन पर दिन दिखाई देता है, इस तरह का संशोधन आने से मेरी समझ में....

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन भ्रष्टाचार सम्बन्धी नहीं है।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : कमेटियां बनायेंगे, इसमें लिखा है न कि....

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir,...........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी अपना स्थान ग्रहण करेंगे, क्योंकि माननीय सदस्य ने पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज़ किया है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सदस्य मेरे ऊपर एक मेलाफाइड इन्टेन्शन का आरोप लगा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके पोइन्ट ऑफ आर्डर को अस्वीकार करता हूं क्योंकि माननीय सदस्य इस प्रकार के मेलाफाइड्स नहीं रखते।

श्री श्रीभानसिंह : उन्होंने कहा कि मैंने संशोधन इसलिये रखा है कि गवर्नमेंट में और एम. एल. एज़. में भ्रष्टचार फैले....

श्री उपाध्यक्ष : वाक्य समाप्त नहीं हुआ था, आगे बढ़ रहे थे; प्रारम्भ करेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई इस तरह की भावना नहीं है कि किसी पर किसी तरह का आक्षेप करूं। यह जो सरकार ने बोर्ड बनाया है, २० क्लॉज़ में रखा है कि बोर्ड है, सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड बना है, वह इसका काम देखेगा और सेकन्डरी हाई स्कूल्स होंगे उनका काम करेगा।

यह मेरे दोस्त श्रीभानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है, उसमें यह चीज की है कि डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनानी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट कमेटियां उस हालत में बननी चाहिये माननीय उपाध्यक्ष, कि आज एक इस तरह की चीज जनता के अन्दर होती है...

श्री उपाध्यक्ष : आप दोनों एक साथ ले लें, आगे और है ग्रान्ट-इन-एड कमेटी, दोनों एक साथ ले लें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ग्रान्ट-इन-एड कमेटी बनाई जाय तो, माननीय उपाध्यक्ष, ग्रान्ट-इन-एड कमेटी का यह है कि इसमें जो सरकार ने इस साल सर्कूलर भेजा है. एम. एल. एज. के पास, तहसील कमेटियों के पास और तहसीलदारों के पास कि जो रेवेन्यु से सरकार डेवलपमेंट कमेटी द्वारा स्कूलों और दूसरे-दूसरे कामों के लिए खर्चा करने को तैयार है तो इस कमेटी की क्या आवश्यकता है ? मैं इस कमेटी की तो तब आवश्यकता प्रतीत करता जब कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी सरकार की तरफ से नहीं होती और उस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के अन्दर इस तरह की सरकार की स्कूलों का प्रोपोजल सरकार या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी मन्जूर नहीं करती तब तो इस तरह की कमेटी बनना आवश्यक है, परन्तु जब...

श्री सोहनलाल भटनागर : स्कूलें खोलने और ग्रान्ट-इन-एड के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : Is it a point of explantion or what ?

श्री सोहनलाल भटनागर : It is a point of explanation.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is a point of disorder.

श्री उपाध्यक्ष : I have disallowed that disorder which is going against the decorum of the House. आप आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : (जारी) माननीय उपाध्यक्ष, इसमें लिखा है कि ग्रान्ट-इन-एड के लिये कमेटी बनाई जानी चाहिये । माननीय उपाध्यक्ष, जो बोर्ड है, इस तरह से अलग, अलग कमेटियें बनाई जावेंगी तो अमूमन कमेटियों में मैंने यह पाया है कि सरकार का जितना काम एक चीज से हल होता है तो उससे १० चीज सरकार करेगी और हम लोग जो यहां हाउस में आये हुए हैं, माननीय सदस्य वे भी इस बात पर विचार करेंगे कि १० चीज जब होती हैं उनसे काम नहीं होता है जो एक चीज से होता है और जो आज देश का काम बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिये यह उचित है कि सरकार की तरफ से एक चीज हो और यदि हम उसको मदद करें तो काम अच्छी तरह से हो सकता है । माननीय उपाध्यक्ष, आज सरकार ने यह ब्लोक एरिया खोले हैं और उनके लिये कमेटियें बनाई हैं, मेरे माननीय सदस्य के संशोधन पर मैं बताना चाहता हूँ कि इन कमेटियों में इन ब्लोक एरिया में कितना काम हुआ और उनमें कितनी उन्नति हुई और कितना रुपया खर्च हुआ; मैं तो उसके सम्बन्ध में यही कहूँगा और मेरा तो यही विश्वास है कि न तो उनमें इस प्रकार की कमेटियाँ बनने से काम पूरी तरह से हुआ है और न वह रुपया सरकार का जो खर्च हुआ है वह सद्उपयोग में आया है । यह रुपया जितनी ज्यादा कमेटियें बनती हैं उतना ही उस रुपये का दुरुपयोग होता है और वह रुपया पूरी तरह से जिस काम के लिये खर्च करना होता है उसके काम में नहीं आता ।

माननीय उपाध्यक्ष, इसलिये मैं यह कहूँगा कि यदि कमेटियें कम बनेंगी और एक चीज होगी तो यह मैं जरूर मानता हूँ कि काम अच्छा होगा । मैं यह जरूर मानता हूं कि जो यह बोर्ड है उसमें सरकार का जो पूरा अधिकार, सरकार रखना चाहती है यह नहीं रहना चाहिये; क्योंकि जैसे आज युनिवर्सिटी में सरकार का कोई अधिकार नहीं रहता, उसी तरह से जो बंगाल में इस तरह के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

बोर्ड हैं और दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के बोर्ड बने हैं उसमें सरकार ने अपना अधिकार नहीं रखा है, उसी तरह से सरकार के अधिकार से इन क्लॉज़ को अलग कर देना चाहिये और सरकार को अधिकार अपने हाथ में नहीं रखने चाहिये। इस बात से मैं जरूर सहमत हूं, परन्तु सरकार चाहे कि इस बोर्ड को जब चाहे बनाए, जब चाहे हटा दे, जब चाहे जिस व्यक्ति को रख दे, जब चाहे जिस सदस्य को रखे और जिसको चाहे उसको हटा दे, उसके मैं जरूर खिलाफ हूं, परन्तु इस बोर्ड के खिलाफ इसलिये नहीं हूँ कि जो आज एक सारे लोगों के हाथ में चीज जाने से वह लीक आउट होने से राजस्थान को जितना नीचे शिक्षा को ले जा रहे हैं राजस्थान के पब्लिक के अन्दर इस शिक्षा का पूरी तरह से आउट होने से लड़कों पर और हम लोगों पर इसका क्या असर रहेगा ? जैसा कि आज युनिवर्सिटी को देखें, हमारे राजस्थान में ही क्या बाहर के दूसरे देशों में भी इसी तरह की युनिवर्सिट बनी हैं और कोई कमेटी बाहर के देशों में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उन देशों के नाम ले लीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : रूस, होलैन्ड, पोलेन्ड, इन देशों में कमेटियें नहीं हैं।

(हंसी)

एम. एल. ए. बने हो, इस तरह से आप लोगों को नहीं हंसना चाहिये। इन देशों में भी है। हिन्दुस्तान में जैसे युनिवर्सिटी कायम है उसी तरह की वहां भी कायम हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir, it is about a Board and not about a University.

श्री उपाध्यक्ष : आप १६ वें क्लॉज़ के संशोधन पर बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं इस संशोधन के विरोध में बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जैसे युनिवर्सिटी आरम्भ में काम करती हैं उसी तरह बोर्ड है, शिक्षा का ही वह भी अंग है और इस बोर्ड का भी; ऐसे बोर्ड सरकार को रखना चाहिये। इस बोर्ड के जरिये कम से कम ११ वीं कक्षा तक तो शिक्षा लड़कों को मिलेगी। इन क्लासों के जरिये ११ वीं क्लास तक उन लड़कों के भाग का फैसला होगा।

श्री उपाध्यक्ष : हम विषय से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ग्रान्ट-इन-एड और डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ ही बोलना है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अब विरोध में बोल रहा हूँ तो विरोध की बात बतानी ही पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आरम्भ करिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, लड़कों को इससे ११ वीं कक्षा तक शिक्षा मिलेगी और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेगी उनकी टाइली चीज आउट हो जाती है तो हर आदमी को हर चीज बताने पर....

श्री उपाध्यक्ष : No prompting please.

श्री मुक्तिलाल मोदी : लीक आउट हो जाती है तो उसके लीक आउट होने से पब्लिक और लड़कों पर बहुत बुरा असर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

पड़ता है। ऐसी हालत में मेरे माननीय मित्र श्रीभानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : मैं इसको विद्ड्रॉ कर रहा हूँ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप इसको विद्ड्रॉ तो करोगे ही क्योंकि आप कांग्रेस में हैं।

यह तो सरकार को चाहिये कि जब बोर्ड का एक्ट इस हाउस में पास हो रहा है तो इस बोर्ड को राजस्थान सरकार यह बतादे कि जैसे आज युनिवर्सिटी के लिये लड़कों और पब्लिक को विश्वास है उसी तरह से बोर्ड पर भी जनता और लड़कों को विश्वास नहीं होगा तब तक यह बोर्ड सक्सेसफुल नहीं हो सकता और सरकार को चाहिये कि इस एक्ट को पास करने के लिये अपना जो अधिकार है वह कम रखे और इस अधिकार को, इस एक्ट के अन्दर; इस तरह के अधिकार रखे कि सरकार इसमें किसी प्रकार की बाधाएं न डाल सके। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष, मेरा माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब से यही निवेदन करना है कि इस बोर्ड को एक उच्चस्तरीय बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिससे दूसरे प्रान्तों के लोग देहली के लोग हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, जो इस राजस्थान को कुचलने में लगे हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे शब्द माननीय सदस्य नहीं कहेंगे।

३. १ म० प०

श्री मुक्तिलाल मोदी : हाईकोर्ट का जो प्रश्न चल रहा है उसी में ही देखिये यहां के लोगों को कुचलने आ गये। ऐसा तो कहना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह मुझे नहीं मालूम था।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय उपाध्यक्ष, सरकार को चाहिए कि वह इस तरह का एक्ट पास करे इस असेम्बली में कि दूसरे प्रान्तों के जो इस बारे में एक्ट हैं या दूसरे प्रान्तों में जो बोर्ड बने हुए हैं, यह हमारे यहां का उनसे भी ऊँचे स्तर का बोर्ड बने और इस बोर्ड को सरकार उंचे स्तर पर लाये नहीं तो फिर रोजाना टेलीफोन प्रेक्टिस चालू रहेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, माध्यमिक शिक्षा विधेयक की क्लॉज़ २० के विरोध में कई मनोरंजन-पूर्ण और भावात्मक भाषण हुए। मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने और मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस भावपूर्ण मुद्रा के साथ एक लम्बा भाषण दिया और उस भाषण के अन्दर जिस प्रकार के विरोधाभास प्रस्तुत किए, मैं समझता हूँ कि वह अपने ही भाषण से जो संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है, मेरे भरतपुर से आने वाले सदस्य श्री श्रीभानसिंह ने उसका समर्थन किया है। उन्होंने बताया कि आज के इस युग को हमें समाज के साथ ले जाना चाहिए और जहां वह इस बात को कहते हैं मैं समझता हूं कि वह इस बात की अहमियत को समझते हैं कि जनता से दूर जाकर कोई भी वस्तु लोकप्रिय नहीं बनाई जा सकती। वह जनता से दूर जाकर अलग न रहे। अब सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षण पद्धति उसी प्राचीन ढर्रे पर चलनी चाहिए जिस पर कि वह आज तक चलती रही है? तो मैं समझता हूं कि इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत नहीं होगा कि हमारी शिक्षा की पद्धति उसी पुराने ढर्रे पर ही चलती रहे। आज समाज की इस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

प्रकार की आवाज है, आज समाज की इस प्रकार की ध्वनि है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अन्दर परिवर्तन होना चाहिए और वह परिवर्तन जनता की ओर जाने वाला होना चाहिए और शिक्षा का जो केन्द्रीयकरण था उसमें विकेन्द्रीकरण आना चाहिए। आज की हमारी शिक्षा पद्धति को जनता की ओर जाना चाहिए। आज इसी बात को ध्यान में रख कर एक संशोधन रखा गया है इस बिल की क्लॉज़ २० के अन्दर कि हमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां बनानी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के अन्दर विशेष रूप से पेरेन्ट्स को रखना चाहिए इसके लिए कहा गया है ताकि उनका संबंध सीधा शिक्षा से रहे ताकि बालकों का संबंध सीधा शिक्षा से रहे।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर बताया गया कि इस प्रकार का जो हायर सेकन्डरी शिक्षा का बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें यदि इस प्रकार की कमेटीज़ बनाई गईं तो बोर्ड के प्रशासन में बहुत बड़ी कठिनाई आयेगी। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा का सम्बन्ध केवल विवेक से है और उसका सम्बन्ध किसी प्रकार से भी जनता से नहीं है। मैं इस बात में यह बता देना चाहता हूँ कि शिक्षा का सम्बन्ध केवल एक ही बात से नहीं है। यह तो एक ही पक्ष है जो कि माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है। इसको सोचने का एक तरीका है और इसको यदि हम सम्पूर्ण दृष्टि से विचार करते हैं तो हम उस पक्ष को, जो जनता का पक्ष है, उसको नहीं छोड़ सकते। जहां शिक्षा का सम्बन्ध विवेक से है वहां शिक्षा का संबंध सीधा जनता से है। हम शिक्षा किसके लिए देते हैं? शिक्षा का सम्बन्ध जनता से नहीं है तो फिर किससे है? हम जनता के विकास के लिए ही, जनता के उत्थान के लिए ही और जनता की उन्नति के लिए ही शिक्षा देते हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा देते हैं, भारत का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा देते हैं। मेरे एक मित्र ने इस पक्ष के समर्थन में बताया था कि जनता के बीच में एक खाई पड़ी हुई है उसको दूर करके हमें शिक्षा का सीधा सम्बन्ध जनता से जोड़ना चाहिए। इस दृष्टि को सामने रखते हुए जो एक मित्र ने कहा उन्होंने यह भी बताया कि जो अणु परीक्षण हो रहे हैं वहां जनता की जरूरत नहीं है वहां तो मस्तिष्क की जरूरत है और वहां दिमाग ही काम करता है। लेकिन जहां इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है वहां हमें सोचना चाहिए कि वह कहां तक न्यायसंगत हो सकता है? कहा जाता है यह जो जिला विकास समितियां बनाने का सवाल है यह अव्यावहारिक है, अनावश्यक है। इस प्रकार के ऐसे शब्द कह कर इसकी महत्ता को कुचला जाता है। आज अणु परीक्षण की बात कही जाती है लेकिन जहां तक हम माध्यमिक शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे किशोर बालकों को योग्य बनाने के लिए एक शिक्षण की पद्धति है जो केवल छोटे बालकों के लिए है और जिसका सम्बन्ध ऊंचे मस्तिष्क से नहीं है। तो इस बात पर हम विचार करते समय इस बात को भूल जाते हैं कि शिक्षा का सम्बन्ध सीधा बालकों से है, समाज से है और केवल एक ही पक्ष पर विचार करने लग जाते हैं। मैं समझता हूं कि जो छोटी शिक्षा है उसका सम्बन्ध बालकों से है। उसका सीधा सम्बन्ध जनता से आता है। इसलिये यदि इस प्रकार की समितियां बनाई जा रही हैं और उनका सम्बन्ध वहां के वातावरण से, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों से, वहां के बच्चों की आवश्यकताओं से रहता है तो ऐसी समिति

Page No.76

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। इसका विरोध करने वाले मेरे दो एक मित्रों ने इस बात को बिलकुल ही भुला दिया कि आज शिक्षा को हम विवेक से लेकर चलते हैं, उच्च मस्तिष्क को लेकर चलते हैं लेकिन इस बात को भुला देते है कि उन बालकों को पढ़ाने के लिए, उनकी क्या आवश्यकतायें हैं, जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है उनको धंधों पर लगाना है, कौन सी टैक्नीकल शिक्षा देनी है। तो हमको कम से कम उस क्षेत्र के अन्दर, उस जिले के अन्दर रहने वाले बालकों की आवश्यकताओं को देखना होगा और भौगोलिक परिस्थिति को वहां की जो भूमि से संबंध रखने वाले जो हैं उनको देखते हुए उन पर विचार-विमर्श करना पड़ेगा। कई मित्रों ने इसको मांना है कि हमारे राजस्थान में भौगोलिक परिस्थितियां बहुत परिवर्तित हैं। एक जिले के अन्दर कृषि का अच्छा अनुसंधान हो सकता है तो दूसरे जिले के अन्दर पशुपालन का या चमड़े का काम अच्छा हो सकता है। लेकिन इस बात को स्वीकार करते हुए वह इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हम हर जिलेवार इस प्रकार की समितियां बनायें कि जो जिलों के अन्दर विकास संबंधी बातें हैं उन पर विचार करें।

उद्योग-धंधे जो चलाये जा सकते हैं उनकी शिक्षा उस जिले के अन्दर दी जाये तो हमारे आने वाले बच्चों को किसी प्रकार से आगे दिक्कत न हो और उद्योग-धंधों में वह अपना जीवन लगा दें। इस प्रकार की योजना जो जिलेवार समितियां बनाने की है उसका जो विरोध किया जाता है और उसको जो न्याय संगत नहीं बताया जाता तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की समितियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसकी आवश्यकता को देख कर ही यहां संशोधन रखा गया है और इसके पीछे बहुत भारी वजन है, एक बड़ी भारी आवाज है जो बोल रही है। आज जनता चाहती है कि शिक्षा केवल सरकार के ही हाथ में सीमित न रह जाये। यहां तक भी विचार आया है कि शिक्षा को पंचायतों के हाथ में या तहसील बोर्ड या जिला बोर्ड के हाथ में देना चाहिए। इसी के खातिर मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की जिलावार समितियां बननी चाहिए क्योंकि वही अधिक जान सकते हैं कि वहां की क्या आवश्यकतायें हैं, उनको शिक्षण देने के लिए क्या क्या होना चाहिए और किस जिले में किस प्रकार का शिक्षण देना लाभप्रद होगा। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो संशोधन रखा गया है कि डेवलपमेन्ट कमेटीज् बननी चाहिए और वह भी जिला स्तर पर बननी चाहिए। यहां पर इस बात की आशंका की जाती है कि इस प्रकार की कमेटी बनाने से उनका गठन किस प्रकार का होगा, तो मैं यहां बताना चाहता हूँ कि इस क्लॉज़ को पढ़ कर इसके अन्दर रखा गया है कि किस प्रकार का इसका गठन होगा। जब हम यहाँ जानते हैं कि हमने अपने राजस्थान के विकास के लिए विकास समितियां जिला स्तर पर बनाई हैं और उनकी आवश्यकताओं को महसूस किया है तो फिर शिक्षा बोर्ड में जो समितियां बनाई जायें वह जिला स्तर पर ही बनाई जायें तो क्या कठिनाई होती है? एक नया शिक्षण सारे राजस्थान में फैलाना है माध्यमिक शिक्षा का, तब हम इस बात को भूल जाते हैं कि जहां हम विकास के लिए विकास समितियों की आवश्यकता को समझते हैं वहां

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हम शिक्षा के विकास के लिए जिलावार समितियों की आवश्यकता क्यों नहीं समझते ? मैं तो इस बात को समझता हूं कि इस बात में ज्यादा वजन है और इसे माना जाना चाहिये।

दूसरा संशोधन इसमें जो रखा गया है वह है ग्रान्ट-इन-एड का, उसके लिए भी एक कमेटी होनी चाहिए। इस कमेटी को रखने का माननीय सदस्य का जो मकसद है वह स्पष्ट है कि किस जिले के अन्दर हमको कितना पैसा खर्च करना है कितनी स्कूलें खोलनी पड़ेंगी, इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर यह कमेटी बोर्ड के सामने अपने विचार रखेगी, उसके लिए अनुमान तैयार करेगी कि इतना खर्चा इस प्रकार की संस्था को चलाने के लिए पड़ेगा। ग्रान्ट-इन-एड की जो कमेटी होगी वह यह भी सिफारिश करेगी कितनी ग्रान्ट्स किसको देनी है, यह सब कार्य इस कमेटी के सुपुर्द होने चाहिये।

तीसरा संशोधन जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा रखा गया है, उन्होंने दो शब्द हटा देने के लिए निवेदन किया है। उनका सुझाव है, "Every Committee shall consist of such persons as are prescribed by Regulations." जहां तक एग्जामिनेशन कमेटी का सवाल है उसमें जनता के आदमियों का, प्रतिष्ठित आदमियों का सहयोग लेने में कोई बन्धन नहीं है। यह कोई नियम नहीं कि बोर्ड के फलां मेम्बर को ही लिया जा सकता है। एग्जामिनेशन कमेटी एक स्वतन्त्र कमेटी होनी चाहिए उसमें ऐसे सज्जन होने चाहिये जो प्रतिष्ठित हों। बोर्ड में जहां सरकारी अधिकारियों का बहुमत है इस लिए यह जरूरी है कि सरकार अपनी मनचाही बात न करले, इसमें स्वतन्त्र व्यक्ति का होना आवश्यक है, इसी मकसद को लेकर यह संशोधन रखा गया है। इसमें जो प्रोविज़न किया गया है उससे केवल यही अर्थ नहीं निकलता है कि बोर्ड के सदस्य ही इसमें शामिल हो सकते हैं दूसरे नहीं। यह मतलब नहीं है इसमें जनता के आदमी भी ले सकते हैं। मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री श्रीमान सिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूँ और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जो क्लॉज ३ में संशोधन रखा है उसका भी मैं समर्थन करता हूं।

इन संशोधनों का विरोध करने वाले माननीय सदस्यों ने यह बताया है कि जिन जिन कमेटियों का निर्माण किया जायगा उसके बारे में इस विधेयक में आदेश है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसमें जो 'एफ' क्लॉज़ रखा गया है वह है कमेटियों के निर्माण के बारे में क्लॉज २० के सब-क्लॉज (एफ) है :

"Such other Committees as may be prescribed".

इस बिल को बनाने वाले माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात थी कि और भी ऐसी कमेटियां बनायी जा सकती हैं जो ज्यादा जरूरी हों। इसीलिये यह क्लॉज़ रखा गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि श्रीमानसिंहजी ने जो संशोधन दिया है कि इस 'एफ' क्लॉज़ के आगे 'जी' क्लॉज़ और जोड़ दिया जाय।

इस पर माननीय सदस्यों ने बोलते हुए यह कहा था कि इस प्रकार की जिला कमेटियों का निर्माण कर दिया गया तो बोर्ड के काम में बाधा उपस्थित हो जायगी और उलझनें पैदा कर देंगे।

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

दूसरी बात यह बताई गई इसको निर्माण कर देते हैं तो इस कमेटी को प्रिसाइड़ कौन करेगा ? कौन कौन इसके मेम्बर होंगे, कहां किस जगह इसका ऑफिस होगा यह, भी नहीं बताया गया। यह बोर्ड एक विशेषज्ञों का बोर्ड होगा जिसमें विवेक सम्मत राय देने वाले ही व्यक्ति होने चाहिये इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि जनता विवेक सम्मत नहीं है।

इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि अणु परीक्षण के जितने भी केन्द्र हैं, जहां जहां भी इनकी प्रयोगशालायें होती हैं उनमें जनता की राय नहीं ली जाती, इत्यादि इत्यादि, बातें कही गई। इनके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हम माध्यमिक शिक्षा हमारे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं. वास्तव में वह प्रयोग अवस्था में है। आज जिस प्रणाली को चलते हुए सौ वर्ष से भी ऊपर का समय हो गया उसकी जगह हम दूसरी प्रणाली निर्माण करना चाहते हैं तो हमारा यह ध्येय होना चाहिये कि हम अपने प्रदेश वासियों को साथ में लेकर इसका प्रयोग करें। इसके लिये बोर्ड के सामने जो जो कठिनाइयां आने वाली हैं शिक्षा विशारद इस पर गौर कर सकेंगे।

अभी यह भी कहा गया कि यह बोर्ड सभी तरह से परिपूर्ण है जिस प्रकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी कायम की थी वह भी हिन्दुस्तान के पूरे जिलों में नहीं घूमी होगी। मैं उन माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सारे देश में जिले भी शामिल हैं उसमें राजस्थान के जिले भी हैं, राजस्थान के कई जिलों में कमेटी गई होगी, ऐसी स्थिति में हम यह नहीं मान सकते कि जो कमेटी भारतवर्ष के लिये बनी थी उसमें जिले के लोग नहीं थे। जब हम एक प्रदेश का बोर्ड बना रहे हैं तो यह जरूरी है कि उसके लिये जिलेवार कमेटी भी हो ताकि हम इस प्रयोग को किस तरह से लागू करना चाहते हैं, बोर्ड की पॉलिसी क्या है तो उस पॉलिसी को और उसके प्रयोग को जहां तक जिलों में लागू करने का सवाल है जिलेवार कमेटियां ही इस कार्य को करने में, बोर्ड को मदद देने में उपयुक्त साबित हो सकती हैं। इसलिये इस प्रकार की कमेटियों का बनाना अनिवार्य है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि इन कमेटियों को प्रिसाइड कौन करेगा, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार इसमें ए० बी० सी० डी० क्लॉज़ेज़ हैं उसमें किसी क्लॉज़ में भी यह नहीं बताया गया कि इन इन कमेटियों के कौन कौन कन्वीनर होंगे, बाहर से मेम्बर लिये जायेंगे वे कौन कौन होंगे, जिस प्रकार इन कमेटियों के निर्माण की आपकी पोलिसी होगी उसी प्रकार जिला स्तर पर भी जो कमेटियां होंगी उनका भी निर्माण इसी प्रकार होगा। इस प्रस्ताव में यह नहीं बताया कि किस प्रकार गठन किया जायेगा, यह तो सरकार के जिम्मे और बोर्ड के जिम्मे होगा कि वह अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से जिला स्तर पर भी कमेटियां कायम करें।

आज हम देखते हैं कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है जिस के आधार पर हम अपने प्रान्त में भी उसी प्रकार की शिक्षा प्रणाली लागू करने जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास कागजी काम इतना होता है, कागजों के डिस्पोज़ल में ही वह रातदिन व्यस्त रहते हैं। रोजाना नये नये स्टेटमेन्ट्स बनते हैं उनके पास लिखने पढ़ने के सिवाय और कोई काम नहीं है, स्कूलों में जाकर उनको देखने का अवकाश तक नहीं मिलता। आज हम राज-

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

स्थान में देखते हैं कि कई जगह स्कूल हैं तो मास्टर नहीं और मास्टर हैं तो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं, इस प्रकार की कई कठिनाईयां हैं, कई जगह इन्सपेक्टर तक पहुँचते नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष : The point you deal is irrelevant.

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) Yes. मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिलेवार सलाहकार समितियां जरूरी होनी चाहिये।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि अणु परीक्षण केन्द्र होते हैं वे कभी जिला स्तर पर नहीं रखे जाते। उन महाशय को यह भी मालूम होना चाहिये अणु-परीक्षण के लिये जनता की राय लेना तो दूर रहा एक देश दूसरे देश से भी सलाह नहीं लेता है, ऐसे उदाहरण तो इस पर उपयुक्त नहीं समझे जा सकते; आज जो प्रणाली हरेक बच्चों पर लागू करने जा रहे हैं उसके लिये जो संशोधन रखे गये हैं वे उपयुक्त हैं, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिये।

अब एक यह बताया गया कि कहां वे बैठेंगे, कहां वे काम करेंगे ? एकने बताया कि कमेटियां बनाई हैं वे तो ऑफिस में ही होंगी। पर शायद उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी सब कमेटियां बोर्ड के ऑफिस में ही अपना काम करेंगी। इसलिये बताना चाहता हूं कि जो सब-कमेटियां जिस प्रकार दूसरी जगह काम कर सकती हैं उसी तरह यहां भी करेंगी। यह सिर्फ परामर्श देने के लिये हैं न कि उलझन डालने के लिये। मान लीजिये बोर्ड के सदस्य शिक्षा विशेषज्ञ हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं, पर ज्ञानी होते हुए भी बहुत सी जगह की परिस्थितियों को जान कर उनके उपयुक्त कार्यवाही कर लेना उनके लिये सभी जगह सम्भव नहीं हो सकता। तो इसलिये अगर उनको परामर्श मिल सकता है तो यह उचित ही है और यह संशोधन इस दृष्टि से उपयुक्त और सही है।

आगे एकने यह बताया कि विवेक सम्मत मत उनमें नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि विवेक सम्मत मत हरएक डिस्ट्रिक्ट के आदमियों में है और रहेगा क्योंकि हरेक डिस्ट्रिक्ट विवेक सम्मत आदमी दे सकता है और वहां पैदा होते हैं और वहां से बड़े बड़े विशेषज्ञ आते हैं। यह कह देना कि विवेक सम्मत मत देने वाले लोग डिस्ट्रिक्ट से नहीं आवेंगे, यह गलत है। यह दलील उपयुक्त नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि परामर्शदात्री समिति का जो यह संशोधन पेश किया गया है वह बिल्कुल ही मानने योग्य है।

दूसरा संशोधन यह दिया गया है कि ग्रान्ट-इन-एड देने के लिये एक समिति कायम की जानी चाहिये जो इस बारे में भी परामर्श दे सके। मैं यह बताना चाहता हूं कि आज भी ऐसी स्कूलें हैं जो ठीक सुचारु रूप से काम नहीं करती हैं। एक ही मास्टर से चार प्रकार की रसीदें लेकर ग्रान्ट-इन-एड ले ली जाती हैं और आज तो इन्सपेक्टर और डिप्टी-इन्सपेक्टरों के भरोसे इनके सारे काम चल रहे हैं। ये वहां जाकर अपनी आवभगत कराकर, ऊपरी ढंग से देख भाल करके चले आते हैं। इससे उनको कोई सरोकार नहीं की इन संस्थाओं की अन्दरूनी हालत क्या है, किस तरह से ये चलती हैं, कहां कहां उनकी स्कूलें हैं। ये तो केवल धोखेबाजी से सरकार से रुपया वसूल करती हैं और अपना काम चलाते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

जो परामर्शदात्री समिति व ग्रान्ट-इन-एड के बारे में भी बनाने का जो सुझाव दिया है वह उपयुक्त है । इसलिये भी कि आज जो बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं एक नई प्रकार की क्रान्तिकारी शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिये, तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी देखना होगा कि कौन सी संस्था इस प्रणाली को लागू करने में हमें सहयोग दे सकेगी और कौनसी नहीं।

इसके साथ साथ जो क्लॉज़ ३ में यह है कि "Such another" इसको हटाने के लिये जो संशोधन पेश किया गया है वह भी उपयुक्त है । अगर यह नहीं हटेगा तो दूसरी जो आवश्यक समितियां हम कायम करने की बात करते हैं वे नहीं हो सकेंगी। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जो संशोधन इस तरह से उपयोगी है उसको मान लेना चाहिये और यह मानने योग्य है ।

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हायर सेकन्डरी एजुकेशन बिल की बीसवीं क्लॉज़ के तीसरे सब-क्लॉज़ पर जो मेरे एक मित्र ने संशोधन पेश किया है वह संशोधन इस क्लॉज़ से सुसंगति रखता हुआ मुझे तो प्रतीत नहीं होता है ।

इस क्लॉज़ की मंशा केवल इतनी ही है कि बोर्ड के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के वास्ते हमको कौन कौन सी कमेटियां बनानी चाहिये । इसके लिये बोर्ड के विधायकों ने सिलेक्ट कमेटी के मशविरे से ५-६ कमेटियां पहले ही मुकर्रर कर दी हैं । उस लिस्ट को और बढ़ाने के लिये मेरे मित्र ने दो कमेटियां और रखने का सुझाव दिया है । एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटी, दूसरी है ग्रान्ट-इन-एड कमेटी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऐसा कोई संशोधन नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री रामचन्द्र) पुनः देखें संशोधनों को ।

श्री रामचन्द्र : (जारी) डिस्ट्रिक्ट कन्सल्टेटिव कमेटी और दूसरी कमेटी है ग्रान्ट-इन-एड कमेटी। इसके बाद मेरे दूसरे मित्र ने इन कमेटियों के गठन को बदलने के लिये अपना सुझाव रखा है वह सुझाव यह है कि इन कमेटियों के मेम्बर केवल बोर्ड के मेम्बर ही न हों बल्कि वह कोई भी मेम्बर हो सकता है। यह मेरी समझ में नहीं आया । बोर्ड की जैसी कि पॉलिसी है कि साइन्टिफिक और प्रोग्रेसिव लाइन पर बोर्ड की बनाई हुई प्रणाली के अनुसार हायर सेकन्डरी एजुकेशन को डेवलप करना तो जब इस साइन्टिफिक व प्रोग्रेसिव लाइन पर तो हम डेवलप करना चाहते हैं और सजेशन यह दिया जाता है कि हम किसी भी मेम्बर को रख लें। यह मेरे ख्याल से तो एक सुसंगत बात नहीं मालूम होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय एक बात कह देना उचित समझता हूँ और वह यह है कि इस विधेयक से सम्बन्धित दो क्लॉज़ेज़ हैं । एक नीति और दूसरी रीति का। राज्य सरकार के शिक्षा क्षेत्र में इस सम्बन्ध में दो कार्य की एक नीति अर्थात् पॉलिसी को निर्धारित करना और दूसरा रीति यानि उस पॉलिसी को किस प्रकार कार्यान्वित करना ।

सरकार ने राजस्थान की शिक्षा की उन्नति करने के वास्ते इसको तीन भागों में विभाजित किया है । प्राइमरी एजुकेशन, सेकन्डरी एजुकेशन एण्ड युनीवर्सिटी एजुकेशन ।

(श्री रामचन्द)

अब तक हमारे यहां की सेकन्डरी एजुकेशन युनिवर्सिटी के हाथ में रही है और युनिवर्सिटी ने इस एजुकेशन को डेवलप करने में विशेष ध्यान न देकर इसे आज तक यह जिस तरह चल रही है उसी हालत में रक्खा। अब इसकी उन्नति के लिए भारत सरकार ने एक कमीशन मुकर्रर किया और उसने इस विषय में काफी जानकारी हासिल करके यह तय किया कि सेकन्डरी एजुकेशन के डेवलपमेन्ट के लिये हायर सेकन्डरी एजुकेशन बोर्ड कायम किया जावे। उसी को संचालन करने के लिये यह विधेयक यहां आया है।

मैं यहां यह कह देना उचित समझता हूं कि मेरे मित्र का जो पहला सुझाव है वह रीति से सम्बन्धित नहीं, है उसका सम्बन्ध है नीति से, यानि सरकार की एजुकेशनल पॉलिसी से है तो जिस बोर्ड का काम केवल वर्क करना है उसका पोलिसी से क्या सम्बन्ध? इसलिये इस बोर्ड की कमेटियों में एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल कन्सल्टेटिव कमेटी का बना देना यह कोई सुसंगत बात नहीं है।

दूसरा ग्रान्ट-इन-एड कमेटी का सुझाव मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक मालूम होता है। ग्रान्ट देने का काम राजस्थान सरकार का है न कि बोर्ड का। बोर्ड के पास इतना पैसा ही नहीं है जो कि वह उसे स्कूलों को वह दे सके। तो जब पैसा ही उसके पास नहीं है तो फिर ग्रान्ट-इन-एड कमेटी निर्धारित करने का मतलब ही क्या? इसलिये यह कमेटी भी बना देना ठीक मालूम नहीं देता।

तीसरा सुझाव जो मेरे माननीय मित्र ने दिया वह यह है कि यह जो कमेटियां बनी हैं उनमें यह जरूरी नहीं है कि बोर्ड का मेम्बर ही हो, इनमें कोई भी मेम्बर हो सकता है। इसके लिये मैंने अभी प्रार्थना की है कि इन कमेटियों का निर्माण बोर्ड का काम सुचारु रूप से चलाने के लिये किया गया है, अर्थात् हायर सेकन्डरी एजुकेशन का साइन्टिफिक और प्रोग्रेसिव बेसिस पर निर्माण करने के वास्ते ये कमेटियां बनाई गई हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि बोर्ड का कार्य तो साइन्टिफिक तरीके पर हो, लेकिन बोर्ड का मेम्बर कोई भी हो सकता है। यह सुझाव भी कोई सुसंगत मालूम नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिये अगर इस प्रकार का परिवर्तन भी कर दिया जाय तो इसमें कई उलझनें पैदा हो जावेंगी। जैसे एग्ज़ामिनेशन कमेटी ही है, उसका कार्य यह है कि एग्ज़ामिनेशन कन्डक्ट करना, रजिस्टर रखना, टेबुलेशन करना और रिजल्ट निकालना। यह एक बड़ा गोपनीय विषय है। अगर यह कार्य किसी साधारण मेम्बर को सुपुर्द कर दिया जाय तो यह कार्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गोपनीयता रखने की जरूरत है। यदि इसको बोर्ड के मेम्बरों के पास रखें तो यह उस मेम्बर के लिये जरूरी होगा कि वह इस कार्य में गोपनीयता रखे। यदि यह कार्य किसी साधारण मेम्बर के पास रख देंगे तो उसमें गोपनीयता नहीं रहेगी, क्योंकि वह चुना हुआ मेम्बर नहीं होगा और केवल कोऑप्टेड मेम्बर के रूप में होगा। इसलिये इस कार्य को इस तरह के साधारण मेम्बर से सम्बन्धित कर देने से बोर्ड के काम में सुविधा होने के बजाय असुविधा हो जावेगी।

अतः यह जो संशोधन रखा गया है उस के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि इसमें संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्षजी, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लॉज़ २० में संशोधन रखा है

(श्री लक्ष्मीचन्द)

मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। चूंकि इस बिल के अन्तर्गत कमेटियां कायम होने जा रही हैं और जब तक कमेटियां कायम नहीं होंगी बोर्ड कार्यवाही नहीं करेगा। बोर्ड हर जगह तो केम्प रख नहीं सकता, हर जगह देख नहीं सकता और गवर्नमेंन्ट की फाइनेन्शियल पोजिशन भी ऐसी नहीं है कि हर जगह वे टूर कर सकें, वहां की परिस्थितियों को देख सकें और उन पर विचार कर सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक कमेटियां कायम नहीं होंगी बोर्ड को सलाह नहीं मिल सकेगी। किस जिले में कमी है और उसकी कैसे पूर्ति हो सकती है, यह बोर्ड पूरी तरह से जान नहीं सकेगा। इसलिए सदन से निवेदन है कि जो संशोधन रखा गया है उसको मंजूर करना चाहिए और इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को ज्यादा दलील नहीं रखनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेन्ट को जो चीज़ वाजिब होती है उसको विरोधी दल मान लेता है, उसका समर्थन करता है उस हालत में आपको भी जो हमारी वाजिब दलील है उसको मान लेना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, काफी बहस हो चुकी है और यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर ज्यादा बहस की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : But I cannot curtail the speeches.

श्री किशनसिंह (लक्ष्मनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूँ। इसमें जो दलील दी गई है वह कोई युक्ति संगत नहीं है और उसमें इस तरह की कोई वज़नदार बात नहीं कही गई है जो गले उतरती हो। केवल यह बताया गया है कि कमेटियां बननी चाहिए और कमेटियां जिला स्तर पर निर्माण की जायं। कॉन्स्टिट्युएन्सी के हिसाब से, तहसीलों के हिसाब से या पंचायतों के हिसाब से बनें तो ठीक है। लेकिन इन कमेटियों की व्यवस्था किस तरह से होगी, उनका संचालन किस तरह से होगा? जब यह सवाल होगा तो उसके बारे में कोई बात नहीं बतायी गई। यह बता दिया कि सरकार जाने और कमेटियां जानें। यह नहीं बताया गया कि इस तरह की व्यवस्था होगी और इस प्रकार से संचालन होगा। तो मैं यह इससे नहीं समझ पाया कि इतनी कमेटियां बनाने की क्यों आवश्यकता है? और फिर विकास कैसे होगा? इसलिए मैं इस सम्बन्ध में, ज्यादा न बोल कर, क्योंकि काफी लोग बोल चुके हैं, इस संशोधन का विरोध करता हूं।

ग्रान्ट-इन-एड की बात भी बतायी गई। उसके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि अलग से कहां निधि है जो हम उनको देंगे? गवर्नमेन्ट से मांगे तो गवर्नमेंट कहां से देगी, कब देगी? इसकी पंचायत हमें करने की क्या (अश्रव्य) थी? हम दूसरा कोई फन्ड नहीं देखते हैं कि जहां से ग्रान्ट-इन-एड देंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिला स्तर पर समितियां बनाने का जो संशोधन है उसको वापिस ले लें तो बड़ा अच्छा होगा।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member to my left side.

श्री भोगजी (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री श्रीमानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हुआ मेरी भी राय प्रकट करता हूँ कि

(श्री मोग जी)

जहां तक हो शिक्षा के बारे में विकास सम्बन्धी कमेटियां जिला के अनुसार होनी जरूरी है। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि जब शिक्षा सम्बन्धी कोई विकास करते हैं और अगर विकास समिति जिले में कोई बनाई जाय तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। शिक्षा, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा विकास हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस स्थान से बोल रहे हैं क्या वह आपका स्थान है ?

(विराम)

यदि नहीं है तो आप आपके स्थान पर जाकर डिबेट आरम्भ करिये।

(माननीय सदस्य द्वारा अपने स्थान पर जाकर डिबेट आरम्भ करना)

श्री मोगजी: (जारी)उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री श्रीभानसिंहजी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। जिला स्तर पर सलाहकार कमेटी बनाना, जिसका जिले की तमाम जनता से ,शिक्षा के संबंध में ताल्लुक है, जिसमें जनता का सहयोग हो, जिसमें जनता की सलाह हो, वहां की शिक्षा का विकास कैसे हो, इसके लिए इसके द्वारा बोर्ड को सलाह दे सके, इसलिए मैं अनिवार्य समझता हूँ। वहां ग्राम पंचायतें हैं, तहसील पंचायतें हैं, जिनसे जनता का ताल्लुक है, शिक्षा का प्रसार करना है, विकास करना है तो कर सकते हैं। इन कमेटियों द्वारा बोर्ड को सलाह दे सकते हैं, इसमें अधिक से अधिक रूप में भाग ले सकते हैं जिससे जो कमी वहां है, कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के हेतु उसमें भाग ले सकते हैं, किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में जनता भाग ले सकती है जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां का विकास हो सके। इसलिए ऐसी समितियां जिलों में न बनाना और यह बताना कि उसका जनता से ताल्लुक नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको अनावश्यक समझा जाय यह तो अनुचित है। जहां तक शिक्षा के विकास के माने में जनता का ताल्लुक है, जिले की जनता का इस विकास से सम्बन्ध है, मैं कहूँगा कि उन सलाहकार समितियों से जितना ज्यादा विचार किया जा सकता है वह और किसी तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी राय है कि यह संशोधन माननीय मंत्रीजी स्वीकार करें।

(श्री सम्पतराज और श्रीजगदीशप्रसाद माथुर के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मेरी दृष्टि उन पर पहले पड़ी है बदकिस्मती से।

श्री सम्पतराज जैन : मुझ पर ही पड़ी या उन पर ?

श्री उपाध्यक्ष : On the left side.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय श्री श्रीभानसिंहजी ने जो संशोधन रखे हैं कि जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाय तथा दूसरा यह कि बोर्ड के अन्दर ग्रान्ट-इन-एड के अन्दर विचार करने वाली एक समिति का गठन किया जाय, मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं।

हमने अपने देश के अन्दर योजना के आधार पर बढ़ने का प्रयास किया है और उस आयोजन का जो प्रमुख भाग है वह ज सहयोग है। अपनी जितनी योजनाएं ३।

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बाकी और राज्य के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में इस प्रकार से सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है कि जनता का सहयोग किस प्रकार से लिया जाय और हमने देखा है कि राज्य के द्वारा जितने भी प्रकार की योजनाएं होती हैं उन सभी को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार की कमेटियों का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है। इस नाते इस क्षेत्र के अन्दर भी यह मांग आती है कि परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाय, तो वह अनुचित नहीं है।

जहां तक बोर्ड से सम्बन्धित बोर्ड द्वारा नियुक्त परामर्शदात्री समितियां हैं, जो कि इस बिल के अन्दर दी गई हैं, उन समितियों का काम ऐसा होगा जो कि सैद्धान्तिक काम होगा। केरीक्युलम तैयार करना, कोर्स नियत करना, यह इस प्रकार के कार्य हैं जो कि वास्तव में सैद्धान्तिक कार्य हैं। उनको व्यावहारिक क्या स्वरूप होगा? जब इस प्रकार के कोर्स नियत किये गये हैं तो राजस्थान के अन्दर जिले इतने बड़े बड़े हैं कि उनकी एक सी समस्या नहीं है कि उनके अन्दर सारी एक सी बात आ सकें। इस प्रकार के बोर्ड के बनने के बाद जो भी चीजें तय होगीं, जो हाई स्कूल या मल्टी पर्पज़ स्कूल्स बनाये जा रहे हैं उनके अन्दर किस प्रकार की शिक्षा हो, वह भिन्न क्षेत्रों की भिन्न समस्याएं हैं। यह बात नहीं है कि जिस समिति बनने का सुझाव दिया है उस समिति का सुझाव वास्तव में सरकार को मान्य ही होगा। इस प्रकार की बात नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में भी ऐसा नहीं है कि जो जिले के विकास के सम्बन्ध में योजनाएं सरकार के सामने रखें वे उनको मान्य होती ही होंगी। यह परामर्शदात्री समितियां जो हैं वे शिक्षा का वास्तविक व्यावहारिक स्वरूप क्या हो, वास्तव में जो केरीक्यूलम तय हुआ है, जो कोर्स निर्धारित किया है, उनका उस क्षेत्र की जनता के ऊपर क्या प्रभावहो रहा है, उसमें क्या सुधार होने चाहिए उसमें क्या संशोधन होने चाहिएं, उन सारी बातों को इस बोर्ड के सामने रखेंगी, यह नहीं कि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस बोर्ड के अन्दर हो, या बोर्ड के सदस्यों की संख्या इतनी हो। यह जरूर है कि वह क्लॉज़ डेफर किया गया है, लेकिन वर्तमान स्वरूप को भी लेते हैं तो भी इस प्रकार के मल्टी पर्पज़ हाई स्कूल हों, इस प्रकार से जिले के शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित लोग हैं, वे लोग इस बोर्ड में किसी भी प्रकार से समाविष्ट नहीं किये गये हैं, तो फिर इस बोर्ड के सामने उस क्षेत्र की समस्या किस प्रकार से आयेंगी? उनका कोई मौका नहीं है। उसका मौका यही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ परामर्शदात्री समितियां बनाई जायं और इन समितियों के अन्दर जो उस क्षेत्र में शिक्षा के विषय में विशेषज्ञ हों उनको लिया जाय। जिस प्रकार से कि बोर्ड के अन्दर अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैडमास्टर हैं, उसी प्रकार से उस क्षेत्र में जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों के प्रधान आचार्यों को प्रतिनिधित्व देकर एक प्रकार से उनकी समिति बनाई जाय तो वास्तव में वह समिति किसी काम की हो सकेगी और बोर्ड के सामने वास्तविक और व्यावहारिक सुझाव रख सकेगी।

इसी प्रकार से ग्रान्ट-इन-एड के बारे में जो सुझाव आया है वह वास्तविक और व्यावहारिक सुझाव है। किसी स्कूल को कितनी सहायता चाहिए, किसी स्कूल के अन्दर कौन कौन से साधनों की आवश्यकता, है

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

इन सारी बातों की जानकारी वास्तविकता के साथ सरकारी अधिकारी नहीं समझ सकते हैं। आज ग्रान्ट-इन-एड के सारे मामले इन्सपेक्टर के पास से डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास और उनकी सिफारिश के बाद सरकार के पास जाते हैं और उनकी सिफारिशें सरकार को मान्य होती हैं, लेकिन इसी प्रकार से परामर्शदात्री समिति जो जिले के अन्दर हैं, वह समिति जिले के कौन से स्कूल को कितनी आवश्यकता है, इसकी वास्तव में सही रिपोर्ट दे सकेगी। उस समिति की रिपोर्ट के ऊपर ही बोर्ड के अन्दर ही ग्रान्ट-इन-एड पर विचार करने के लिए एक उप-समिति होगी। वह उपसमिति उस पर वास्तविक और सही रूप से विचार कर सकेगी। यह सच है कि जो बोर्ड की समिति है वह सरकार को जो सुझाव देगी वह वास्तव में व्याहारिक सुझाव होंगे। केवल एक सरकारी स्तर पर आये हुए सुझाव माने जाते हों, जैसा कि आज तक चला आ रहा है, वह वास्तविक और व्यावहारिक सुझाव नहीं हैं। इस समिति के द्वारा जो सुझाव आयेंगे जिले के बोर्ड के अन्दर और बोर्ड के स्वयं के अन्दर एक ग्रान्ट-इन-एड के सम्बन्ध में विचार करने के लिए कोई समिति होगी वह समिति स्वयं विचार करेगी और सरकार को सुझाव देगी।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि बोर्ड के पास फन्ड्स नहीं हैं। बोर्ड को स्वयं को सरकार ग्रान्ट-इन-एड देगी, लेकिन बोर्ड जो कि शिक्षा-शास्त्रियों द्वारा गठित है, जिसके अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश व्यक्ति हैं, वे लोग और जिले की जो परामर्शदात्री समिति हैं, इन दोनों को मिलाकर जो सुझाव आयेंगे, वे वास्तविक और व्यावहारिक होंगे और उन सुझावों के आधार पर सरकार काम करेगी तो इस प्रकार कोई शिकायत नहीं होगी कि सरकार ने इस स्कूल को एड दी और उस स्कूल को एड नहीं दी। इसके अन्दर पोलीटिकल कन्सीडरेशन्स थे और इसके अन्दर कोई कन्सीडरेशन न था। इस प्रकार से जनता के द्वारा बनी हुई जो समितियां हैं वे सुझाव सरकार के पास भेजती हैं तो उसके अन्दर आगे सरकार के हस्तक्षेप करने की शिकायत नहीं आ सकती है।

अतएव मेरी राय यह है कि इन दोनों समितियों के गठन का जो सुझाव है वह वास्तविक और व्यावहारिक सुझाव है और इसको अवश्य माना जाना चाहिए।

श्री संपतराज जैन (अकलेरा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ २० के अन्दर जो संशोधन पेश किये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार प्राइमरी और हायर सेकन्डरी शिक्षा पर काफी पैसा व्यय कर रही है और काफी तादाद में प्रति वर्ष स्कूल खोले जा रहे हैं। मगर जितना पैसा खर्च किया जा रहा है आज जनता को उससे पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है ? इसका मुख्य कारण यह है कि आज राजस्थान में निरीक्षण की जो व्यवस्था है, अर्थात् शिक्षण संस्थाओं की, स्कूलों की, पाठशालाओं की, प्राइमरी स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों के निरीक्षण की जो व्यवस्था है, वह ठीक नहीं है। इसके अलावा इस निरीक्षण-व्यवस्था या शिक्षा संबंधी अन्य कार्यों में योग देने के लिए जनता की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir. he is not speaking on the amendments.

श्री उपाध्यक्ष : I presume he is likely to come to the question itself. You speed up please.

श्री संपतराज जैन : मैं विषय पर आ रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : सीधे आ जांय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री संपतराज जैन : मैं इसी पर बोल रहा हूँ। अर्ज करने का मतलब यह है कि ऐसी हालत राजस्थान के अन्दर हो रही है और वह इस वजह से हो रही है कि जनता की शिक्षा के संबंध में कोई आवाज नहीं है। हालत यहां तक पहुँची है कि आप हमारे स्कूलों की हालत देखिये वहां यह हालत है जब कि सब अन्य देशों के अन्दर प्रति स्कूल छात्रों की संख्या ५० से ६५ है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please speak of the question it self.

श्री सम्पतराज : राजस्थान में केवल छात्रों की संख्या २४ है। इसके अलावा अन्य कई बातें हैं जिन पर विचार होना आवश्यक है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I have still the same objection, Sir.

श्री संपतराज जैन : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी राजस्थान सरकार ने शिक्षा के संबंध में सर्वे करवाया है और अगले ५ सालों में काफी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल राजस्थान में खुलेंगी। इस अवस्था में यदि जनता की आवाज नहीं हुई इस मामले में सलाह देने के लिये और जो कठिनाइयें आती हैं उनको बताने के लिये तो यह जो बोर्ड बनाया जा रहा है उससे जनता को कोई अधिक लाभ नहीं पहुँचने वाला है। फिर प्रजातन्त्र का जमाना है इसमें जनता को केवल सलाह देने के अधिकार प्रदान करने में बड़ी भारी गड़बड़ी पैदा होने वाली नहीं है जिसके कारण कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सके। यदि हम इसे स्वीकार करेंगे तो जो शिकायतें आ रही हैं स्कूलों के अध्यापकों की कठिनाइयों के संबंध में या अन्य सम्बन्ध में वे सब समस्याएं हल होंगी और इन कमेटियों द्वारा जनता की आवाज ऊपर तक पहुँचाई जा सकेगी। भले ही उन कमेटियों को आप सलाह देने तक ही सीमित रखिये, उनको अधिकार अधिक मत दीजिये लेकिन ऐसी कमेटियों का होना आवश्यक है जिनके द्वारा ऊपर तक कठिनाइयां पहुंचाई जा सकें। फिर यह तो आपके अधिकार में है कि जो सलाह या राय ये समितियां देती हैं उनको माने या न माने, यह अलग चीज है, लेकिन आपको ऐसी कमेटियें अवश्य कायम करनी चाहियें।

जहां तक ग्रान्ट-इन-एड का संशोधन है इसके संबंध में आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। हमारे यहां पर एक गुरुकुल है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। हमें ग्रान्ट–इन–एड के लिये प्रार्थना-पत्र दिये काफी अर्सा हो गया, आज ५–६ माह हो गये, कागजात दफ्तर में दबे पड़े हैं। ऐसी कमेटी बनने से संस्थाओं को सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए मैं दोनों संशोधन का समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : यह परेशानी का प्रश्न है लेकिन इससे संबंधित नहीं है।

श्री संपतराज जैन : (जारी) ग्रान्ट-इन-एड कमेटियां कायम हो जायेंगी तो किसको ग्रान्ट-इन-एड देनी चाहिये, किसको नहीं देनी चाहिये, ठीक तरह से बता सकेंगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It shall be in the hands of the Government to give even if there is a Committee.

श्री संपतराज जैन : (जारी) इसलिये मेरी अर्ज है कि ये संशोधन स्वीकार किये जावें क्योंकि उनसे जनता को काफी लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Only member-in-charge of the Bill.

(श्री रामकरणसिंह के बोलने के लिये खड़े होनेपर)

Are you to speak.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस संबंध में काफी कहा जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : आप यदि बोलना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में हो।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है कि कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सलाहकार समितियां होनी चाहिये, वास्तव में ज्यादा कमेटीज़ बनाना उचित नहीं है, लेकिन यह देखना पड़ता है कि कौन सी कमेटी से जनता को कितना फायदा हो सकता है। यहां पर कमेटीज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाने की चर्चा हो रही है। यह ऐसी समिति होगी जिसके पास वास्तव में हरेक डिस्ट्रिक्ट के आदमी उसके पास एप्रोच हो सकेंगे। गांवों और ढ़ानियों में रहने वाले आदमी भी इनके पास पहुँच सकेंगे और अपनी कठिनाइयाँ बना सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट सलाहकार समिति बने और उनमें से हरेक के पास जितना मसाला देने की मांग आवे वह बोर्ड के पास पहुँचे इस तरह की सहूलियत होगी। जैसे मान लीजिये कोई मकान बनाया जाता है तो उसमें केवल छत ही नहीं बनाई जाती है बल्कि ऊपर पहुँचने के लिये सीढ़ी भी बनाई जाती हैं, अगर सीढ़ी नहीं बनाई जाती हैं तो उस मकान में कमी रहती है। जिस प्रकार मकान में सीढ़ी की कमी अखरती है उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटियों की कमी अखरती है। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट समितियां अवश्य बनानी चाहिये। इसके अलावा एड देने में जितनी मदद हो सकती है उतनी दी जा सकती है। तहसीलों और गांवों में एड मांगने वाले भी इनके पास एप्रोच हो सकते हैं और उनकी सलाह के अनुसार वे अपनी रिपोर्ट बोर्ड के पास भेज कर एड दिला सकते हैं। इसलिये मैं आशा करूंगा कि जो चीज जनता के लिये अधिक फायदे की है उस पर मंत्रीजी अवश्य ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member-in-charge of the Bill.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ २० में दो संशोधन पेश हुए हैं और उन संशोधनों में यह चाहा गया है कि एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकन्डरी एजुकेशन कंसल्टेटिव कमेटी होनी चाहिये और दूसरा यह कि बोर्ड के मातहत ग्रान्ट-इन-एड कमेटी होनी चाहिये और तीसरे संशोधन की मंशा यह है कि कोई सब-कमेटी या कमेटी बने तो उसमें यह जरूरी नहीं रहना चाहिये कि उसमें केवल बोर्ड के सदस्य ही हों, कुछ बाहर के सदस्य भी हो सकते हैं। काफी देर से इस विषय में बहस चल रही है। लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्यों ने जितना इस बिल को पास कर दिया है उसको भी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ा हो, ऐसी बात नहीं लग रही है।

यह जो बोर्ड बना है उसका क्या काम

Page No.88

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

होगा, यह मैं साफ करना चाहता हूं । बोर्ड का सिर्फ यह काम है कि कोर्स को प्रेस्काइब करना । सेकन्डरी एजुकेशन को किस तरह के ढांचे में ढालना चाहते हैं, हमारे देश में किस तरह के सेकन्डरी एजुकेशन की जरूरत है उसको यह प्रेस्काइब करेगा; फलां फलां सब्जेक्ट की फलां फलां किताबें होंनी चाहिये, पहला काम यह करेगा और दूसरा काम यह करेगा कि जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको रिकोग्निशन यह बोर्ड देगा । उस संस्था के लिये भवन है या नहीं, पढ़ाने की सुविधा है या नहीं, अध्यापक स्टेन्डर्ड के हैं या नहीं, इन बातों को देखकर रिकोग्निशन करेगा । बोर्ड तीसरी बात यह करेगा कि केरिकुलम स्कूलों और पाठशालाओं को देगा । उसके बाद में एग्ज़ामिनेशन लेकर देखेगा कि देश को जिस नीति पर ले जाना चाहते हैं उसको शिक्षण संस्थाएं सरकारी या गैर सरकारी पूरा कर रही हैं या नहीं । जो इन इम्तिहानों में पास हो जाते हैं उनको योग्यता का सार्टिफिकेट दे देगा और जो इम्तिहानों में बैठना चाहेंगेउनसेफीसलेंगे । यह है बोर्ड का खास काम और उनको पूरा करने के लिए उसको छोटे मोटे अधिकार और दिये गये हैं ।

अब जो अमेन्डमेंट मूव किये गये हैं उनमें पहले यह है कि सेकन्डरी एजुकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसलटेटिव कमेटी बनाना । यह संभव है या नहीं इसको मैं पहले लेना चाहता हूं । उसके द्वारा यह चाहते हैं कि आजकल पब्लिक के साथ एसोसियेशन नहीं है इसलिये शिक्षा का प्रचार और प्रसार कार्य है उसको डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ पूरा करेंगी और बोर्ड की नीति है उससे जनता का संपर्क कायम होगा । जनता में सहयोग की भावना आयेगी, उत्साह आयेगा और बोर्ड डिस्ट्रिक्ट की प्रोबलम्स को समझ पायेगा, यह वे चाहते हैं । इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये कंसलटेटिव कमेटीज़ कायम करदें और सब डिस्ट्रिक्ट की मांग है कि इतने सेकन्डरी स्कूल्स होने चाहिये, ये बातें होनी चाहिये उनको बोर्ड के सामने रख दें । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब होने के बाद भी इस उत्साह का बोर्ड करेगा क्या ? क्या बोर्ड के हाथ में जनता की मांग पूरी करने और उत्साह को रखने का तरीका दिया गया है ? आपने बोर्ड को पॉवर दफा ६ के अंदर दी है । आप उसको दुबारा उठा कर देखिये । सब मांगे पेश हुईं, उत्साह वर्द्धक भाषण हुए, कमेटियां हुईं और बाद में यह आया कि हमारी यह मांग है, इतनी व्यवस्था होनी चाहिये, इतनी प्राथमिक स्कूलें होनी चाहिये, इतनी मल्टी पर्पज़ स्कूलें होनी चाहिये, इतनी टेक्नीकल एजुकेशन होनी चाहिये और इतनी एग्रीकल्चरल की होनी चाहिये । बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड कैसे पूरा करेगा ? मेरे कहने का मतलब यह है कि पब्लिक एसोशियेट करे, शिक्षा का प्रचार करे, प्रसार करे, यह राज्य सरकार का काम है, बोर्ड का काम नहीं है । बोर्ड का काम है कि जो हिन्दुस्तान की, भारत सरकार की एक्सपेक्टेड नीति है, इसको लिख कर स्कूलों में भिजवा देना । उसका काम है कि जो पढ़ा दिया, वह ठीक है या नहीं अगर ठीक है, तो पास कर दिया गया । उस बोर्ड का इतना काम है । केवल पब्लिक को एसोशियेट करने से उत्साह आ जायेगा, उत्साह कम नहीं रहना चाहिये, लेकिन उत्साह का नतीजा क्या है ? मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा ।

४. १ म० प०

दूसरे, यह कहा गया कि अलग अलग

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

जिलों की अलग अलग समस्यायें हैं। किसी जिले में खेतिहर लोग रहते हैं, किसी जिले में पशु—पालन करने वाले लोग रहते हैं, किसी जिले में छोटे—मोटे उद्योग करने वाले लोग रहते हैं, यह बोर्ड का फर्ज नहीं है कि सब समस्याओं की स्टडी करे। मैं नम्रतापूर्वक कह दूं कि यह बोर्ड का काम नहीं है। जो खेतीहर प्लेस हैं यह सरकार का फर्ज है कि वहाँ एग्रीक्लचर के स्कूल खोले। जहां पशु-पालन होता है, वहां वेटरनरी के स्कूल खोले। जहां पर मजदूरों की बस्ती हो या जहां पर छोटे-मोटे उद्योग चल रहे हों वहां पर टेक्नीकल शिक्षणालय खोलना सरकार का काम है न कि बोर्ड का काम है। शिक्षणालय जो सरकार द्वारा खोले जांय, वहां पर क्या कोर्स होना चाहिये, बिजली सम्बन्धी कोर्स बनाना है, यह उनका काम नहीं है। बिजली का कोर्स बनाना राष्ट्र व्यापी काम है, यह विशेषज्ञों का काम है। ये विशेषज्ञ डिस्ट्रिक्ट में न होकर बोर्ड में मौजूद होंगे। फिर हर समस्या पर अलग अलग जिले में अलग अलग कोर्स होगा, यह बात नहीं है कि एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग कोर्स होगा। पूरे राज्य के लिए एक कोर्स होगा। क्या आप यह मानते हैं कि जहां पर सूखा है, पानी नहीं होता, वहां पढ़ाई नहीं होती ! क्या पढ़ाई सिर्फ वहां होती है जो नहरी इलाका हो ? क्या जहां पर भेड़, बकरी, ऊंट पाले जाते हैं, वहां पर इस सम्बन्ध में ही केरीकुलम प्रेस्काइब होगा और शिक्षा नहीं दी जायगी? जिस किसी क्षेत्र में जिस शिक्षा की बात विचारी जाती है, वहां वैसा ही कोर्स प्रेस्काइब किया जाता है। हम यह मान कर चलते हैं, जो विषय के विशेषज्ञ हैं, वे उस विषय की पूरी नोलेज लेकर, पूरी छान-बीन करके कोर्स प्रेस्काइब करेंगे। आप इस बात को क्यों नहीं मानते, यह मेरी समझ में नहीं बैठा।

उसके बाद में यह बात कही गई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कन्सलटेटिव कमेटियां होने से जो वातावरण है, उसमें सुधार होगा, बच्चों का मानसिक स्तर ऊंचा बनना चाहिए, मां-बाप के साथ टीचर का क्या सम्बन्ध रहना चाहिये, यह सबको ज्ञात होगा। मैं कहदूं कि यदि बोर्ड कहे, या डिस्ट्रिक्ट कमेटी कह दे, मां-बाप का टीचर्स के साथ ऐसा सम्बन्ध हो, तो उसके कहने से क्या हो जाता है ? मेरी समझ में नहीं बैठा। मेरा निवेदन यह है कि बोर्ड की कन्सलटेटिव कमेटी होने से कोई डिस्ट्रिक्ट का वातावरण अच्छा हो जायगा, पर यह अधिकार आपने क्लॉज़ ९ में नहीं दिया है, तो यह कैसे हो सकेगा ?

उसके बाद उन्होंने सुझाव दिया था कि ग्रान्ट इन-एड कमेटी होनी चाहिए ? क्या आपने यह सुझाव क्लॉज़ ९ को देख कर दिया है ? क्या आपने उसमें ग्रान्ट-इन-एड देने का अख्तियार दिया है ? आपने यह अधिकार उसमें नहीं दिया है। सिर्फ कमेटी बना देने से ही उसको अधिकार हांसिल नहीं हो सकते। यह अधिकार क्लॉज ९ में नहीं दिया है। यह सुझाव तभी माना जा सकता है जब कि क्लॉज ९ को आप अमेंड करते।

दूसरा सवाल ग्रान्ट-इन-एड के बारे में उठाया कि ग्रान्ट-इन-एड अटकी पड़ी रह जाती है, इन्सपेक्टर, डिप्टी-इन्सपेक्टर ऑफिस में, डिप्टी-डाइरेक्टर या डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। मैं यह निवेदन कर दूं कि बोर्ड अपने यहां से तो पैसा देगा नहीं। जो स्कूलों को एड मिलेगी वह राज्य सरकार से मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रान्ट-इन-एड की कमेटी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं। यदि यह काम बोर्ड के जिम्मे हो जायगा, तो यह गारन्टी कैसे कर सकते हैं कि ग्रान्ट-इन-एड का काम जल्दी हो जायगा? सरकार को तो पैसा देना ही होगा। यदि सब बोर्ड को अख्तियार दिये जायं, इस हद तक कि राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सके, ऐसे अधिकार देना चाहते हैं क्या? मेरा निवेदन है कि यह गवर्नमेंट की पॉवर्स हैं और जो बोर्ड की पॉवर्स हैं, उसके दायरे में यह एमेंडमेंट नहीं आ सकता, इस बिना पर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार पैसा देती है, क्या बोर्ड के पास इतनी मशीनरी होगी कि हर स्कूल में देखे कि यह ठीक है, वह ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइरेक्टोरेट लेवल जितने अधिकार हैं, उनसे ही पूरा नहीं पड़ता है। आपके बोर्ड के पास क्या अधिकार हैं, वह काम कैसे कर सकेगा?

यह भी कहा गया कि जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, उसको फलाउट करते हैं, उनका स्तर नीचा है, उनके पास पूरा सामान नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको ग्रान्ट-इन-एड मिल जाती है। बोर्ड को अख्तियार सिर्फ प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को रिकॉग्नाइज़ करने का है, अगर प्राइवेट इन्स्टीट्युशन्स क्वालिफाइड टीचर्स नहीं रखता है या उसके पास विद्यार्थियों को बैठाने की सुविधा नहीं है, या लेबोरेटरी नहीं है और साइन्स क्लास चाहता है, तो बोर्ड को अख्तियार है कि रिकॉग्निशन बन्द करदे। उनकी सारी शर्तें पूरी हो जाने के बाद रिकॉग्नीशन मिलता है। बोर्ड का ग्रान्ट-इन-एड से कोई सम्बन्ध नहीं है यह अधिकार सरकार का है। दूसरी बात यह है कि जब तक रिकॉग्निशन नहीं हो जाता है, ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाती, है बोर्ड हायर सेकन्डरी इन्सटीट्युशन्स रिकॉग्नाइज़ नहीं हो जाती तब तक ग्रान्ट-इन-एड नहीं देते। मेरा निवेदन यह है कि ये सुझाव अच्छे होते तो मैं जरूर मानता।

तीसरा सुझाव है क्लॉज़ २० के सब-सेक्शन (३) में कि इसे इस तरह कर दिया जाय :

"Every Committee shall consist of such persons as are prescribed by the Regulations."

इसकी मन्शा यह है एमेंडमेंट के पीछे कि बोर्ड के मेम्बर हों, वे कमेटी के मेम्बर नहीं हो सकते। वे इस एमेंडमेंट को दुबारा पढ़ें तो ज्ञात होगा कि जो बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, वे कमेटी के मेम्बर नहीं हो सकते, यह अर्थ होता है अगर कानूनी इन्टरप्रेटेशन लें तो। यानि जो बोर्ड के मेम्बर हैं वे नहीं रह सकते। माननीय सदस्य चाहते हैं, वह इसके विपरीत होगा, क्योंकि बोर्ड कॉन्सटीट्यूट कर दिया तो कमेटी में, कानून में स्पेफिकली यह प्रोवाइड किये बगैर, तीसरे व्यक्ति को कमेटी में नहीं ला सकते। आपने इस मन्शा से रखा था any other person may come इसकी मन्शा यह होगी कि any other person आ नहीं सकता, क्योंकि जो कमेटी होती है, उसमें यह भावना या आइडिया रहता है कि वह कमेटी बोर्ड का एक अंग है। बोर्ड की उसके प्रति जिम्मेदारी है इसलिए बोर्ड के कुछ सदस्यों को मिला कर कमेटी बना सकते हैं। जो मेम्बर नहीं हैं उनकी कमेटी जब तक नहीं बना सकते जब तक कि कानून में यह न ले आवें। जो सुझाव माननीय सदस्य ने रखा है, उसमें वस्तु स्थिति ध्यान में नहीं रखी, इससे जो वे चाहते हैं, उससे विपरीत नतीजा निकलेगा। मान

श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लीजिये ऐसी कमेटी रख भी लें, तो उस कमेटी का क्या होगा ? जो बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं, उनको अधिकार नहीं है बोर्ड की बैठकों में बैठने का, तो जो वे डिसीजन लेंगे, उनको समझाने वाला बोर्ड में नहीं होगा और बोर्ड क्या चाहता है और बोर्ड ने क्या तय किया है, क्यों तय किया है, उसको समझाने वाला बोर्ड में नहीं होगा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि कानून की दृष्टि से यह ठीक नहीं, यह यूज़फुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि वे अपने अमेंडमेंट वापिस ले लें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो दो संशोधन रखे थे, उनका हाउस ने तो कम से कम घोर विरोध नहीं किया, मेजोरिटी ऑफ दी हाउस ने उन्हें फिर भी सपोर्ट किया दो-तीन माननीय सदस्य उसके विरोध में बोले। जो माननीय सदस्य, डीग से आये हैं, उन्होंने जो आर्गुमेंट दिये, उनका जवाब दूं, उनको रिप्लाई दूं, तो उनके आर्गुमेंट्स को, जिन आर्गुमेंट्स का कोई वेट नहीं है, अनड्यू वेट मेरे रिप्लाई से मिलेगा, इसलिए मैं माननीय सदस्य के आर्गुमेंट्स को. . .

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : शायद आप हाजिर नहीं थे. जिस समय डीग से आने वाले सदस्य बोल रहे थे।

श्री श्रीभानसिंह : मेरे पास सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मेरे माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे, पर आज उनके स्टेटिक थिंकिंग आज कल के डायनेमिक टाइम में अनफोर्चुनेटली फिट-इन नहीं होते। वे एक तरफ तो शिक्षा प्रणाली पर बोलते हैं, शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहते हैं, वे लार्ड मेकॉले और प्रेज़ेन्ट एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं और साथ ही साथ इसके लिये आर्ग्यूमेंट्स क्या देते हैं कि पहले ऐसा था कि ग्रेट ग्रेट ग्रान्ड फादर्स की किताबों को पढ़ते आते थे और आज हर साल किताबें चेंज करते हैं। तो यह आर्ग्यूमेंट दे कर माननीय सदस्य क्या यह चाहते हैं कि अब भी उन्हीं स्टेटिक बुक्स को रखा जाय ? और जनेरेशन्स को पढ़ाया जाय, जब कि समाज बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है, साइन्स इतना एडवान्स कर रहा है और ग्रेट ग्रान्ड फादर्स जो बुक्स पढ़ते आये हैं वे ही इन को भी पढ़ाते रहेंगे तो क्या देश उन्नति करेगा, या बच्चे उन्नति करेंगे ? इसलिये मैं कह रहा हूं कि उन्हों ने स्टेटिक थिंकिंग से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिये हैं जो आज के डाईनेमिक टाइम में, एटोमिक टाइम में फिटइन नहीं करते, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स का जवाब देना उन आर्ग्यूमेंट्स को अन्ड्यूवेटेज देना होगा।

एक माननीय सदस्य जो उदयपुर से आये हैं और जो शिक्षा के विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, पर जब वे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे ऐजुकेशन पर बोलते हैं तो एज़ ए स्पेशलिस्ट बोलते हैं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, पर आजकल के विशेषज्ञ हैं वे आज के टाइम से आउट मोडेड हैं, आउट डेटेड हैं, वे आज की सोसायटी में फिटइन नहीं हो सकते। स्पेशलिस्ट की एक अलग जगह है. एक अलग जगह में बैठना और रिसर्च करना। जो रिसर्च उन्होंने किये हैं वे उनके कल्चरल हेरिटेज हैं इसको वे अपना प्राउडली पज़ेशन, प्राउडली प्रिज़र्व समझते हैं। पर आज जनतन्त्र और डेमोक्रेसी में हमारा और देश का थिंकिग है वह यह है कि यह मासेज़ के पज़ेशन में होना

(श्री श्रीभानसिंह)

चाहिये। वे रिप्रेज़ेन्टेटिव होते हुए भी पब्लिक ओपिनियन से डरते हैं, शायद उन्होंने एक फेमस ओथर का 'रिवोल्ट ऑफ दी मासेज़' पढ़ा होगा, लेखक ने लिखा है कि आर्ट और म्यूज़िक पर्टीक्युलर क्लासेज़ में नहीं हुई, पर्टीक्यूलर इन्डीविज्युअल्स ने स्पेशल सर्कमस्टान्सेज़ में किये हैं। एक्सपर्ट्स के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं तो मैं चाहता हूं कि एक्सपर्ट्स की सबसे बड़ी खामी यह है, जनरल पब्लिक की ओपिनियन को असोशियेट करलें तो उनके पोस्टुलेट्स फाइन्डिंग्स करेक्ट हैं या इन्करेक्ट रहते हैं। साइन्स ओफ इकोनिमिक्स आदम स्मिथ ने लिखी है, मार्शल ने इकोनिमिक्स लिख दी, वे भी एक्सपर्ट्स थे पर उसे ह्यूमन बिहेवियर फोर ऑल टाइम्स पर लागू होगी ऐसे नहीं माना जा सकता। डेमोक्रेसी के अन्दर समाजवादी ढांचे में सबसे बड़े आज फंडामेंटल डिफरेंसेज़ हैं। जिस तरह स्टेट की पोलिटिकल पार्टीज़ रन करती हैं, एक्सपर्ट्स पोस्ट्यूलेट्स, ने प्रोपर्टी इकोनोमिक इन्स्टीट्यूशन्स सोशियल इन्सटीट्यूशन्स के लिये फाइन्डिंग्स की हैं आज उन पोस्ट्यूलेट्स को जनतन्त्र में चेलेंज किया जा रहा है। जिसको ऐक्सपर्ट्स ने सपोर्ट किया उसी प्रोपर्टी इकोनोमिक्स का हम वितरण कर रहे हैं। जब इकोनोमिक इन्स्टीट्यूशन्स, को एक आदमी की प्रोपर्टी नहीं मानते तो मास अपलिफ्ट, नेशन डेवेलपमेंट और चाइल्ड अपलिफ्ट को जो प्रोपर्टी करती है उसको किसी पर्टीक्यूलर इन्डिविज्युअल, पर्टिक्यूलर क्लासेज़ की प्रोपर्टी कैसे माना जा सकता है जो गर कोई क्लॉज़ इसको डिफेन्ड करेगी तो मासेज़ इसको लेंगी और ले कर रहेंगी।

माननीय मन्त्री महोदय ने बोर्ड के फंक्शन्स बताये और जोर दिया कि बोर्ड के फंक्शन्स, यह देखना है कि सेकन्डरी एजुकेशन की पोलिसी कहां तक कामयाब रहती है और इस कामयाबी का मेजरिंग रोड है वह है एग्ज़ामिनेशन्स, बहुमत पास हो गया तो यह सेकन्डरी एजुकेशन की पोलिसी सक्सेसफुल है, फैल ज्यादा हुए तो यह पोलिसी फेल्योर रही। यही तो डेन्जर है, यही मेजरिंग रोड रखा तो मैं अभी से कहे देता हूँ कि आपकी सेकन्डरी एजुकेशन की पोलिसी फेल रहेगी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of information, Sir, by examination I did not mean only the traditional examination. That may be any examination which the educationists may prescribe.

श्री श्रीभानसिंह : तो आपने ट्रेडिशनल वर्ड को क्वालिफाई, स्पेसिफाई नहीं किया। मैं इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को आउटमोडेड समझता हूं। यह सिस्टम स्टुडेन्ट्स को मेमोराइज़ करने में मदद देता है। एजुकेशन देने का मक्सद खुद मन्त्री महोदय नहीं समझ रहे हैं, he himself is unable to grasp. सेकन्डरी एजुकेशन का क्या मक्सद है, वह है ऑल राउन्ड डेवेलपमेंट ऑफ दी परसनेलिटी और इसी ध्येय से शिक्षा दी जायगी, एग्ज़ामिनेशन्स के ध्येय से नहीं। He is to be trained into the many-sided art of living in a community.

यह क्लीयरली इतना एम्फेसिस इस रिपोर्ट ने दिया है कि बार बार दोहराना चाहता हूं, ऑल राउन्ड डेवेलपमेंट ऑफ पार्सनलिटी और हम यह मानते हैं कि पुरानी परीक्षा प्रणाली इन्टेलेक्चुअल एटेनमेंट को और ऑल राउन्ड डेवेलपमेंट ओफ पर्सनलिटी को

(श्री श्रीमानसिंह)

टेस्ट नहीं करती, केवल इन्टेलेक्च्युल को टेस्ट करती हैं। यहां जो फेवर एग्ज़ामिनेशन का टेस्ट रखते हैं तो सेकन्डरी एजुकेशन को फैल करने की सील तो मन्त्री महोदय अपने जबाब से ही कर रहे हैं।

जो यह कहा गया है कि बोर्ड के पॉवर से ये कन्फिलक्ट करती है कन्सल्टेटिव कमेटीज़ के बारे में गलती है, मैंने क्लीयरली बता दिया कि कन्सल्टेटिव कमेटीज़ में आपके ओफिशियल्स हैं, एजुकेशन इन्स्पेक्टर्स हैं, पेरेन्टस रहेंगे और सोसायटीज़ के रिप्रेज़ेन्टेटिवस रहेंगे। फंकशन्स क्या रहेंगे, मेम्बर्स सजेस्ट करेंगे। किस जगह बोर्ड के पॉवर से कमेटी जो यह कहा गया कि यह कमेटीज़ कायम हुई तो बोर्ड के पॉवर से कन्फिलक्ट करेंगी, एडवाइज़री जिसकी वेल्यू है वह बोर्ड के पॉवर से कहा कन्फिलक्ट करेंगी? आपके डिपार्टमेंट है प्लानिंग डेवेलपमेंट, एडवाइज़री कमेटीज़ हैं, क्या उनकी एडवाइज़ डेवेलपमेंट बोर्ड के पॉवर से कन्फिलक्ट कर रही है? उनका भी तो एम होगा कि यह चीज हमें एचीव करना है। आपके एचीव करने का पर्पज़ है, डिस्ट्रिक्ट की मेटिरियल प्रोग्रेस किस तरह एचीव हो सकती है, किस तरह प्लानिंग को एचीव कर सकते हैं, वह कल्चरल में नहीं हो सकता। जो ऑल राउन्ड नेशन का करना है तो वेलफेअर स्टेट के अन्दर मेटिरियल और कल्चरल प्रोग्रेस को, दोनों को साथ के साथ ले जाना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ कायम करते हैं तो क्या दिक्कत है? जो पॉवर डेलीगेट करना चाहें वह बोर्ड करे यह तो एडवाइज़ करेंगी, मगर फिर भी इनसे डरते हैं, पब्लिक ओपिनियन से एसोशियेट नहीं कराना चाहते। कौनसा ऐसा माप-दंड है जिसे आप देखेंगे कि हमारे सेकन्डरी एजुकेशन के जो एम्स, पर्पज़ हम एचीव करना चाहते हैं, क्या वह एक्ट से करेंगे? मैं यह कहूंगा कि आपके पास सिवाय एग्ज़ामिनेशन के कोई दूसरा माप दण्ड नहीं है। आपके पास सबसे बड़ा एचिवमेंट है वह है पब्लिक ओपीनियन को जानना। आप लोगों को शिक्षा किस एम से दे रहे है, आपका शिक्षा का एम है जनता को जागृत करने के लिये, जनता की जो इग्नोरेन्स है उसको दूर करने के लिये, शिक्षा दी जाती है उसमें जो अन्ध विश्वास हैं उनको दूर करने के लिये आप शिक्षा देते है। इसलिये हमें पब्लिक ओपिनियन से डरना नहीं चाहिये। हम शिक्षा जिस भावना से दे रहे हैं उसमें हम यह कहें कि हम एक्सपर्ट पब्लिक ओपिनियन लेंगे इसलिये पब्लिक का इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप डेमोक्रेसी में यह नहीं कह सकते कि एक्सपर्ट की ओपीनियन ले ली गई है इसलिये जनता अपनी ओपीनियन नहीं दे सकती। सबसे बड़ा फायदा कमेटी से यह होगा कि उसको सबकी राय मिल सकेगी। आप जानते हैं कि आज एक्सपर्ट की ओपीनियन अलग है और मासेज़ को राय अलग है और इन दोनों के बीच में ब्रीज़ क्रीएट करना कि दोनों किस जगह आकर मिले। हम एक्सपर्ट की ओपीनियन क्या है उसको समझें और मासेज़ की डिमान्ड्स क्या हैं उसको भी समझें और उनकी पूर्ती करें इसके मुताबिक ही लेजिस्लेशन करें और लेजिस्लेशन फ्रेम करें। पब्लिक से इन्क्रीजिंगली एसोशिएट करें और आप पब्लिक ओपीनियन से डरते है, न डरें। आप डेमोक्रेसी इन टर्म ओफ कन्ज़्यूमर्स सोचें। कन्ज़्यूमर्स अपने-अपने राइट्स डिमान्ड करेंगे। आज इग्नोरेन्स और इल्लिट्रेसी लोगों में बहुत फैली हुई है इसलिये वे लोग अपने राइट्स डिमान्ड नहीं करते। मगर जब वे लिटरेट हो जाएंगे तो अपने राइट्स डिमान्ड करेंगे। आप जानते है कि मिलों में

(श्री श्रीभानसिंह)

लेबर वर्क करती है। जब इन्डस्ट्रीएलिस्टों ने लेबर को तंग किया, एक्सप्लोइट किया तो लेबर ओरेग्नाइज़ हुआ और उन्होंने लेबर ट्रेड यूनियन्स ओरेग्नाइज़ किये और अपने डिमान्ड को उनके सामने रखा। इसी तरह से कन्ज़्यूमर्स की इग्नोरेन्स समाप्त होने पर वे अपने आप ओरेग्नाइज़ होंगे। इसी तरह एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं माननीय मंत्री महोदय उन्होंने माना है कि नेबरहुड और पेरेन्ट्स का एसोसिएशन होना चाहिये मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि उनको एसोशिएट कैसे करना चाहिए? वे एक दम इस बात को ओपट कर गये कि स्टुडेन्ट खुद इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बच्चा खुद अपने आपको इम्प्रूव करे। स्टुडेन्ट्स की यूनियन्स हैं वे अपनी ग्रीवेन्सेज़ उनके मार्फत रख सकते हैं। वे वेन्टीलेट इश्यूज़ पर डिबेट कर सकते है। मगर मैं यह कहूंगा कि नेबरहुड और उनके फेमिली सर्कम्स्टेन्सेज को इम्प्रूव करना या उनको स्कूल हारमोनी में लाना कोई कोर्ट कर नहीं सकती है, न कोई गवर्नमेंट कर सकती है और न कोई इसके लिये इस बिल में प्रोविजन कर सकती है। यह तो नेबरहूड, फेमीली एसोसियेशन और स्कूल के टीचर्स हैं, जो कि प्रिन्सिपल टार्गेट हैं इस एटमोसफीयर को डेकर न करें। अगर ऐसा करेंगे तो जो लोयल्टी और नेरो लोयल्टी जो होम में सिखाई जावेगी वह हाई स्कूलों में रखेंगे और इसका नतीजा क्या होगा कि पेरेन्ट्स अपने बच्चों की जिम्मेवारी स्कूल में जाने के बाद नहीं समझेंगे। इसलिये जब तक होम सोसाइटी, नेबरहुड की एजुकेशन है उसको स्पलीमेंट करते हैं। फाउन्डेशन बच्चों को होम में मिलती है वह स्कूलों में नहीं मिल सकती। इसलिए सबका एसोशिएट होना बहुत जरूरी है और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सेकिन्ड वर्ल्ड वार के बाद रूस ने अपनी बिल्डिंग आदि जो नष्ट हो गई थीं फिर से जल्दी तैयार कर लीं और वह इन्हीं कमेटियों के द्वारा कार्य हुआ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : On a point of order, Sir, he should only meet the arguments which I have given in my reply. He cannot advance any new arguments or new theories.

श्री श्रीभानसिंह : They are not new.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : They are.

श्री श्रीभानसिंह : They have been said also.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : If they have been referred to earlier, you should not refer to them again.

श्री श्रीभानसिंह : I referred to Russia earlier but if you do not reply to it it is not my fault.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Hon'ble Member should not argue that again.

श्री श्रीभानसिंह : That is no argument.

श्री उपाध्यक्ष : You will please, take consideration to some extent what the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill has said.

श्री श्रीभानसिंह : और माननीय सदस्य भी कहना चाहेंगे। The Minisetr in-charge is not the sole speaker in the House. तो जैसा मैं बता रहा था,

श्री जनार्दनराय नागर : On a point

(श्री जनार्दनराय नागर)

of order, Mr. Deputy Speaker, Sir, if he is replying to the members who have taken part in the discussions, I think he is only entitled to reply to the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill. If he wants to reply to our debate also, we must have a right of reply also.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I think he has got............

श्री उपाध्यक्ष : On this point you will not anticipate what the chair is going to give a decision.

श्री जनार्दनराय नागर : I submit, Sir, that he is replying to the arguments of other members also and not of the Hon'ble Minister only. If he has got that right to criticise the speeches of the Hon'ble Members, we have got a consequent right to criticise him too.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member will please look to the position. He be allowed to conclude the debate. The point may be raised after he has concluded the debate.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I may say that there is some confusion in the House as regards the scope of the debate. The Hon'ble Member has moved a motion of amendment and upon that amendment all the discussions have been raised. He has a right of reply to all the arguments which have been advanced by the various members who have spoken in favour or against and we should hear the speech of the member and see his arguments. At least I would like to hear him even if he is just going a little beyond the point also.

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Deputy Speaker, it might have been his opinion but it is not necessary that we must be of his opinion.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : No, I am talking as to what the legal position is ? He has moved a motion.

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, the Hon'ble Member cannot give legal opinion here as an Hon'ble Member of this House.

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! The Hon'ble Member's expressions are just in the light of our rules of business. There are precedents existing of various legislatures that there exists no right of speech just after the Hon'ble Member's reply to the debate on the amendment is concluded.

('Hear, hear'on the left side of the House)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अभी रूस के बारे में बता रहा था कि वहां पर पब्लिक ओपीनियन को एसोशिएट करने में कितना फायदा हुआ। सेकन्ड वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी ने ओन स्लाट इन्सटीट्यूशन्स को और स्कूलों को डेस्ट्रोय किया, स्कूल बिल्डिंगों को डेस्ट्रोय किया। मगर रूस में हर स्टेज पर, चाहे वह फेक्ट्री हो, चाहे दूसरी संस्था हो, उनसे

Page No.96

(श्री श्रीभानसिंह)

कोऑपरेशन लिया जाता है और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा यह हुआ कि जितनी स्कूलें, बिल्डिंग्ज़ और फेक्ट्रीज़ आदि वर्ल्ड वार में बरबाद हुए थे उनको उन लोगों के पेरेन्टों ने खुद ने जाकर मदद देकर कन्सट्रक्ट किया। मगर वहां पर आज आपको एक भी इस प्रकार का इन्सटीट्यूशन नहीं मिलेगा जिसको बच्चों के पेरेन्ट्स ने कन्सट्रक्ट किया हो। आप एक भी इस प्रकार का इन्सटेन्स नहीं दे सकते। इसका खास मतलब यह है कि आप पब्लिक की राय नहीं लेते। आप देखेंगे कि आपके यहां किस तरह से आधे मकान बनाए हुए पड़े रहते हैं और स्कूलें नहीं खुल पातीं इससे आपको बहुत हार्डशिप मालूम होती है। अगर आप ऐसा वातावरण तैयार करें कि स्कूलें आप लोगों की ही हैं, आपके लड़के यहां पर पढ़ते हैं और यह आपके एडवान्टेज में है, यदि इस प्रकार का एटमोस्फियर हो तो वे लोग भी उसी तरह से इन्स्टीट्यूशन को कन्सट्रक्ट करेंगे। आज आप कहते हैं कि स्कूलों में इनडिसिप्लिन बहुत होता है। वाइस चान्सलर या माननीय मन्त्री महोदय जो स्कूलों में जाते हैं अमूमन इसको एक्पीरियेन्स करते हैं, मगर उनके पास इसका कोई क्योर नहीं है और न हो सकता है क्योंकि यह पब्लिक की रेस्पोन्सीबिलीटी नहीं है, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, डिफरेन्ट स्कूलों में डिफरेन्ट पर्सन्स की जिम्मेदारी है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें वहां के हेडमास्टरों की जिम्मेदारी है। जब से बच्चे घरों से चल निकलते हैं तब से स्कूल वालों की जिम्मेदारी हो जाती है। इसका खास कारण यह है कि हम हर बात में गवर्नमेंट की तरफ आज तक देखते आये हैं और हम गवर्नमेंट के स्लेव रहे हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ देखते आये हैं। मगर जब गवर्नमेंट इसमें इनिशियेटिव लेगी और पब्लिक का एसोशिएट होगा तभी यह होगा। पब्लिक एसोशिएट करना चाहे और गवर्नमेंट एसोशिएट करना नहीं चाहे और जो कोई भी पब्लिक का सजेशन दिया जाता है उस समय कह दिया जाता है कि यह सजेशन इम्प्रेक्टीकेबल है। आप दूसरे किसी भी मुल्कों में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पब्लिक का कितना एसोसिएशन है। आप रूस और अमेरीका को ले लीजिये, जब वहां पर यह प्रेक्टीकेबल होता है तो फिर यह क्या बात है कि आप यह कहें कि यह इम्प्रेक्टीकेबल है और सबसे बड़ा एसोसियेशन आर्ग्युमेन्ट यह आता है कि जब आप एक सेन्ट्रलाइज्ड इन्स्टीट्यूट बनाते हैं जो पॉवर्स-सेन्ट्रलाइज़ होती हैं, एजुकेशनल सिस्टम के अन्दर जब कि सेन्ट्रलाइज़्ड पॉवर्स आपको हैं तो सेन्ट्रलाइज़्ड पॉवर्स में जितने भी आर्ग्युमेन्ट्स हैं वे सब के सब आर्ग्युमेन्ट्स अपने साथ ले जाते हैं। वह डी-सेन्ट्रलाइज़ेशन से पब्लिक ओपीनियन को लें। अभी दो रोज पहले केन्द्र के माननीय होम मिनिस्टर ने युनीवर्सिटी को एम्फेसाइज किया कि वह पब्लिक ओपीनियन को एसोशियेट नहीं करते और यही चीज जब हम यहां विधान सभा में कहते हैं कि पब्लिक ओपीनियन को एसोशियेट करना चाहिए तो यहां के माननीय मन्त्री महोदय उसको टर्न डाउन कर देते हैं, माननीय मन्त्री महोदय जो पब्लिक में भाषण देंगे वह कहेंगे कि हमें पब्लिक का सहयोग नहीं मिलता। तो आप ही बतायें कि आपने पब्लिक के लिए ऐसे कौन से साधन रखे हैं जिससे कि पब्लिक आपको अपना कोऑपरेशन दे? जहां यह सवाल पूछा जाता है वहां सवाल निगेटिव में रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें पब्लिक ओपीनियन को एसो-

(श्री श्रीमानसिंह)

शियेट करना चाहिए। टैक्स पेयर को अगर एक्सक्लुजिवली टैक्स करते हैं तो आपको उसे बताना होगा कि जो पैसा उससे लिया जा रहा है उसको इस तरह के बैनीफिट के लिए खर्च कर रहे हैं। यही आर्ग्युमेन्ट्स हैं कन्सल्टेटिव कमेटी को कायम करने के पक्ष में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २० के सब-क्लॉज़ (३) के सम्बन्ध में मैंने जो संशोधन सदन में प्रस्तुत किया है मैं समझता हूँ कि या तो माननीय मन्त्री महोदय ने उसको समझा नहीं और यदि समझा है तो उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने जैसा अपने उत्तर में कहा कि मेरे संशोधन से क्लॉज़ का मतलब ही उलटा हो जायेगा, मैं समझता हूँ कि मेरा जो संशोधन है उसको उन्होंने उल्टा समझा है। मेरे संशोधन का आशय केवल इतना था कि जो बोर्ड के द्वारा विभिन्न कमेटीज़ बनाई जायेंगी उन कमेटीज़ में बोर्ड के ही सदस्य कम्पल्सरिली हम इस क्लॉज़ के तहत नहीं रखें तो उसके अन्दर डिस्क्रिशन रहेगा। बाकी अन्य लोगों के साथ जो और लोग हो सकते हैं उनकी कमेटी फॉर्म की जाय। उन्होंने जो यह आर्ग्युमेन्ट दिया कि यदि बोर्ड का कोई सदस्य नहीं होगा तो फिर ऐसी कमेटीज़ के मेम्बरों को बोर्ड की पॉलिसी कौन समझायेगा और जो कमेटीज़ डिसीज़न लेंगी उनको बोर्ड तक कौन पहुँचायेगा ? मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने यह नहीं समझा ठीक तरह से कि कमेटीज़ के डिसीज़न और कमेटीज़ की रिपोर्ट एक तरीके से बोर्ड के सामने आती है। यह हमेशा का कायदा है कि जितनी भी कमेटीज़ किसी भी रूल्स के या स्टेच्यूट के तहत बनाई जाती हैं और उन कमेटीज़ का जो उद्देश्य होता है और उनके जो डिसीज़न्स होते हैं, जो निर्णय होते हैं वे सारे निर्णय हायर ऑथारिटीज़ को कम्युनिकेट किये जाते हैं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि उनको यह आशंका कैसे हुई कि इन कमेटीज़ में बोर्ड का अगर सदस्य नहीं रहा और इनमें बाहर के ही लोग ले लें तो बोर्ड तक उसकी सारी भावनायें नहीं पहुँच पायेंगी ? मेरे संशोधन का आशय बहुत ही स्पष्ट था और बहुत ही सीधा था कि हम इस प्रकार की जो कमेटीज़ कोर्सेज़ के लिए या एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म करते हैं, हम समझते हैं कि जो बोर्ड के सदस्य होंगे वह २५ होंगे और उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं या टैक्नोलाजी के डाइरेक्टर हैं या कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के हैड होंगे और इसी प्रकार के सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि इन पच्चीस लोगों में से एक दो को छोड़ कर ऐसे हो सकते हैं जिनको जहां तक एग्ज़ामिनेशन का ताल्लुक है वह क्या तय करेंगे, जब कि वह कुछ जानते ही नहीं हैं। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एजुकेशन फील्ड में बाकी बचे हुए लोग हैं उनको इन कमेटीज़ में होना चाहिए। जिस प्रकार से युनीवर्सिटी में जो कोर्सेज़ की कमेटी होती है, एग्ज़ामिनेशन कमेटी होती है और वहां पर उनका जिस प्रकार का कन्सटीट्यूशन होता है और उसमें जैसे बाहर के लोग अधिकांश रखे जाते हैं इसी प्रकार इस कमेटी में भी बाहर के लोग रखे जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरा जो संशोधन है उसको मन्जूर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे संशोधन को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सही रूप से नहीं समझा है और इस कारण उनके उत्तर देने में गलती हुई है। अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अगर उन्होंने मेरा संशोधन सही रूप में समझ लिया है तो इसे स्वीकार कर लें तो ठीक रहेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: So I put the amendments to vote now. The question is that the amendment put in by Shri Sribhan Shinghji be accepted ?

श्री श्रीभानसिंह : It seems the Chair does not want to give me time to withdraw. So I keep quiet.

श्री उपाध्यक्ष : The chair has no conception about your request.

श्री श्रीभानसिंह : I think I have carried the sympathies of the Chair.

श्री उपाध्यक्ष : I am not here to convass. If you are prepared to withdraw, the question is different.

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Leave granted

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : The question is hat the amendment put in by Shri Satish Chandra be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment falls.

(विराम)

The question is that clause 20 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Cluase 20 is added to the Biil.

(विराम)

Clauses 21 to 25.

(विराम)

The question is that clauses 21, 22, 23, 24, 25 be accepted.

(स्वीकृत)

Clauses 21 to 25 are added to the Bill.

४.३७ म० प०

श्री के० के० सेन द्वारा सदन में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने सम्बन्धी वाद विवाद

श्री उपाध्यक्ष : I now declare the decision reserved yesterday.

श्री श्रीभानसिंह : May I humbly submit that your honour is probably deciding or giving judgment on the points so raised yesterday. I have submitted a specific privilege motion.

श्री उपाध्यक्ष : I have no choice.

श्री श्रीभानसिंह : According to the rules a privilege motion should

(श्री श्रीभानसिंह)

be given top priority and, therefore, I submit that your decision may be defered till tomorrow morning.

श्री उपाध्यक्ष : The proceedings of yesterday are......my observations in the proceedings were.... well I reserve my ruling on the point whether it is to be referred to the Privileges Committee or it comes within the cognizance of the Chair itself. Hence the ruling is to be declared today.

श्री श्रीभानसिंह : The privilege motion which I tabled yesterday is not on the Agenda. So judgment on what ?

श्री उपाध्यक्ष : It was tabled yesterday and the proceedings contain an idea about it.

श्री श्रीभानसिंह : I tabled the motion very late. So how can the proceedings have my motion ? If it was in yesterday's proceedings it should have been given priority on today's agenda.

श्री उपाध्यक्ष : You have tabled the motion.

श्री श्रीभानसिंह : It should have been brought on the Agenda otherwise how can it be discussed ?

श्री उपाध्यक्ष : I will do justice to the points raised by you. Actually it will not affect prejudicially the motion referred to by you. So the decision is like this.

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of order. In our Rules it is nowhere mentioned that on a privilege motion the hon'ble Dy. Speaker will give his judgment. A privilege motion is a very important question and the hon'ble Speaker should give jungment.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस विषय में कुछ निवेदन है। आपने अभी बतलाया कि आपका निर्णय इस बात पर प्रज्युडिशिल इफेक्ट नहीं करेगा। जिस विषय में एक प्रिविलेज मोशन ऑलरेडी टेबल हो चुका है और उसकी एड्मिसिबिलिटी के बारे में माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि मैं इस बारे में सोच कर निर्णय दूंगा, संभवत: वे कल इस पर अपना निर्णय दें और संभवत: कल ही हाउस के सामने आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : Which is the Rule that you have referred ?

श्री श्रीभानसिंह : I have referred to the convention. No where the Deputy Speaker has given a ruling on the privilege motion, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I am giving the ruling so far as the point referred to yesterday is concerned.

श्री श्रीभानसिंह : I had tabled a specific motion.

श्री उपाध्यक्ष : I am not referring to the motion.

श्री श्रीभानसिंह : Your judgment will adversely affect my privilege motion.

Page No.100

श्री उपाध्यक्ष : You will kindly hear the judgment.

श्री श्रीभानसिंह : My privilege motion has not been taken up.

Your honour ir giving judgment on my motion ?

श्री उपाध्यक्ष : On the point raised by you yesterday.

श्री श्रीभानसिंह : Yesterday I said that I may be permitted to table a motion. I was permitted. So the motion should have been on the Agenda.

श्री तनसिंह : जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था, उसका सब्जेक्ट मेटर प्रिविलेज मोशन में है । If you allow the point of order, then this motion of privilege is lost, इसकी कोई वेल्यु नहीं रहती है बाद में ।

श्री उपाध्यक्ष : वेल्यु तो रहेगी ।

श्री श्रीभानसिंह : If your honour would have given judgment then and there, the question of any decision on this motion would not have arisen, but since that very motion has been taken up in the from of a Privilege Motion, it must have been on the Agenda for today.

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग के दो पक्ष हो सकते हैं, उसमें से एक पक्ष यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने इस सदन में प्रवेश किया, जो इस सदन में घुस आये थे उन्होंने गलती की और हाउस के प्रीविलेज को तोड़ा है । दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की । दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जो इस मोशन पर प्रेज्युडिशियली इफैक्ट करेंगे । अगर उनकी गलती मान ली जाती है तो इसका निर्णय प्रिविलेज कमेटी तय करेगी । अगर उस पर आप कोई निर्णय देते हैं तो उस कमेटी के फन्कशन्स को आप ले रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि अगर आप यह निर्णय कर देते हैं कि उन्होंने कोई प्रिविलेज तोड़ा नहीं है तो भी यह आपका निर्णय प्रेज्युडिशियली, अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये जाने वाले निर्णय पर इफेक्ट करेगा और इस मोशन पर इफेक्ट करेगा ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जन संघ) **:** उपाध्यक्ष महोदय, कल यह तय हो गया था कि जो महाशय सदन में घुस आये थे उन्होंने सदन की मर्यादा को भंग किया है, इसलिये कल ही प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया गया था । जब एक माननीय सदस्य द्वारा प्रिविलेज मोशन मूव हो चुका है और उस पर अध्यक्ष महोदय ने आज ही इसके लिए कहा था कि वे इस पर अपना डिसीज़न बाद में देंगी, अत: मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय के निर्णय के होने के पहले कोई भी निर्णय हो नहीं सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : So let me have the sense of the House, that will solve the problem. The question is that the ruling so reserved be deferred for consideration till that motion is not disposed of.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : I may say, Sir, there was no question of a ruling. Ruling is on a point of order. Here is a question of privilege. A stranger entered the House

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

and it is Hon'ble Chair which decides that the motion tabled by theHon'ble Members is to be admitted prima facie, then there is no course but to refer it to the privileges committee. Ordinarily when a breach of privilege is committed, it is a very vital point. It is not a point for a ruling but a question of the privileges of the House, it affects the whole House; all the members. It is not a question for a ruling. The Hon'ble Speaker has to give decision whether to admit it or not. If he does not give his consent it does not come on the order-sheet. So there is no occasion for taking the sense of the House. The House will be guided by the Chair either to reject the motion or admit it.

श्री पी. के. चौधरी : I completely agree with the the Hon'ble member who just spoke before me. The Hon'ble Dy. Speaker cannot give a judgment on the incident. That incident is prima facie proved whether a stranger entered this House or not; thenprobablytheChair would have given a decision as to whether the stranger had entered or not. If it is an admitted fact. If it is an a admitted fact, if it is prima facie established that a stranger has entered the Hall against the procedures and Rules etc, then definitely it becomes a questtion of privilege, a question of the breach of the privileges of the House. In that case as the hon'ble member who just spoke before me had suggested, neither this House nor the Chair under the Rules are competent to give judgment whether the incident which occurred yesterday involved any breach of privilege or not. It is only the privileges Committee which is empowered under the rules to give a decision as to what action should be taken in the circumstances so that the privileges of this sacred House are not tampered with. After all, it is democracy and the Members sitting in this House are the depositary of the sovereign powers of India.

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Mr. P. K. Chowdhry, I think, I have not allowed any debate on the issue. The question is left to me as to whether it has to be left or not.

श्री पी. के. चौधरी : Hon'ble Chair had said that it wanted to have the sense of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I have not invited the opinion of the House.

श्री पी. के. चोधरी : You did Sir. You wanted the sense of the House.

श्री उपाध्यक्ष : May I draw attention to yesterday's proceeedings ? The point raised by Shri Sribhan Singh was debated by him.

श्री श्रीभानसिंह : I was not debated.

श्री उपाध्यक्ष : I am referring to the proceedings.

(श्री उपाध्यक्ष)

Then the hon'ble member from the Treasury Benches gave his explantion and after concluding this the decision was reserved.

श्री श्रीभानसिंह : I specifically remember, Sir, that I asked......

श्री उपाध्यक्ष : Then Hon'ble Shri Narottam Lal Joshi gave his speech which also appears in the proceedings. The last question left to me was whether it is a point of order or a breach of the privilege and as such whether it has to be referred to the Privileges Committee or not. And that is covered by Rule 55 which reads, "Subject to the provisions of these rules, a member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member, or of the House or of a Committee thereof."

श्री श्रीभानसिंह : May I invite your attention to Rule 56, Sir :

"A member wishing to raise a question of privilege shall give notice in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day the question is proposed to be raised"

I have specifially given today's date as the date to raise the motion of privilege.

श्री सोहनलाल : निवेदन यह है कि श्री श्रीभानसिंहजी ने जिस तरह से कल रक्खा उससे तो यह बात हुई कि पहले पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था और जब पोइन्ट ऑफ ऑर्डर था तो मोशन ऑफ प्रिविलेज कैसे हुआ ? There could not have been any point of order on a point of privilege. जैसा कि रूल २४६ में साफ है : Rule 246 (5) "A point of order is not a point of privilege."

तो ऐसी सूरत में इसे प्रिविलेज़ कहते हैं तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकता प्रिविलेज़ मोशन ।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है । सारा प्रश्न साफ है ।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर तो इसलिये था कि सदन में कोई अजनबी घुस जावे और उसे निकालना हो तो जिस वक्त वह सदन में घुसा तो उसको निकालने का एक्शन लेने के लिये पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना उचित था । जब वह निकल गया तो फिर प्रिविलेज़ मोशन का सवाल आया कि उसने सदन में प्रवेश करके जो सदन की मर्यादा को भंग किया और इस प्रकार जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ उसके लिये यह प्रिविलेज़ मोशन जरूरी हो गया । पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के रेज़ करने के बाद जब वह सदन से निकल गया तो वह कोग्नीज़ेन्स तो ले लिया । वहां पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सैटिस्फाई हो गया । इसके लिये दो रायें नहीं हो सकतीं कि उसका सदन में घुसना एतराज की चीज थी । पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का मतलब यह है कि आपत्ति का विषय बताया जाय । वह बता दिया गया और इस तरह से उस समय पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करना वाजिब था ।

Page No.103

(श्री तनसिंह)

अब प्रिविलेज् का सवाल आता है। प्रिविलेज में निर्णय का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वह तो बाहर निकल गया। अब आने से जो प्रिविलेज् का ब्रीच हुआ तो उसका सवाल सामने आता है। इसलिये आपका निर्णय जो है वह इस पर लागू नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल २११ मैं पढ़ता हूं : "The following motions may be made, if the Speaker pemits, without notice:---

(iii) Motion for the withdrawal of strangers." So, that motion was made yesterday for the withdrawal of the stranger. As far as the questions of privileges are concerned, Chapter X is the relevant chapter. I read Rule 63 (1), which is: "The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so, the nature of the breach, the circums tances leading to it and make such recommendations as it may deem fit."

तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have understood the issue. So in view of the fact that hon' ble Shri Shribhansingh has tabled a motion I dont, think it proper at this stage to declare a decision so reserved by the Chair yesterday, just with a view that it may not be prejudicial to the motion so tabled by the hon'ble member and, therefore, I defer it for consideration.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Is leave granted to move that motion ?

श्री श्रीभानसिंह : When will this motion be taken up ?

श्री उपाध्यक्ष : You will not incriminate the Chair even to that extent.

श्री तनसिंह : So we take our bag and baggags.

श्री उपाध्यक्ष : Have you been allowed to have your luggage with you in the House ?

We now adjourn to meet at 11 A.M. tomorrow.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म०प० ४-५७ बजे; दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, १३ नवम्बर, १९५७)

तारांकित प्रश्नोत्तर

तस्कर व्यापार के रोक-थाम हेतु शासकीय कदम ।

नमक वितरण की व्यवस्था पर शासकीय नियन्त्रण ।

उदयपुर के एडीशनल व सेशन्स जज की न्यायालय में कुछ वकीलों को पब्लिक प्रोसीक्यूटर बनाने सम्बन्धी सिफारिश ।

कुचामन सिटी से कुचामन रोड तक आउट एजेन्सी स्थापित करने के लिए टेन्डर ।

उदयपुर के एडीशनल सुपरिण्टेन्डेण्ट ऑफ पुलिस के आचरण की जांच ।

पदमपुर होस्पिटल में लेडी डॉक्टर की नियुक्ति ।

जालौर से सुमेरपुर जाने वाली सड़क पर चलने वाली बसें ।

राजस्थान व केन्द्रीय सरकारों के सम्पूर्ण अधिनियमों के अन्तर्गत नियम-उपनियमों का संग्रह ।

हिन्दूमल कोट-गंगानगर व गंगानगर-पदमपुर सड़क पर चलने वाली बसें ।

जालौर में पंचायत इन्सपेक्टर के खिलाफ शिकायत ।

बूंदी म्युनिसिपल कमेटी के इस वर्ष के बजट की स्वीकृति ।

बालोत्तरा (जिला जालौर) के सब इन्सपेक्टर की तस्कर व्यापार में सहयोग देने के अभियोग में गिरफ्तारी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोइल कन्ज़र्वेशन सम्बन्धी योजना ।

सिरोही पॉवर हाउस को सरकार के आधीन लेना ।

उदयपुर में इन्फ्लुएंजा फैलने की २९ मई को रिपोर्ट एवं दवाइयों की मांग ।

सिरोही से सिरोही रोड तक मेटल रोड पर कार्पोटिंग ।

कारागार विभाग के पदाधिकारियों सम्बन्धी ।

ग्राम रोहेड़ा व संवाडा (त० पिंडवाड़ा) में मेटर्निटी भवन खोलने सम्बन्धी शासकीय योजना ।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में अलग अलग वर्षों में फसल प्रतियोगिताएँ ।

थाना खाटू (सीकर) की ओर से चन्द्रा मीना का चालान ।

डिवीजनल हेड क्वार्टर्स स्थित अस्पतालों में राजस्थान निर्माण के पश्चात् बैड्स ।

बालोतरा से पचपदरा तक पक्की सड़क बनाने की शासकीय योजना ।

पंजाब सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को भेजी गई तस्कर व्यापारियों की सूची ।

राजस्थान में एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज सेन्टर्स एवं इनमें प्रतिवर्ष पंजीबद्ध किये गये व्यक्ति।

पशु उन्नति हेतु चारा उत्पादकों को सरकार की ओर से सुविधाएँ।

सरकारी दौरे पर जाने वाले पुलिस कर्मचारियों को टी० ए०, डी० ए०।

ग्राम पंचायतों में हरिजनों को रिहायशी अहाते देने की दर इत्यादि।

गत छः वर्षों में बीकानेर जिले की विभिन्न तहसीलों में सड़कें।

गत तीन वर्षों में बिजली विभाग में नियुक्त नये इन्जीनियर।

लालसोट तहसील में सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय।

कोटड़ा व गोगुन्दा (जिला उदयपुर) में पान चराई।

नोखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में समस्त ग्राम सेवक सर्किल।

तहसील गोगुन्दा (जिला उदयपुर) में १९५६-५७ में मर्डर केसेज़।

गत एक वर्ष में किशनगढ़ पॉवर हाउस में ड्यूटी पर काम करते मारे गये कर्मचारी।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:–

१. श्री मोडूलाल मीणा ९से१३ नव०,'५७

२. श्री हरिश्चद्र ११से.३० नव०,'५७

३. श्री रामप्रसाद लड्ढा ११से१३ नव०,'५७

विशेषाधिकार प्रश्न

राजस्थान प्रदर्शनी के 'हमारा राजस्थान' मण्डप में हुई अनियमितता सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न सम्बन्धी वाद-विवाद

विधेयकों की पुरः स्थापना

सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निम्नांकित राजकीय विधेयक पुरः स्थापित किये गये:--

(१) राजस्थान पशुधन सुधार विधेयक, १९५७,

(२) राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७ तथा

(३) राजस्थान दूकान और वाणिज्य संस्थान विधेयक, १९५७.

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक

(१) मारवाड़ जागीरदार भारग्रस्त भू-संपत्ति (निरसन) विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान जागीरदार ऋण प्रहसन (संशोधन) विधेयक, १९५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७ पर आज भी खंडशः विचार जारी रहा।

खण्ड १८:—इस खण्ड पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री श्रीभानसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन गिर गये एवं श्री पी. के. चौधरी का संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त खंड संशोधित रूप में स्वीकृत किया गया।

खण्ड १९:—इस खण्ड पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने संशोधन प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् खंड स्वीकृत किया गया।

खण्ड २०:—इस खण्ड पर श्री श्रीभानसिंह एवं श्री सतीशचन्द्र द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गये। इनके अतिरिक्त अन्य १५ सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् उप-शिक्षा मन्त्री द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर श्री श्रीभानसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया और श्री सतीशचन्द्र का संशोधन अस्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् खण्ड स्वीकृत किया गया :

खण्ड २१ से २५:—इन्हें स्वीकृत किया गया।

श्री के. के. सेन का सदन में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष ने दिनांक १० नवम्बर, १९५७ को एक अजनवी, श्री के. के. सेन के अनधिकृत प्रवेश पर निर्णय देने का एलान किया जो विशद् वाद-विवाद के पश्चात् स्थगित किया गया।

बृहस्पतिवार, दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ की कार्य-सूची

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विधेयक, १९५७

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

1950-1951

District.	Crops	Highest Yield per acre. Mds. Srs. Chh.	Average yield per acre. Mds. Srs. Chh.
1. Tonk	Potato	136 - 0 - 0	150 to 200 Mds.
2. S. Madhopur	„	272 - 0 - 0	80 - 0 - 0
3. Alwar	„	134 - 0 - 0	70 - 0 - 0
4. Bharatpur	„	90 - 17 - 8	70 - 0 - 0
5. Chittor	„	140 - 0 - 0	70 - 0 - 0
6. Kotah	„	120 - 0 - 0	80 - 0 - 0
	Wheat	25 - 13 - 7	11 - 0 - 0
7. Bundi	Potato	100 - 0 - 0	80 - 0 - 0
8. Ganganagar	„	— — —	80 - 0 - 0
9. Nagaur	„	— — —	80 - 0 - 0
10. Pali	„	55 - 0 - 0	60 - 0 - 0

1951–1952

District.	Crops	Highest Yield per acre. Mds. Srs. Chh.	Average yield per acre. Mds. Srs. Chh.
1. Tonk	Potato	399 - 0 - 0	150 to 200 Mds.
2. Kotah	Wheat	24 - 20 - 0	10 to 12 ...
3. Bundi	„	42 - 0 - 0	10 to 12 ...
4. Jhalawar	„	30 - 0 - 0	10 to 12 ...

1952—1953

District.	Crops	Highest Yield per acre. Mds. Srs. Chh.	Average yield per acre. Mds. Srs. Chh.
1. Tonk	Wheat	32 - 0 - 0	10 to 12 Mds.
	Jowar	18 - 37 - 0	8 to 9 ...
	Cotton	21 - 0 - 0	13 to 16 ...
2. Bharatpur	Wheat	77 - 13 - 6	10 to 12 ...
	Gram	45 - 18 -12	10 ... ...
	Jowar	41 - 10 - 0	7 ... ...
	Potato	1003 - 5 -10	300 ... ...
3. Banswara	Paddy	62 - 17 -12	9 ... ...
4. Ganganagar	Paddy	50 - 0 - 0	8 ... ...
	Wheat	61 - 10 - 0	8 ... ...
5. Kotah	Paddy	66 - 20 - 9	8 ... ...
	Jowar	14 - 30 - 0	5 to 6 Mds.
6. Jhalawar	Jowar	16 - 0 - 0	6 ... ...

1	2	3	4
	Wheat	55 - 30 - 0	10 ... ...
7. Alwar	Maize	43 - 30 - 0	10 ... ...
	Wheat	55 - 0 - 0	8 ... ...
8. Bundi	Maize	70 - 0 - 0	10 ... ...
9. Jaipur	Maize	43 - 15 - 0	8 ... ...
	Wheat	77 - 13 -12	10 to 15 Mds.
10. Udaipur	Wheat	62 - 12 -12	8 to 10 ...
11. S. Madhopur	Wheat	49 - 0 - 0	8 to 10 ...
	Potato	373 - 0 - 0	60 to 80 ...
12. Jalore	Wheat	56 - 20 - 0	8 ... ...
13. Sirohi	Wheat	44 - 32 - 8	8 ... ...
14. Sumerpur (Pali)	Potato	62 - 18 - 7	... ...
15. Jodhpur	Wheat	58 - 0 - 0	10 ... ...

1953—1954

1. Banswara	Wheat	47 - 38 - 2	... ...
2. Jhalawar	Jowar	40 - 30 - 0	6 ... ...
3. Bharatpur	Jowar	28 - 1 -14	6 ... ...
4. Bundi	Maize	79 - 20 - 0	10 ... ...
5. Udaipur	Maize	120 - 0 - 0	12 ... ...
6. Dungarpur	Maize	33 - 0 - 0	8 ... ...
	Paddy	46 - 0 - 0	6 ... ...
7. Jodhpur	Bajra	12 - 20 - 0	4 ... ...
8, Kotah	Paddy	71 - 2 -14	6 ... ...

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३ का उत्तर देखिए)

Statement showing the 2nd plan provision and targets for soil Conservation Scheme 1 Rajasthan and their year wise breakups.

	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	Total
1. Afforestetion & field Improvements measures in marginal land in N. E. S. Block (to be done by forest Dept.)	Rs. 1,00,000/- Acres 575	Rs. 3,00,000/- Acres 1,725	Rs. 4,50,000/- Acres 2,500	Rs. 4,50,000/- Acres 2,500	Rs. 5,00,000- Acres 2,200	Rs. 19,00,000/- Acres 10,200
2. Field Improvement in cultivator's field (To be done by Agriculture Department)	--	Rs. 2,05,000/- Acres 3,000	Rs. 4,50,000/- Acres 6,000	Rs. 5,50,000/- Acres 9,000	Rs. 5,95,000/- Acres 12,000	Rs. 18,00,000/- Acres 30,000
3. Extension work in Department	--	—	—	—	—	Rs. 18,00,000/- Acres 13,000
4. Soil conservation including Road side plantation in the erstwhile State of Ajmer.	Rs. 34,000/-	Rs. 46,100/-	Rs. 50,300/-	Rs. 50,300/-	Rs. 62,300/-	Rs. 233,000/-
Acres of plantation	200	300	300	400	400	1,600
Mile of Rood side plantation	5	5	5	5	5	25
Total	Rs. 1,24,000/-	Rs. 5,51,100/-	Rs. 9,50,300/-	Rs. 10,50,300/-	Rs. 11,57,300/-	Rs. 56,33,000/-
Out of the Plan						
5. Afforestation as measure of Soil Conservation.	Rs. 1,13,000/- Acres 700	Rs. 6,34,000/- 3,700	Rs. 8,03,000/- 4,500	Rs, 8,65,000/- 5,000	Rs. 9,25,000/- 5,500	Rs, 33,40,000/- 19,400

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, बुधवार, दिनांक १३ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१३१३	७	श्रामती सतवंतकौर	श्रीमती सतवंतकौर
१३३६	१८	को लेने का विचर है।	को लेने का विचार है।
१३४१	४	जहां एवरेज योल्ड पर एकड़	जहां एवरेज ईल्ड पर एकड़
१३४४	५	स्वस्थ्य मन्त्री	स्वास्थ्य मन्त्री
१३४८-१३४९	२७	२६३	२६८३
१३५१	१४	कार ओर से सुविधाएं	कार की ओर से सुविधाएं
३५४	अन्तिम पंक्ति से ७ वीं	इन्सटाप्स बतावें	इन्सटान्स बतावें
१३५९	अन्तिम पंक्ति	श्री प्रभुदलाल पुरोहित	श्री प्रभुलाल पुरोहित
१३६०	७	की प्राइज़ेज़ बढ़ गई हैं,	की प्राइसेज़ बढ़ गई है,
१३६७	अन्तिम पंक्ति से ६ वीं पंक्ति	स्वायत्त शसन	स्वायत्त शासन
१३६९	१	यह समस्या विकट ह	यह समस्या विकट है।
"	१७	है ?	है :
१३७४	२७	subject to the "provi- sious	"subject to the provi- sions
१३७५	शीर्ष पंक्ति	अनियथितता संबंधी प्रस्ताव	अनियमितता संबंधी प्रस्ताव
"	अन्तिम से ४	If will be given	It will be given
१३७८	अन्तिम से ६	पु:र स्थापित करता हूं।	पुर: स्थापित करता हूँ।
१४१६	२२-२३	उद्योग घधे	उद्योग धंधे।
१४१७	१८	लोकतम जानना बहुत आवश्यक है	लोक मत जानना बहुत आवश्यक है
१४२२	४	जायग, जो बोर्ड की शर्तों को पूरा करेगी	जायगा, जो बोर्ड की शर्तों को पूरा करेंगी।
१४२४	अन्तिम से १	हर जगह की समस्यएं	हर जगह की समस्याएं
१४२६	अन्तिम से १०	शिक्षा प्रणली की चेतना	शिक्षा प्रणाली की चेतना
"	अन्तिम	यदि जनमत का वैज्ञनिक	यदि जनमत का वैज्ञानिक
१४३२	७	करना चाते हैं,	करना चाहते हैं,
१४४०	अन्तिम से २	आज यदि अणु शोध शाल ओं	आज यदि अणु शोध शालाओं
१४७२	२	(श्री रामचन्द)	(श्री रामचन्द्र)
१४७७	अन्तिम से २	प्रमुखभाग है वह	प्रमुख भाग है वह बन
"	अन्तिम	अपनी जितनी योजनाएं न	अपनी जितनी योजनाएं बनीं